







(A Government Undertaking Sponsored by Union Bank of India)

HEAD OFFICE

Raghu Mansion, 4/1, Brodipet, GUNTUR - 522002, ANDHRA PRADESH - INDIA



BOARD OF DIRECTORS



Shri K Pramod Kumar Reddy Chairman

Vacant

Central Government Nominee Director I Vacant

Central Government Nominee Director II

Shri K Santosh Asst. General Manager, Foreign Exchange Department (FED) AP-RO, RBI, Hyderabad

Shri Debabrata Tripathy Dy. General Manager, AP-RO, NABARD, Hyderabad



Shri C V N Bhaskara Rao General Manager, Union Bank of India Zonal Head, FGM Office, Vijayawada



Shri S Srinivas

Dy. General Manager,
Agri. Business Dept.,
Central Office
Union Bank of India, Mumbal



Ms. S Nagalakshmi, I.A.S, Collector and District Magistrate, Collectorate, Guntur Vacant

State Government Nominee Director II





Sdl - K Pramod Kumar Reddy

Chairman

CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK





OUR MENTORS



Ms. A Manimekhalai Managing Director & Chief Executive Officer Union Bank of India



Shri Nitesh Ranjan Executive Director, UBI



Shri Sanjay Rudra Executive Director, UBI



Shri Ramasubramanian S. Executive Director, UBI



Shri Pankaj Dwivedi Executive Director, UBI

STATUTORY AUDITORS FOR 2024-25

Statutory Central Auditors
M/s SOMAYAJULU & ASSOCIATES

Chartered Accountants, Visakhapatnam



STATUTORY BRANCH AUDITORS

M/s Challa & Associates

Chartered Accountants, Guntur

M/s K L N Murthy & Co

Chartered Accountants, Guntur

M/s Smita Sharma & Associates

Chartered Accountants, Nizamabad

M/s Mohi & Associates

Chartered Accountants, Rajahmundry

M/s Ratna & Associates

Chartered Accountants, Nizampatnam

M/s TPK & Associates

Chartered Accountants, Kakinada

M/s S S V M & Co

Chartered Accountants, Tirupati

M/s S N M R & Associates

Chartered Accountants, Tadepalligudem

M/s MASB & Associates

Chartered Accountants, Vijayawada

M/s T Nehru & Co

Chartered Accountants, Vijayawada

M/s Chinta Krishna Rao & Co

Chartered Accountants, Guntur

M/s P Gopal & Associates

Chartered Accountants, Tirupati

M/s Balagangadhar & Co

Chartered Accountants, Ongole

M/s Chinni Perumalla & Associates

Chartered Accountants, Nellore

M/s S Hariharasudan & Associates

Chartered Accountants, Madanapalle

M/s Punnaiah & Co

Chartered Accountants, Guntur

M/s S P K R & Associates

Chartered Accountants, Vijayawada





HEAD OFFICE GUNTUR-522 002, ANDHRA PRADESH

LETTER OF TRANSMITTAL

The Secretary
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Banking Division, Government of India
Parliament Street
NEW DELHI – 110 001

Dear Sir.

In accordance with the provisions of section 20 of the Regional Rural Banks Act 1976, I forward herewith the following documents:

A Report of Board of Directors as to the Bank's working and its activities during the period 1st April 2024 to 31st March 2025.

A copy of the Audited Balance sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2025.

A copy of the Auditor's report in relation to the Bank's accounts for the period 1st April 2024 to 31st March 2025

Yours Sincerely

Sdl - X Pramod Kumar Reddy

Chairman

Place : Guntur Date : 25.04.2025

INTRODUCTION

Government of India, Ministry of Finance has announced the amalgamation of Chaitanya Grameena Bank and Godavari Grameena Bank sponsored by Andhra Bank into a single Regional Rural Bank with its Head Office at Guntur, Andhra Pradesh, vide Notification bearing F.No.1/26/2005-RRB, Dated 01.03.2006.

Thus Chaitanya Godavari Grameena Bank has emerged as a new entity effective from 01.03.2006. The Head Office of the new Bank is situated at Guntur, Andhra Pradesh.

Union Bank of India(UBI) is our sponsor bank w.e.f. 01.04.2020, consequent upon merger of Andhra Bank with UBI



Chaitanya Godavari Grameena
Bank is committed to usher in
prosperity & plenty by care &
concern to the financial needs
of cross section of rural
populace in Guntur, East
Godavari & West Godavari
Districts * [# before
reorganization of
districts in
A.P. State]

To leverage technology for according utmost customer satisfaction & providing credit & credit plus financial services to the rural people



AS ON 31.03.2025

Chairman Section 11 of Regional Rural Banks Act, 1976

Nominees of Central Government under section 9(1)(a) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Nominee of Reserve Bank of India section 9(1)(b) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Nominee of NABARD under section 9(1)(c) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Nominees of Union Bank of India under section 9(1)(d) of the Regional Rural Banks Act, 1976

Nominees of State Government under section 9(1)(e) of the Regional Rural Banks Act, 1976 Shri K Pramod Kumar Reddy
 General Manager on deputation
from Union Bank of India

: 2 vacant

: 3 vacant

: 4 Shri K Santosh

Asst. General Manager, Foreign Exchange Department (FED) AP-RO, RBI, Hyderabad

: 5 Shri Debabrata Tripathy

Dy. General Manager, AP-RO, NABARD, Hyderabad

: 6 Shri C V N Bhaskara Rao

General Manager, Union Bank of India Zonal Head, FGM Office, Vijayawada

7 Shri S Srinivas

Dy. General Manager, Agri. Business Dept., Central Office Union Bank of India, Mumbai

: 8 Ms S Nagalakshmi, I.A.S,

Collector and District Magistrate, Collectorate, Guntur

: 9 Vacant





PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2024-25

- Bank is operating in eight districts, viz. Guntur, Bapatla, Palnadu, East Godavari, Kakinada, Dr. B R Ambedkar Konaseema, Eluru and West Godavari (erstwhile Guntur, East Godavari and West Godavari Districts) and is sponsored by Union Bank of India
- Bank is having network of 276 branches, 55 ATMs and 245 Business Correspondents
- ➤ Business stood at ₹ 25272 crore as on 31st March 2025 registering a growth rate of 18% over the previous year
- Deposits stood at ₹ 12113 crore as on 31st March 2025 registering a growth rate of 21% over the previous year
- Advances stood at ₹ 14159 crore as on 31° March 2025 registering a growth rate of 14% over the previous year. ₹ 1000 crore advances were issued under IBPC during the year FY 2025
- Per-branch business of ₹ 92 crore and per-employee business of ₹ 18 crore are indices for Management of the bank
- ➢ Gross Non-Performing Assets (NPAs) were pegged at ₹ 72 crore, i.e. 0.55% of Advances and the Net NPAs were reported as NIL with 100% Provision Coverage Ratio
- ➤ Operating Profit increased to ₹ 431 crore during FY 2025 from ₹ 356 crore during the preceding year, registering growth rate of 21.00%.
- Net Profit after Tax increased to ₹ 302 crore as against ₹ 252 crore during the preceding year, registering growth rate of 19.98%
- Net Worth soared to ₹ 1555 crore at the end of March 2025 from ₹ 1253 crore at the end of March 2024
- Return on Assets (RoA) at 1.73% and Return on Equity (RoE) at 19.44% at the end of FY2025 reflect the financial performance of the bank during FY2025
- Book Value per Share (BVPS) increased to ₹ 2089.14 as on 31st March 2025 from ₹ 1683.01 as on 31st March 2024





K Pramod Kamar Reddy
Chairman

It gives me immense pleasure to present this Annual Report for FY 2024-25 to all the stakeholders of the Bank.

I am happy to note that the Regional Rural Banks (RRBs), more or less, have performed well during FY2025, the third year after introduction of 'Operational and Governance Reforms' by DFS for RRBs in July 2022 and implementation of 'Roadmap-FY2025' as a part thereof and our RRB is no exception.

The business growth in FY 2025 of our Bank may be considered as exceptional in the recent past of CGGB, with Deposits growth at 20.78%, Advances growth at 14.05% and Aggregate Business growth at 17.85%. In fact, the business growth had been consistent for the past five-year period as evident from the CAGR numbers for the said period: Deposits 17.63%, Advances 21.18% and Aggregate Business 19.40%.

The Bank could post Net NPA as NIL for FY 2025 also, being the fifth consecutive year on this count and it reflects not only sound asset quality management but also good credit portfolio management and well-placed credit review and monitoring mechanism in the Bank.

The provision to open savings accounts via Video KYC through our existing WhatsApp Banking service, the integration of KCC and SHG loans into the Loan Origination System (LoS), and the introduction of CGGB FacePay have conspicuously transformed the digital landscape of our bank

The Bank posted good growth of 21.00% in operating profit for FY 2025 and Performance Linked Incentive (PLI) of 15 days to all the eligible staff members is paid.

The CRAR of the Bank continued to improve over the past four years and now stood at a comfortable figure of 15.43% as on 31st March 2025 which is a good augury to tap future growth opportunities. In fact, the growth in capital is on account of plough back of profit only.

I earnestly hope that the customers of CGGB will get much better service way forward at the backdrop of the digital onboarding initiatives taken and may even get connected to the Bank at all times as '24x7 call center' is also enabled.

I am hopeful on the growth path in FY 2026 as envisaged under the Roadmap under various metrics, with the continued support of all the stakeholders of our Bank.

Yours sincerely

K Pramod Kumar Reddy







DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors of CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK have pleasure in presenting the Directors' Report of the Bank together with the audited Balance Sheet as on 31" March 2025, Profit & Loss account and Cash Flow Statement for the financial year ended 31" March 2025, in terms of Section 20 of the Regional Rural Banks Act, 1976.

Operational Area

The operational area of the bank is spread across eight districts, viz. Guntur, Bapatla, Palnadu, East Godavari, Kakinada, Dr. B R Ambedkar Konaseema, Eluru and West Godavari districts, which are located in the coastal belt of Andhra Pradesh.

The geographical area of Guntur district is 2443 sq. km., consisting of 18 mandals spread over 267 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 20.91 lakh.

The geographical area of Bapatla district is 3829 sq. km., consisting of 25 mandals spread over 459 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 15.87 lakh.

The geographical area of Palnadu district is 7298 sq. km., consisting of 28 mandals spread over 527 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 20.42 lakh.

The geographical area of East Godavari district is 2561 sq. km., consisting of 19 mandals spread over 300 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 18.32 lakh.

The geographical area of Kakinada district is 3020 sq. km., consisting of 21 mandals spread over 385 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 20.92 lakh.

The geographical area of Dr. B R Ambedkar Konaseema district is 2081 sq. km., consisting of 22 mandals spread over 384 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 17.19 lakh.

The geographical area of Eluru district is 6679 sq. km., consisting of 28 mandals spread over 580 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 20.03 lakh.

The geographical area of West Godavari district is 2178 sq. km., consisting of 19 mandals spread over 384 gram panchayats. The population of the district as per 2011 census is 17.80 lakh.

Share Capital

The authorized share capital of RRBs was raised from ₹ 5 crore to ₹ 2000 crore in terms of the amendment made to RRB Act in 2015.

The paid-up share capital of the bank as on 31" March 2025 is as under:

Central Government (50%) : ₹ 3,72,11,000

Sponsor Bank i.e. Union Bank of India (35%) : ₹ 2,60,47,700 State Government (15%) : ₹ 1,11,63,300

Total : ₹ 7,44,22,000







Reserves & Surplus

The Net Profit after Tax of ₹ 30225.25 lakh for the year ended 31st March 2025 is appropriated to Reserves & Surplus as under:

₹ 6045.05 lakh is transferred to Statutory Reserves thus fulfilling the statutory minimum requirement of 20%. The rest of the profit, i.e. ₹ 24180.20 lakh is transferred to Revenue and Other Reserves. The retained surplus continued to be the same, i.e. ₹ 1.00 lakh at the end of the year.

Accordingly, Statutory Reserves increased to ₹ 31066.58 lakh during the year from ₹ 25021.53 lakh as on 31" March 2024.

The total reserves and surplus increased to ₹ 154733.87 lakh during the year from ₹ 124508.62 lakh as on 31" March 2024.

Thus, Own funds increased to ₹ 155478.09 lakh during the year from ₹ 125252.84 lakh as on 31" March 2024.

Investment Fluctuation Reserve (IFR) continues to be maintained at ₹ 1180.00 lakh as on 31st March 2025 also.

Network of Branches

During FY 2025, the Bank has opened 5 branches in Palnadu, 2 branches each in Kakinada & Dr. B R Ambedkar Konaseema districts and one branch each in West Godavari & Eluru Districts, i.e. total of 11 branches.

The opening of these 11 branches, centre tier-wise is as under:

Tier-IV-1 branch, Tier-V-9 branches and Tier-VI-1 branch

The bank is operating through 276 branches as on 31.03.2025.

The district-wise break up of branches is as under:

S.No.	District/Category	Rural	Semi-Urban	Urban	Total
1	Guntur	26	12	18	56
2	Bapatla	12	7	1	20
3	Palnadu	49	24	2	75
4	East Godavari	10	8	4	22
5	Kakinada	17	11	3	31
6	Dr. B R Ambedkar Konaseema	14	1.1	0	25
7	Eluru	16	8	2	26
8	West Godavari	13	6	2	21
	Total	157	87	32	276

The bank has 55 ATMs as on 31" March 2025. Ten ATMs are off-site, One Mobile ATM and the rest are on-site.





Tier wise allocation of branches is presented hereunder:

Region Tier	1	П	Ш	IV	V	VI	Total
Guntur	18	6	1	14	23	15	77
Narasaraopet	2	4	3	16	39	10	74
Rajahmundry	7	5	7	11	26	11	67
Eluru	4	2	6	13	19	14	58
Total	31	17	17	54	107	50	276

Regional Offices

The bank is having four Regional Offices, viz. Guntur, Narasaraopet, Rajahmundry and Eluru. The branches are organized under the Regional Offices as under:

Regional Office	No. of Branches
Guntur	77
Narasaraopet	74
Rajahmundry	67
Eluru	58
Total	276

Aggregate Business

The aggregate business of the bank, region-wise, as on 31th March 2025 is given hereunder:

Amt ₹lakh

Region	No. of branches	Deposits	Advances	Aggregate Business	Region Share of Aggr. Business
Guntur	77	513374.55	388028.91	901403.46	34.31%
Narasaraopet	74	264008,16	520316.98	784325.14	29,85%
Rajahmundry	67	250309,29	269333,37	519642,66	19.78%
Eluru	58	183646.65	238248.83	421895.48	16.06%
Total	276	1211338.65	1415928.09	2627266.74	100.00%


The aggregate business increased to ₹ 2627266.74 lakh as on 31" March 2025 from ₹ 2244407.24 lakh as on 31" March 2024 registering an increase of ₹ 382859.50 lakh [17.06%].







However, as IBPC of ₹100000.00 lakh were issued during FY 2025 and FY 2024 respectively, the aggregate business net of IBPC stood at ₹ 2527266.74 lakh as on 31" March 2025 as against ₹ 2144407.24 lakh as on 31" March 2024, registering an increase of ₹ 382859.50 lakh [17.85%].



Categorization of Branches

The categorization of branches is undertaken as per the applicable norms and the position as on 31st March 2025 is as under:

Category of Branch	No. of Branches
Scale V	19
Scale IV	137
Scale III	81
Scale II	30
Scale I	9
Total	276


Deposits

The total Deposits of the Bank as on 31°March 2025 stood at ₹ 1211338.65 lakh. The net accretion of Deposits during FY 2025 is ₹ 208446.56 lakh registering a growth rate of 20.78%. The percentage of low-cost deposits to total deposits is 27.46% as on 31°March 2025. Cost of deposits during FY 2025 stood at 6.72%.

Per-Branch deposits increased to ₹ 4388.91 lakh during the year from ₹ 3784.50 lakh and per-Employee deposits increased to ₹ 815.60 lakh during the year from ₹ 789.50 lakh.








The category-wise break-up of deposits as on 31" March 2025 is as under:

Type of Deposit	No. of Accounts	Amount(₹ lakh)	% to Total Deposits
Current Deposits	26093	35287,16	2,91
Savings Deposits	2037142	297378.70	24.55
Term Deposits	297436	878672.79	72.54
Total Deposits	2360671	1211338,65	100.00



The increase in the deposit base is duly recognized throughout FY 2025







New Schemes/Campaigns:

A campaign captioned as "MSME FRONTIERS" to foster sustainable growth in MSME loans for the period from 21.10.2024 to 31.12.2024

The bank launched a campaign named "Retail Vijayam: Revamping Retail Lending" to promote sustainable growth in retail loans for the period from 01.10.2024 to 31.12.2024.

The bank launched a campaign named "Deposits Digital Drive" to drive deposit growth and accelerate the adoption of digital products within service area for the period from 01.11.2024 to 31.01.2025.

To commemorate remarkable journey and to propel further growth, the Bank launched a campaign captioned as CGGB Foundation Month Campaign for the period from 01.03.2025 to 31.03.2025. This initiative serves as a significant milestone for evolution and offering a moment to reflect the achievements and reaffirm unwavering commitment to excellence. It also presents an opportunity to set new benchmarks for success and acknowledge the outstanding performance of the branches.

A Campaign named "Lakhpati Didi Yojana" has been initiated by Ministry of Rural Development. The scheme aims to finance Individual Women SHG members of selected matured well performing DAY NRLM SHGs to graduate them as women entrepreneurs for setting up/running an economic viable activity.

Customer Base

During the current year, there has been an increase in the number of accounts as furnished hereunder, registering a growth rate of 5.21% in customer base.

	March 2024	March 2025	Growth
Deposits	2267185	2360671	93486
Advances	677947	737898	59951
Total	2945132	3098569	153437

Customer Service

The bank has been extending good customer service through its network of branches duly taking care of their required banking needs. A policy for Grievance Redressal Mechanism is put in place in the bank with the approval of the Board. Accordingly, a three-tier Grievance Redressal Mechanism, i.e. Branches, Regional Offices and Head Office is in vogue. It is acknowledged that in the present scenario of stressful competitive environment in banking industry, good customer service is the most important tool to sustain the business growth and attract new business.

Borrowings

Refinance from National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) continues to be the major source of borrowings of the Bank

Bank has adopted a judicious approach on borrowings considering the cost of borrowings.





Bank is prompt in repaying the installments and interest on refinance throughout the year under report.

The details of outstanding borrowings from NABARD, sector-wise, as on 31" March 2025 are given hereunder:

Sector	Amount (₹ lakh)
STL (SAO)	9200.00
STL (DTP)	500,00
STL (Addl.)	50500,00
ST (Others)	160000,00
MT (SCH)	188105,81
LT- DAY NRLM	12000.00
Total	420305.81

In addition, Bank has also availed Clean Overdraft facility of ₹ 250 Cr, w/w WCDL of ₹ 150 Cr, from the sponsor bank, i.e. Union Bank of India during the current year so as to act as a contingency fund in case of unforeseen liquidity mismatch for the Bank. Outstandings in this account stood at ₹ 0.29 lakh as on 31" March 2025.

The total Outstanding Borrowings of the Bank as on 31" March 2025 stood at ₹ 420306.10 lakh.

Cost of borrowings during FY 2025 stood at 6.53%.

Cash & Balances with Banks

Cash management has been given utmost importance and cash retention limits were fixed to the branches. Cash balances maintained by branches are being monitored regularly to ensure that minimum cash balances are maintained subject to constraints.

Adequate balances are maintained with Reserve Bank of India in the current account, as per the requirement of CRR throughout the year under report.

The Bank is maintaining current accounts with Sponsor Bank, i.e. Union Bank of India to have effective cash remittances from the branches. Apart from Sponsor Bank, bank is also maintaining current accounts with State Bank of India, Bank of Baroda, Kotak Mahindra Bank Ltd., Axis Bank Ltd., ICICI Bank Ltd., Equitas Small Finance Bank Ltd., Karur Vysya Bank Ltd., IDFC First Bank Ltd. and ESAF Small Finance Bank to facilitate cash & other transactions.

Our bank is a sub-member (type – II) of Axis Bank Ltd. for CTS clearing with "520 702 102" as its common MICR code for all the branches.







The details of cash on hand (including those held with ATMs) and balances held by the bank in current account with Reserve Bank of India and current accounts and other accounts with other banks are as under:

₹ lakh

Average Deposits	1085166.64
Average Cash Holdings	7697.04
Average Cash Holding to Average Total deposits (%)	0.71
Average Balances held with Reserve Bank of India	47846.93
Average Balances with Sponsor Bank/Other Banks	35584.97
Average Balances with Sponsor Bank/Other Banks in Other Accounts	43939.07
Income received on the balances in other accounts	3090.64
Income received on the balances maintained in Variable Reverse Repo/ Standing Deposit Facility (SDF) of RBI	3922.53

Bank maintained surplus funds arrived on day-wise basis under Variable Reverse Repo and/or Standing Deposit Facility (SDF) account with RBI throughout FY 2025 and derived maximum benefit out of these facilities. Income carned on balances held under Variable Reverse Repo account stood at ₹ 582.57 lakh and income earned on balances held under SDF account stood at ₹ 3339.96 lakh during the current year.

Investments

The bank has invested its surplus funds in approved securities as per the Investment Policy of the bank approved by the Board, after carefully considering the various options available by the Investment Committee at Head Office, to earn maximum possible return.

Investments in Government Securities are made only through Sponsor Bank and necessary guidance is taken from Treasury Department, Union Bank of India, Central Office, Mumbai.

The premium paid for the purchase of Government Securities is being amortized over the remaining period of currency of the Investment as per policy of the bank.





The details of investments and income thereon are furnished hereunder:

Amt ₹ lakh

Particulars		Investments	
Particulars	SLR	Non-SLR	Total
Total Gross Investments	188869,02	7326.32	196195,34
Less: Amortization	269.31	0.00	269.31
Net Investments	188599.71	7326,32	195926.03
Break-up of Investments:			
HTM Category	182592.40	0.00	182592,40
AFS Category	6007.31	7326.32	13333.63
HFT Category	0.00	0.00	0.00
Total	188599.71	7326.32	195926.03
Interest Earned#	15424.74	878.96	16303,70

Gross interest amount, i.e. before netting with amortization amount of ₹269.31 lakh

The Investments in HTM category (which stood at ₹ 182592.40 lakh) in excess of the 25% of the total investments as on 31 March 2025 stood at ₹133610.89 lakh. As the total investments in HTM category is less than 19.50% of NDTL applicable (which stood at ₹ 209917.69 lakh), the same is within the guidelines in terms of RBI circular dated 04.10.2017 and relevant extant guidelines there for.

Yield on investments during FY 2025 stood at 7.83%. Investments to Deposits Ratio stood at 16.17% only.

The Bank has earned profit of ₹ 1442.14 lakh on sale of SLR security from AFS category and no loss on sale of non-SLR securities during the year under report. Thus the total reported profit for FY 2025 on sale of investments stood at ₹ 1442.14 lakh. The Bank has not earned any profit on maturity of SLR securities during FY 2025.

The Bank had shifted the SLR securities of ₹ 56911.69 lakh from HTM category to AFS Category and no securities were shifted from AFS category to HTM category during FY 2025.

The bank has not incurred any MTM loss under SLR/Non-SLR category.

It is desired to mention that by the end of eleventh year on initiating sale of investments from AFS category by the bank for making profit from investments portfolio (i.e. since FY2015), a cumulative profit of ₹ 6144.05 lakh could be garnered by FY 2025.

The Non-SLR investments, outstanding as on 31 March 2025, of ₹7326,32 lakh consisted Bonds & Debentures only.







Investments in mutual funds were made as per the extant guidelines and was within the stipulated 5% (of incremental deposits during the preceding financial year) limit, throughout the year under report.

However, there were no investments under equity and convertible debentures category of non-SLR investments as on 31" March 2025.

Loans & Advances

Bank has made significant progress in meeting the integrated credit needs of customers especially in rural areas by intensive expansion & diversification of credit portfolio during FY 2025.


The aggregate loans and advances of the bank as on 31 March 2025 stood at ₹ 1415928.09 Lakh. The net accretion of advances during FY 2024 was ₹174412.94 Lakh registering a growth rate of 14.05% over the previous financial year.

Yield on advances during FY 2025 stood at 10.20%.

The advances reported in the balance sheet are net advances as detailed hereunder.

₹ lakh

Total Loans & Advances	1415928.09
Less: IBPC sold	100000.00
Loans & Advances net of IBPC	1315928,09
Less: Provision for NPAs	7179.07
Net Loans & Advances reported in the balance sheet	1308749.02







The scheme-wise break-up of outstandings as on 31" March 2025 are as under:

Particulars	No. of accounts	Amount (₹ lakh)
Short Term Agricultural Loans	608903	845837,92
Agricultural Term Loans	31056	20317.35
CCMTL	0	0.00
MSME	39351	67135.52
Other Priority Sector Loans	43154	358172.40
Total Priority Sector Loans	722464	1291463.19
Non-Priority Sector loans	15434	124464.90
Total Loans & Advances	737898	1415928.09

Disbursements of Loans & Advances

The total disbursements of loans and advances during FY 2025 are ₹1153326.49 Lakh against MoU target of ₹1061500.00 lakh.

The details of achievement during the year under report are furnished hereunder:

Particulars	Amount (₹ lakh)
Short Term Agricultural Loans	882028,59
Medium Term Agricultural Loans	8110,40
MSME	5460.03
Self Help Groups	180375.78
Other Priority Sector Loans	7012.23
Total Priority Sector Loans	1082987.03
Non-Priority Sector Loans	70339.46
Total Disbursements	1153326,49







An overview of advances portfolio is given hereunder:

Particulars	Amount (₹ lakh)
Total Advances	1415928.09
Advances to Priority Sector	1291463.19
% to Total Advances	91.21
% of Priority Sector Advances to Total Advances (net of IBPC)	90.54
Priority Sector Advances (%) (net of PSLC)	90.54
Advances to Non-Priority sector	124464.90
% of non-Priority sector Advances to Total Advances (net of IBPC)	9,46
Credit to Deposit Ratio	108.63
Average Yield on Advances (%)	10.20
per- Branch Advances	4767.86
per- Employee Advances	955,65

SHG-Bank Linkage

The Bank's exposure to SHGs (Outstanding Credit Linkage) as on 31° March 2025 is at ₹367744.68 lakh spread over 42,645 Self Help Groups (SHGs) accounts, as against ₹367650.48 lakh spread over 42,815 SHG accounts as on 31° March 2024, thus registering an accretion of ₹94.20 lakh & increase of 0.026% during the year under report. Bank has extended credit linkage to 17,560 SHGs to the tune of ₹1,75,728.09 Lakh during FY 2025.

The size-wise break-up of credit linkage to SHGs during the year under report is as under:

Size of Credit Linkage	No. of A/es	Amount (₹ lakh)
Up to ₹ 5.00 lakh	924	2902,83
Above ₹ 5,00 lakh to ₹ 7,50 lakh	572	3056.89
Above ₹ 7.50 lakh to ₹ 10.00 lakh	2,662	19416.62
Above ₹ 10.00 lakh	13,402	150351.75
Total	17,560	175728.09

In line with RBI guidelines, vide circular reference no. FIDD.GSSD.CO.BC.No.09/09.01.003/2021-2022 dt.09.08.2021, our Bank increased collateral free lending limit to SHGs, under NRLM scheme, from ₹ 13.00 lakh per group to ₹ 20.00 lakh per group with the approval of the Board.





The said collateral free lending limit, up to ₹20.00 lakh per group, was subsequently extended to all SHGs in our area of operation during FY 2023 with the approval of the Board and the same is continued in FY 2025 also.

Finance to Joint Liability Groups (Farm and Non-Farm Sectors)

During the financial year, the Bank promoted 33 new JLGs and out of these, financed 17 JLGs with a financial outlay of ₹68.47 Lakh.

The Bank financed 948 JLGs (both farm sector & non-farm sector) with a total disbursement of ₹3799.20 lakh during FY 2025.

The bank has financed to 4428 tenant farmers with a credit outflow of ₹8758.09 lakh through RMGs, JLGs, & CCRCs during the current year.

New Initiatives in Credit Outreach

1. Integration with Jan-Samarth Portal:

 Our bank successfully on boarded the National Portal for Credit Linked Government Schemes (Jan-Samarth) to streamline the processing and sanctioning of proposals under eight selective loan schemes of the Government of India (GoI). As of March 31st 2025, Bank had sanctioned a total of 527 proposals, amounting to ₹2301.92 lakh, across different categories through the portal since its implementation.

2. Implementation of Loan Origination System (LOS) for Gold Loans:

In the FY 2023-24, our bank successfully integrated a Loan Origination System (LOS) for processing gold loan
applications. During FY 2024-25, the KCC and SHG loan applications are also successfully integrated into LOS.
This system facilitated sanctioning of 528057 gold loan applications, amounting to cumulative sanction limit of
₹6670.72 Crore, 74813 KCC applications with sanction limit of ₹1146.99 Crore & 1266 SHG applications with
sanction limit of ₹175.15 Crore.

3. Partnership with Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL):

• To enhance client monitoring and improve credit assessment processes, our bank had partnered with Credit Information Bureau (India) Ltd. (CIBIL). Through this collaboration, Bank implemented a system for generating triggers related to various loan-related activities such as new loan enquiries, changes in borrower credit scores, change in credit utilization, aggregate of trades, change in delinquency threshold, new loan accounts opened with other Banks/Fl and updates to borrower contact information. These alerts are now systematically disseminated to respective branches for proactive business sourcing and effective monitoring.

4. Credit Guarantee Coverage under CGFMU Scheme:

• Our bank had taken strides in enhancing credit accessibility for Micro Units through the implementation of Credit Guarantee Coverage for Micro Units (CGFMU) Scheme, effective from July 1" 2022. Bank successfully covered credit linkage to Non-Farm Sector Self Help Groups (SHGs) and micro units under this scheme, with a total exposure of ₹379.51 crore as of 31" March 2025. This initiative had played a pivotal role in fostering financial inclusion and supporting the growth of micro-enterprises in our operational areas.







5. Introduced new loan scheme against future rent receivables:

Our bank had implemented a new loan scheme to offer finance against future rent receivables, enabling property
owners with rental income from leased properties in metro, urban, semi-urban, or rural areas to meet financial needs
without liquidating their assets, with the approval of the board. Bank had financed 2 units under this scheme, with a
total exposure of ₹33.60 Lakh as of 31" March 2025.

6. Introduced new loan scheme under PM Surva Ghar Muft Bijli Yojana Term Loan:

 Our bank had implemented a new loan scheme for implementation of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana launched by GoI, to extend the benefits of this scheme to low income households in our area of operation, with the approval of the board. Bank had financed 48 units under this scheme, with a total exposure of ₹68.92 Lakh as of 31" March 2025.

7. Introduced new loan scheme under Lakhpati Didi Yojana:

• Our bank had implemented a new loan scheme for financing to Individual (Women) SHG members of DAY NRLM SHG to graduate them as Entrepreneurs under Lakhpati Didi Yojana initiated by Ministry of Rural Development. The scheme aims to finance Individual Women SHG members of selected matured well performing DAY NRLM SHGs to graduate them as women entrepreneurs for setting up/running an economic viable activity. Bank had financed 4585 units under this scheme, with a total exposure of ₹44.88 Crore as of 31° March 2025.

Diversification of Business/Processes

To enhance our presence in retail lending, social infrastructure, and various commercial ventures, our bank has placed special emphasis on expanding lending services across property loans, personal loans, term loans for investment purposes, and vehicle loans.

The following is a summary of our Bank's disbursements under the aforementioned schemes during FY 2025;

S.No	Loan Product	No. of Accounts	Amount (₹Lakh)
1	Chaitanya Godavari Property Term Loan (CGPTL)	322	5088.13
2	Chaitanya Godavari Property Overdraft (CGPOD)	114	2526.87
3	Personal Loans to Salaried Individuals (PLEMP)	121	1693.64
4	Vehicle Loans to General Public - Two Wheelers (CGVL2)	34	28.81
5	Vehicle Loans to General Public - Four Wheelers (CGVL4)	25	269,85
6	Vehicle Loans to Agriculturists (ATLVL)	70	524.15
7	Other Term Loans - Social Infrastructure (OTLSI)	2	174.95
8	Other Term Loans - Commercial Constructions (OTLCO)	5	105.00
9	Other Term Loans - Machinery Purchase (OTLMP)	1	237.64
10	CGGB Welcome Doctor Term Loan (CGDPL)	4	421.75
11	CGGB Welcome Doctor Working Capital (CGDPW)	1	10.00
12	Chaitanya Godavari Loan against Future Rent Receivables - (CGLFR)	2	33.65
	Total	701	11114.44





As of March 31", 2025, Retail Credit accounted for 8.58% of the total credit portfolio, while Investment Credit constituted 1.37% of the total credit portfolio, reflecting a diversified lending approach

During FY 2025, Disbursement of Housing Loans stood at ₹10719.43 Lakh marking 13.61% growth compared to the previous Financial Year.

Additionally, the outstanding education loan portfolio for FY 2025 witnessed a substantial growth of 11.92% over FY 2024.

Government Sponsored Schemes

With a view to assist Street Vendors, Women Entrepreneurs etc., Govt. of Andhra Pradesh launched various Govt. Sponsored Schemes like Jagananna Thodu, & Govt. of India launched PM SVANidhi Scheme, during FY 2021. Phase VII of Jagananna Thodu scheme & 3rd tranche of PM SVANidhi scheme were implemented during FY 2025 also. Our bank has also implemented the central government schemes such as PMEGP, PM Viswakarma, Lakhpati Didi & PM Surya Ghar Yojana.

Our bank made the following disbursements in the aforementioned schemes during FY 2025. Details are summarized below:

S.No.	Loan Scheme	No. of accounts	Amount Disbursed (₹ Lakh)
1	Jagananna Thodu	8.	0.83
2	PM SVANidhi	1262	271.39
3	PM Viswakarma	273	210.19
4	Lakhpati Didi	4604	4647,69
5.	PM Surya Ghar Yojana	48	87.11
6	PMEGP Term Loan	13	86.46
7	PMEGP Working Capital	8	28.43
	TOTAL	6216	5332.10

In addition to the above schemes, the following schemes were launched by Govt. of India & Govt. of Andhra Pradesh during FY 2022:

- 1. KCC to Animal Husbandry & Fisheries by Govt, of India
- 2. PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) by Govt. of India
- PMAY (U) AHP APTIDCO JAGANANNA NAGAR jointly by Govt. of India & Govt. of Andhra Pradesh







Our bank made the following disbursements in the aforementioned schemes during FY 2025:

S.No	Loan Scheme	No. of accounts	Amount Disbursed (₹ Lakh)
1	KCC to Animal Husbandry	4737	5629,55
2	KCC to Fisheries	16	13.76
3	PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)	13	20.51
4	PMAY (U) AHP – APTIDCO – JAGANANNA NAGAR	127	110.55
	Total	4893	5774.37

A brief snapshot of interest subvention & interest incentive/subsidy reimbursed to the Bank & the borrowers during FY 2025 is given hereunder:

KCC ISS INTEREST SUBVENTION SCHEME Amount ₹ lakh				
1	2022-23	1067.63	103.62	1171.25
2	2023-24	1252.28	3175.12	4427.40

DAY NRLM ISS SCHEME Amount ₹ lakh				
1	2022-23	908,23	496,01	1404.24

	ACSIS EDUCATION LOAN INTEREST SUBSIDY			
Amount ₹ lakh				
S.No.	Scheme year	Quarter	Education Loan Interest Subsidy passed on to students	
1	2023-24	Q4	26,71	
2	2024-25	QI	10.41	
3	2024-25	Q2	12.11	
4	2024-25	Q3	3.03	





Non-Fund Business

The Bank has 277 outstanding Bank Guarantees with a business of ₹1579.85 Lakh as on 31" March 2025.

Inter Bank Participation Certificate [IBPC]

The Bank has sold Inter Bank Participation Certificate (IBPC) of ₹ 100000.00 lakh, on risk sharing basis, with the participation of HDFC Bank Ltd., Kotak Mahindra Bank Ltd. & Axis Bank Ltd. during the current year, in multiple tranches, covering Priority Sector Advances – Direct Agri. at a competitive interest rate. However, as on 31st March 2025, out of the participation for the total amount of ₹ 100000.00 lakh, ₹ 20000.00 lakh is with HDFC Bank Ltd, ₹ 35000.00 lakh is with Kotak Mahinda Bank Ltd. & ₹ 45000.00 lakh is with Axis Bank Ltd.

Accordingly, advances are reported in the balance sheet as net of IBPC of ₹ 100000.00 lakh.

Priority Sector Lending Certificates [PSLC]

The Bank has undertaken sale of PSLC-Agri. of ₹ 50000.00 lakh and PSLC-SF&MF of ₹ 400000.00 lakh, making it to total of ₹ 450000.00 lakh during FY 2025. The fee income earned is ₹ 8039.00 lakh.

The Bank has undertaken purchase of PSLC-General of ₹ 390000.00 lakh and PSLC-Micro Enterprises of ₹ 60000.00 lakh, making it to total of ₹ 450000.00 lakh during FY 2025. The fee expenditure incurred is ₹ 45.00 lakh.

Thus, the PSLC trading on E-Kuber platform of RBI resulted in earning of net income of ₹7994.00 lakh.

Asset Quality & Classification

In tune with the guidelines given by Reserve Bank of India/NABARD, assets of the bank as on 31" March 2025 are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss Assets and provisions are made as per the extant guidelines applicable there for.

The break-up of Non-Performing Assets (NPAs) as on 31^{et} March 2025 is as under:

₹ lakh

Sub-standard Assets	2366.70
Doubtful Assets	4707,40
Loss Assets	104.97
TOTAL NPAs	7179.07

Provisions

Bank made provision for NPAs over and above the required provision as per IRAC norms. The Provision Coverage Ratio (PCR) stood at 100% as on 31" March 2025. The details are mentioned hereunder:










Total NPAs	₹ 7179.07 lakh
Cumulative Provision against NPAs	₹ 7179.07 lakh
% of Provision to NPAs	100

The classification of assets and provisions made are detailed hereunder:

₹ lakh

Particulars	Amount Outstanding	Provision to be made	Provision Made
Standard assets	1408749.02	3776.93	3780.39
Sub-standard assets	2366.70	405.27	
Doubtful assets	4707.40	2086.16	
Loss assets	104.97	104.97	
Non-Performing assets	7179.07	2596.40	7179.07
Total Advances	1415928.09	6373.33	10959,46
Total Advances less IBPC	1315928.09		
Cumulative provision against NPAs	7179.07		
% of Gross NPA to Advances	0.55		
% of Net NPA to Net Advances	0,00		



Movement of NPA

Consistent and strategic efforts are made throughout the financial year to recover NPAs. The details of movement of NPAs are given hereunder:





₹ Crore

Particulars	Amount
Gross NPA as on 1 ^{et} April 2024 (Opening Balance)	77.36
Additions (Fresh NPAs) during the year	23.85
Sub-total (A)	101.21
Less:	
(i) Upgradations	4,76
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded a/cs)	13,60
(iii) Write-offs	11.06
Sub-total (B)	29,42
Gross NPA as on 31" March 2025 (Closing Balance) [(A-B)]	71.79

Interest Derecognized

In accordance with IRAC norms, the bank has not booked income and has derecognized interest and other charges to the extent of unrealized amounts under NPAs. The details are furnished hereunder:

₹ lakh

Derecognized income at the beginning of the year	3712.27
Additions during the year	1485.26
Recovery during the year	1765,09
Derecognized income at the end of the year	3432.44

Recovery of Loans

The Bank continued its thrust on recovery of loans through various modes with focus on reduction of both NPAs and overdue accounts. Efforts for recovery of "Written-off Accounts" to improve the profitability was given due emphasis during the current financial year.

Intensive recovery efforts made included the following channels:

- 1. Comprehensive Compromise Settlement
- One-Time Settlement (OTS) Scheme for Real Account Balances as on 31-03-2024 Totaling up to ₹5.00 lakh per borrower
- 3. Special Recovery Drives
- 4. Enforcement of SARFAESI Act
- 5. Suit Filing of Accounts
- 6. OTS Recovery Campaign







The recovery to total demand as on 30° June 2024 stood at 73.41% for the period under report and the break-up for farm and non-farm sectors is given hereunder:

₹ lakh

Parameter	Farm Sector	Non-Farm Sector	Total
Demand	289836.15	37478.33	327314.48
Recovery	208878.47	31414.46	240292.93
Overdue	80957.68	6063.87	87021.55
% of recovery	72.07	83.82	73,41

Write-Off Loans

The details of written-off loans and recoveries made there under are mentioned hereunder:

Amount ₹ lakh

Particulars	FY 2024	FY 2025
Amount written-off (technical write-off)	926.32	1105.85
Number of accounts written-off	1127	895
Total Recovery made in written-off accounts(Amount)	312.73	218,03

Achievements Made under MoU with Sponsor Bank

The Bank has achieved major parameters under MoU entered with Sponsor Bank, for FY 2025.

The details of performance vis-à-vis the MoU targets are furnished hereunder:







Amount ₹ lakh

Parameter	31st March 2024	Target FY 2025	Achievement as on 31" March 2025	
Own Funds	125252.84	154752,84	156222.31	N
Total Business	2144407,24	2445000.00	2527266.74	3
Deposits	1002892.09	1160000,00	1211338.65	1
Advances	1141515.15	1285000,00	1315928,09	1
Borrowings	459954.36	535000.00	420306.10	
Operating Profit	35637.92	42500.00	43121.96	3
Net Profit After Tax	25191.47	29500.00	30225.25	3
NPA	7736,19	10000,00	7179.07	3
Investments	212192.20	300000.00	195926.03	
Loans Issued	1051756.54	1061500.00	1153326.49	1
per-Branch Business	8092,10	8732,14	9156.76	,
per-Employee Business	1694.75	1822,00	1771.25	
CD Ratio (%)	113.82	110.78	108.63	3
Cost of Deposits (%)	6,38	6.38	6.72	
Yield on Advances (%)	9,78	9.78	10.20	3
Recovery to Demand (%)	73.69	75.00	73.41	

Operational and Governance Reforms in RRBs

In order to make RRBs competitive, operationally efficient and viable, Government of India (GoI) initiated Operational and Governance Reforms for RRBs during FY 2023. As part of it, a Viability Plan or 3-year Strategic Roadmap is proposed to be prepared by each RRB. It is stated that capital infusion for RRBs, hereafter, will be based on the achievement of milestones set on operational aspects, in the said Roadmap, inter alia:

- Credit expansion
- Business diversification
- NPA reduction
- Cost rationalization
- Technology adoption
- Improvement in corporate governance







Accordingly, our bank has prepared the Roadmap in an aspirational tone but at the same time the projections made are realistic.

In addition to growth in Deposits and Advances, the key metrics include Total Income, Net Interest Margin, Cost to Income Ratio, Operating Profit to Total Assets Ratio and Share of R-M [i.e. Retail and MSME] in Total Advances.

Further, notable changes are envisaged in the Roadmap under technology upgradation which include

- i. increase in digital financial transactions in a big way
- ii. introduction of Loan Originating System
- iii. implementation of end-to-end digital journeys in a phased manner

It is pertinent to mention that all the 46 given metrics are chosen by our bank as per the revised guidelines made applicable for FY2024, i.e. from second year onwards.

The bank is poised for growth in business with enhanced level of profitability and also technology upgradation on the lines of Roadmap.

The progress under Roadmap is reviewed by the Board and AP-RO, NABARD at the end of each quarter during FY2025.

Cross Selling of Insurance Products

1. Life Insurance Business:

Bank is functioning as a corporate agent for selling life insurance products of India First Life Insurance Company Ltd. (IFLIC)&Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

With regard to the IFLI, Bank could secure business worth of ₹ 409.02 lakh from 1806 applications and had earned ₹ 157.36 lakh during FY 2025.

With regard to the SUD Life Insurance, Bank could secure business worth of ₹ 302.14lakh from 2152 applications and had earned ₹ 56.44 lakh during FY 2025.

In total, Bank had earned non-interest income of ₹213.80 lakh towards commission received from Life insurance business during the current year.

2. Non-Life Insurance Business:

Under General Insurance category, Bank has tied up with Shriram General Insurance Co. Ltd., United India Insurance Company Ltd. and SBI General Insurance Company Ltd.

Bank could secure business of worth ₹126.82 Lakh, ₹21.80 Lakh, ₹272.39 Lakh respectively during FY 2025 and corresponding income of ₹17.04 Lakh, ₹3.27 Lakh, ₹38.13 Lakh is received from Shriram General Insurance Co. Ltd., United India Insurance Company Ltd. and SBI General Insurance Company Ltd. respectively.





3. Health Insurance:

Under Health Insurance Category, Bank has inked pact with Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. & Care Health Insurance Co. Ltd.

Bank could secure business of worth ₹ 55.13 lakh & ₹ 25.86 lakh respectively during FY 2025 and corresponding income of ₹ 7.67 lakh& ₹ 3.69 lakh is received from Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. & Care Health Insurance Co. Ltd. respectively

Income Earned

The details of the income earned are furnished below:

₹ lakh

Particulars	FY 2025
interest received on loans and advances	132518.36
Income on investments	16034,81
Interest on RBI balances and other inter-bank funds	7013,18
Non-interest income	23412,50
Total	178978.85

The share of non-interest income to the total income stood at 13.08%.

Expenditure Incurred

The details of the expenditure incurred are furnished below:

₹ lakh

Particulars	FY 2025
Interest paid on deposits	72873,26
Interest paid on borrowings	24803.34
Interest paid on Inter Bank Participation Certificates issued	5485.97
Other expenditure	32694.32
Total	135856.89






2025



Operating Profit and Net Profit

The Bank has earned operating profit of ₹43121.96 lakh and net profit after tax of ₹30225.25 lakh during FY 2025, as against ₹35637.92 lakh and ₹25191.47 lakh respectively during the preceding FY 2024.



2023

2024

Financial Ratios

2021

Important financial ratios for the current year vis-à-vis that for the previous year are mentioned hereunder:

2022

Particulars	FY 2025	FY 2024
Average Working Funds (₹ Lakh)	1749356,69	1578462.36
Financial Return (% of interest income to average working funds)	8.89	8.42
Financial Cost (% of interest expended to average working funds)	5.90	5.58
Financial Margin (Financial Return – Financial Cost)	2.99	2.84
Operating Cost (% of operating expenses to average working funds)	1,87	1.71
Miscellaneous Income (% of non-interest income to average working funds)	1.34	1.13
Operating Profit (Financial Margin + Miscellaneous Income -Operating Cost)	2.47	2,26
Risk Cost (% of loss provisions made to average working funds)	0.10	0.13
Net Margin (Return on Assets) [% of net profit after tax to average working funds]	1,73	1.60





The Cost to Income Ratio has increased to 43.12% as on 31" March 2025 from 43.04% as on 31" March 2024. On similar computation, the Staff Cost to Income Ratio is worked out to be 29.31% as on 31" March 2025 as against 29.16% as on 31" March 2024

Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank stood at 15.43% as on 31° March 2025, as against the mandatory requirement of 9.00% (Previous year: 13.93%)

Out of the above, the Tier I Capital and Tier II Capital stood at 14.74% and 0.69% respectively.

Income Tax

Advance tax of ₹ 11703.26 lakh was paid to Income Tax Department during FY 2025.

Provision for income tax of ₹ 10727.15 lakh was made for FY 2025. The total estimate of provision for income tax as on 31st March 2025 stood at ₹ 10306.90 lakh.

Human Resources

The Bank has committed staff strength of 1377 comprising 872 Officers, 385 Office Assistants and 120 Office Attendants.

The cadre-wise and grade-wise break-up of manpower in the Bank, as on 31" March 2025, is given hereunder:

Cadre	Grade	No. of staff
Officer	Senior Management Grade-Scale V	3
	Senior Management Grade-Scale IV	30
	Middle Management Grade- Scale III	80
	Middle Management Grade- Scale II	256
	Junior Management Grade- Scale I	503
	Total	872
OAS(Office Assistant)		385
OAT(Office Attendant)		120
	Grand Total	1377







Human Resource Development

During FY 2025, Bank has effected promotions to 132 staff members in different cadres, the details are tabulated below-

Cadre	No. of staff promoted
SMGS-IV to SMGS-V	2
MMGS-III to SMGS-IV	9
MMGS-II to MMGS-III	15
JMGS-I to MMGS-II	42
OAS to OJM-I	30
OAT to OAS	34
Total	132

It is also to be mentioned that 23 Officers got retired during FY 2025.

Learning & Development

our bank has been actively implementing need-based training programs aimed at enhancing the knowledge and skills of all staff members. This initiative reflects our commitment to continuous improvement and professional development within our organization.

For the financial year 2024-25,

- We have successfully trained a total of 1396 individuals through our internal training initiatives which
 includes Induction Training programs for newly recruited as well as promoted candidates, Finacle 10x
 upgradation training program, Pre Examination Training for SC, ST, OBC candidates for Internal
 promotions across various cadres etc
- In addition to our internal training programs, 67 individuals received training at renowned External Training institutes like BIRD, Lucknow, NIBSCOM, Noida, BIRD, Mangalore, CAB, Pune etc. on different aspects of the banking
- We also adapted to the changing landscape by facilitating virtual training for 106 individuals through esteemed external training institutes like IIBF, Kolkata, NIBSCOM, Noida.

These training efforts demonstrate our commitment to enhancing the skills and knowledge of our workforce, ensuring we remain competitive and well-equipped to meet the challenges ahead





Staff Welfare

Pension Fund for payment of pension to employees in terms of the CGGB (Employees') Pension Regulations, 2018 (as notified in the official gazette by Government of India on 12.12.2018) is created and ₹14817.00 lakh was provided for, in Schedule 11 of the balance sheet as on 31" March 2019.

Bank appointed LIC of India as Fund Manager for the pension fund. The total payment made to LIC of India during FY 2025 towards pension fund stood at ₹ 220,00 lakh.

Bank made the following payments towards Group Gratuity, as per the actuarial valuation, during the current financial year -

Name of the Insurance Company	Amount in ₹ lakh
Star Union Dai-ichi	226.00
PNB MetLife	100,00
Aditya Birla Sunlife	100,00
Pramerica	75.00
Reliance Nippon Life Insurance	75,00
IFLI	75,00
LIC	5.01
Total	656.01

Bank made the following payments towards Group Leave Encashment Scheme, as per the actuarial valuation, during the current financial year –







Name of the Insurance Company	Amount in ₹ lakh
Star Union Dai-ichi	100,00
PNB MetLife	100,00
Aditya Birla Sunlife	100,00
Pramerica	75.00
Reliance Nippon Life Insurance	75.00
Kotak Life	75.00
IFLI	50.00
LIC	478.15
Total	1053.15

Bank also made contributions of ₹1155.97 lakh through Stock Holding Corporation of India Ltd., the Fund Manager for NPS, to NSDL in respect of the employees covered under National Pension System (NPS).

The bank had Group Term Plan with India First Life Insurance Company Ltd. (IFLIC) as a staff welfare measure in lieu of EDLI. The annual premium is being paid for coverage of ₹ 7.00 lakh insurance to all staff members, in case of death.

The Medical Insurance Scheme for Staff is renewed, during the year under report, with National Insurance Company Ltd. on 6th April 2024, as per Ministry of Finance, GoI, letter dated 20th October 2016 issued in terms of 7th Joint Note dated 25th May 2015 on Salary revision and 10th Bi-Partite Settlement between IBA and Employees' Unions of PSBs. The coverage for Officers, Office Assistants and Office Attendants, along with their dependents, is ₹ 4.00 lakh, ₹ 3.00 lakh and ₹ 3.00 lakh respectively.

Implementation of revised Pension Scheme w.e.f. 01.11.1993

As per the DFS Circular F.No.8/4/2024-RRB dt.03.10.2024 and F.No.8/2/2010-RRB dt.03.10.2024, bank has implemented the Pension scheme w.e.f. 01.11.1993 and necessary amendment was made in CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK (Employees') Pension Regulations, 2018 and published in Gazette of India on 06.11.2024. As per the revised guidelines, 4 new pensioners have been added and an amount of ₹537.23 lakh as arrears were paid to 33 regular pensioners, 26 family pensioners & the said 4 new pensioners as per the revised guidelines.

Amendment to Staff Service Regulations, 2010

The bank has carried out amendment to CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK (Officers & Employees) Service Regulations and published in Gazette of India on 06.11.2024 in line with guidelines issued by NABARD vide Ref.No.NB.HO.IDD.Policy/182/316(Service Regulation)/2024-25 dated 13.06.2024.





Industrial Relations

The industrial relations atmosphere in the Bank during the year under report has been healthy and very cordial.

SC/ST Welfare

A separate SC/ST cell is functioning at Head Office as per guidelines. The General Manager in charge of HR department is currently the Liaison Officer. Structural Meetings are held with SC/ST Employees' Welfare Association during the year under report as required. The representation of SCs and STs stood at 242 and 95 respectively, among the total staff strength of 1377 in the Bank.

IBPS-RRB-CRPXIII-Interviews

The Bank has successfully conducted interviews under Common Recruitment Process (CRP)-XIII, for all RRBs in Andhra Pradesh state, on behalf of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS), as Nodal Bank, for Officer – Scale I, II and III posts, during the year under reference.

Risk Management

The Bank has put in place a comprehensive "Asset Liability Management Policy" for the management of liquidity and market risks as per the NABARD/RBI guidelines.

Asset-Liability Committee [ALCO] oversees the ALM in the Bank and deliberates on liquidity and interest rate scenario in the market. ALCO regularly monitors the identification, measurement, monitoring and mitigation of market risk in liquidity and interest rates.

Asset Liability Committee [ALCO] meets at regular intervals to provide guidance and directions in implementing the risk management initiatives of the Bank. The Management Information System (MIS) required for ALM is being tracked from CBS to the maximum extent.

The 'liquidity risk' is measured and managed through gap analysis for maturity mismatches based on residual maturity. The liquidity position of the bank is assessed by means of Structural Liquidity Statement and projections made in Short Term Dynamic Liquidity Statement. For assets and liabilities, which are of non-maturity nature, Bank is conducting behavioral studies and factoring the observations in the gap analysis. Prudential limits are fixed as per NABARD guidelines and these limits are measured and monitored regularly.

The 'interest rate risk' is also managed through gap analysis.

The ALM status note is being put up to the Board for approval every quarter regularly and the board resolution is submitted to NABARD. However, ALM status note is being prepared by Integrated Risk Management Department (IRMD) every month and put up to top management of the Bank.







Operational Risk Management

To have a consistent and effective operational risk management framework which can help achieve organizational objectives with enhanced performance, a booklet in the form of "Dos and Don'ts" on Operational Risk Management is brought out.

Credit transactions in staff accounts of $\leq 50,000$ /- and above in cash and ≤ 1 lakh and above by transfer are monitored on monthly basis regularly.

Our Bank is a member of Group Risk Management Committee (GRMC) of Union Bank of India, our sponsor bank, as its Associate. The risk appetite, risk profile, risk impact, probability of risk and also the direction of risk are assessed at half-yearly intervals by the said committee and guidance is provided to our RRB for risk mitigation wherever necessary. Reputation risk and Concentration risk are also monitored and guided by the sponsor bank.

The meetings of the Risk Management Committee (RMC) of the Bank are conducted once in a quarter with the participation of senior level functionaries of the sponsor bank as invitees, for effective review and enhanced level of risk assessment in varied dimensions.

Security Arrangements

Bank has drawn up plans and taken up measures to strengthen the security arrangements at all our branches. Security Inspection is being conducted at the branches to monitor security arrangements at the branches. Lapses in security arrangements are being identified and rectified.

As a part of enhancing security and ambience, 17 branches are shifted to new premises during FY 2025.

As a part of strengthening the Security Alarm system, the new GSM SIM / Land Line enabled auto dialer control panel Security Alarm Systems are introduced. The new alarm system is installed in our newly opened 11 branches and 9 existing branches during FY 2025. For the remaining branches, installation of the new alarm system is being carried out in a phased manner.

Technology Adoption

In the last financial year, the Information Technology Department has spearheaded a range of strategic initiatives aimed at enhancing the Bank's technological infrastructure and improving the overall customer experience. These initiatives reflect our unwavering dedication to sustaining our leadership in digital banking, enhancing operational efficiency and bolstering the trust our customers have in us.

The major technological innovations and improvements that have played a crucial role in the digital transformation of our Bank during FY2025 are detailed below:





1. CBS Upgradation:

In FY2025, the Bank initiated a significant enhancement of its Core Banking System as part of its comprehensive technological transformation strategy. This effort was designed to improve the reliability of banking operations, ensure adherence to changing regulatory requirements and provide an exceptional customer experience.

Prior to the migration, thorough evaluations of the system, upgrades to the infrastructure and training for staff were conducted to facilitate a seamless and secure transition. The Bank actively communicated with customers and stakeholders through various channels to keep them updated throughout the process.

The migration was strategically planned for a weekend to reduce any potential disruption to regular banking services and was successfully completed, with the new system fully operational in all branches by October 28, 2024.

2. Advanced Payment Solutions:

UPI QR codes were successfully implemented, marking a significant milestone in the Bank's digital payments journey. Our Bank became the first Regional Rural Bank (RRB) in the country to introduce UPI QR codes with its own handle @mycggb. This initiative has notably accelerated the adoption of digital payments in the Bank's rural areas of operation.

Since the launch in July 2024, the Bank has issued 20,000 UPI QR codes to small vendors, street hawkers, professionals, and artisans across its operational region, as of March 31, 2025. The initiative has demonstrated remarkable performance, recording 9,51,808 transactions with a total transaction value of ₹7,285.38 lakh.

The UPI QR code service continues to gain strong traction and is expected to witness substantial growth as more users adopt digital payment methods.

3. Upgrade to Internet Banking Platform:

The Bank's Internet Banking platform underwent significant upgrades during the year, introducing a host of new features such as online standing instruction facilities, Green PIN generation, online fixed deposits (FDs), deposit advice and closure, as well as a variety of fund transfer options including IMPS, NEFT, RTGS, loan repayments and multiple registration methods.

As of March 31, 2025, the upgraded platform has recorded 13,526 registrations. It offers a modern, user-friendly interface designed for navigation and accessibility across all digital devices.

To ensure the security, the platform incorporates safeguards such as multi-factor authentication and end-to-end encryption, protecting customer data and transactions from potential cyber threats.

Currently, 22 services are available on the platform, catering to a wide spectrum of customer needs and further strengthening our digital banking capabilities







4. Saving Account Opening through VKYC in WhatsApp Banking:

To enhance customer convenience and provide banking services through familiar digital channels, the Bank launched WhatsApp Banking, enabling users to perform basic banking operations seamlessly within their daily digital interactions.

Launched on September 11, 2023, WhatsApp Banking recorded 86,303 registrations by March 31, 2025. In FY2025, the Bank introduced a Savings Account opening facility via Video-KYC through its existing WhatsApp Banking service. This allows new customers to open savings accounts by simply filling out a form, complementing the Video-KYC feature already available on the Bank's website

Additional services in Loan Origination System (LOS):

The Bank implemented a Loan Origination System (LOS) to automate and optimize the loan application process. This system significantly enhances the speed, accuracy, and efficiency of loan processing, thereby improving the overall customer experience and advancing our strategic objectives of operational excellence and customer satisfaction.

Initially launched for gold loans, the LOS has since been expanded to include Kisan Credit Card (KCC) and Self Help Group (SHG) loans, in FY2025 offering a streamlined and efficient loan journey for a wider range of customers.

Since its launch on December 21, 2023, the system has successfully processed 5.52 lakh loan accounts, amounting to a total disbursement of ₹6,978.38 crore as of March 31, 2025.

6. Launch of CGGB FacePay:

To enhance banking accessibility, particularly for rural and less tech-savvy customers, the Bank launched the CGGB Face Pay Kiosk, a branch-level solution that uses facial authentication to simplify transactions such as cash withdrawals.

Customers can authenticate themselves without the need for account numbers, mobile devices, or physical documents. The kiosk supports vernacular languages with both text and voice-guided instructions, ensuring ease of use for all customer segments. By offering a simple and secure transaction experience, the kiosk experience builds customer trust and encourages users to gradually adopt other digital banking services such as Mobile Banking and Internet Banking.

The initiatives introduced over the past year reflect our ongoing effort to make banking more inclusive and responsive to the evolving needs of our customers. By embracing new technologies across core banking, digital platforms, lending and customer onboarding, we have not only improved how we operate but also how we connect with the people we serve especially in rural and underserved areas. As we move forward, we remain committed to using technology effectively, ensuring our services stay secure, efficient, and accessible to all.





Financial Inclusion Initiative

As part of the Financial Inclusion (FI), Bank has engaged BC Agents in 245 villages, viz. Guntur District: 13, Bapatla District: 20, Palnadu District: 118, East Godavari District: 7, Kakinada District: 29, Dr.B.R.Ambedkar Konaseema District: 19, Eluru District: 15 and West Godavari District: 24.

Bank is implementing digital banking services from 22nd Jan 2015 with the support of Technical Service Providers (TSPs). Presently, M/s Magnot Consultancy Services Pvt. Ltd. as Corporate Business Correspondent (CBC) for providing BC services with effect from 01.09.2024.

Implementation of FI during FY 2024-25 is summarized as hereunder:

S.No.	Parameter	Target for 31"March 2025	Achievement as on 31" March 2025
1	Deployment of Business Correspondents	265	245
2	No. of transactions from 1" April 2024 to 31st March 2025	25,89,996	18,81,383
3	Volume of business	Rs.65538.53 Lakh	Rs.137692.93 Lakh

All BC outlets are active and the details of transactions during the current year and previous year are as under:

Parameter	FY 2024	FY 2025
Total transactions	25,47,594	18,81,383
Volume of business (₹ crore)	1538.08	1376.93
Average no. of transactions per BC per month	928	677
Average remuneration to BC (₹)	9,660	8,098
Transaction cost (₹)	15.28	15.72

Progress under PM's Social Security Schemes:

0.80	Name of the	No. of Accounts/Enrolments		
S.No.	Scheme	FY 2024	FY 2025	
		2,69,753	2,77,833	
1	PMJDY	No. of a/cs transacted:	No. of a/cs transacted:	
		2,48,967	2,57,151	
		Zero balance a/cs: 7.71%	Zero balance a/cs: 7.44%	
2	PMJJBY	4,14,145	5,46,578	
3	PMSBY	7,70,892	10,01,474	
4	PMAPY	1,37,559	1,68,735	







Balances held in PMJDY accounts as on 31" March 2025 stood at ₹8174.94 Lakh.

In respect of PMJDY accounts, the percentage of active Rupay Cards vis-à-vis total Rupay Cards issued by the bank stood at 73% as on 31" March 2025.

Overdraft facility disbursed to eligible PMJDY accounts stood at 2.70% as on 31" March 2025.

Aadhaar Seeding of bank accounts is completed to an extent of 96.69% as on 31" March 2025.

Pradhan Mantri Jan Suraksha Scheme (PMJSS):

Our Honorable Prime Minister, in his Independence Day 2021 speech announced the launch of Saturation drive for Pradhan Mantri Jan Suraksha Schemes (PMJSS) from 02,10,2021.

The objective of the scheme is to achieve saturation coverage of eligible persons under the three Prime Minister's Jan Suraksha Schemes (PMJSS), viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Surakhsa BimaYojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY).

Bank has risen to the occasion and achieved 88.90%, 96.11% and 44.59% of coverage of eligible account holders under PMSBY, PMJJBY and APY schemes respectively till 31" March 2025.

S.No.	Name of the	No. of Enrolments			
SHADE	Scheme	Total Eligible Customers	No. of Enrolments	% of Coverage	
1	PMSBY	11,26,532	10,01,474	88,90	
2	PMJJBY	5,68,682	5,46,578	96.11	
3	APY	3,78,427	1,68,735	44.59	

PMJSS Drive - (from 02.10.2021 to 31.03.2025):

Name of the Scheme	Progress under PMJSS Drive 1st Round (from 02,10,2021 to 30,09,2022)	Progress under PMJSS Drive 2nd Round (from 01.10.2022 to 31.03.2023)	Progress under PMJSS Drive 3rd Round (from 01.04,2023 to 31.03.2024)	Progress under PMJSS Drive 4th Round (from 01,04,2024 to 31,03,2025)
PMJDY	19,937	7,275	35,265	8,102
PMJJBY	22,167	25,955	85,898	1,32,433
PMSBY	41,496	35,006	1,02,776	2,30,582
APY	21,209	12,232	31,012	29,763

Bank has also conducted special camps on PMJSS for achieving the above progress.





Financial Literacy Centers (FLCs):

FLC camp details:

Bank has appointed three FL counsellors at Guntur FLC and conducting Financial Literacy Awareness Camps (FLACs) as per the targets given by RBI. A total of 1,611 FLACs are conducted from Apr '24 to Mar '25, details are tabulated here below:

S.No.	Type of camps	No. of camps conducted
1	Going Digital	44
2	Target Specific Camps	176
3	Rural Camps	1391
	Total	1,611

All the above programmes are conducted in 1195 villages and through these FLAC programmes a total of 38,924 citizens are covered and educated on Financial Literacy.

Aadhaar Enrollment Centers (AECs):

As per the DFS guidelines the Bank has opened a total of 27 Aadhaar Enrolment Centers (AECs) for taking up enrolments as well as updation activity in the Branches.

The Enrollment & Updation process was initiated by the Bank from Feb 2018 and the total Aadhaar Enrollments & Updates carried out by the Bank are 5,53,863 as on 31 March 2025.

The Total Aadhaar Enrolments & Updates for FY 2024-25 (**excluding New & Mandatory enrollments from Jul'24 to Mar'25) are 53,757.

** Data of new and Mandatory enrollments from Jul'24 to Mar'25 is yet to be received from the UIDAL

The Avg. monthly Aadhaar enrolments & updates per AEC in FY 2024-25 stood at 235.

Internal Inspection

As on 31"March 2025, out of 218 branches eligible for inspection, Regular Internal Inspection of all the branches was completed.

Out of these 218 branches, 176 branches have got 'A' rating, 40 branches have got 'B' rating, 02 branches have got 'C' rating

Necessary follow-up action is taken up on continuous basis for rectification of lapses and deviations that got reported in the inspection reports.







Concurrent Audit

Concurrent audit of branches, by independent chartered accountant firms and a few retired officers of our Bank, was undertaken for 212 branches during the year under review.

Statutory Inspection by NABARD

NABARD has conducted XIV statutory inspection under section 35(6) of Banking Regulation Act 1949, from 18th September 2024 to 09th October 2024, with reference to the financial position of the bank as on 31th March 2024.

Management Audit by Sponsor Bank

Sponsor Bank, i.e. Union Bank of India has conducted the Management Audit (MAD) of the Bank from 03rd July 2024 to 06rd July 2024.

MoU Review by Sponsor Bank

The performance of the bank is reviewed by Executives of Union Bank of India, with reference to Memorandum of Understanding (MoU) with sponsor bank for FY 2025, once in a quarter, which provided valuable insights for the growth of the Bank.

A detailed report for review by sponsor bank, on the performance of the bank under various parameters, is also submitted every quarter to Agri. Business Department, Central Office, Union Bank of India, Mumbai.

Fraud Cases

During the year under report, three fraud incidents at branches were identified. Wherever applicable, loan accounts are categorized as Loss Assets and 100% provision is thus made for them. 100% provision is made separately for the remaining amount of loss to the bank as on 31" March 2025.

Preventive Vigilance

The concept of Preventive Vigilance is spread among the entire workforce of the bank by conducting awareness programs in a significant way throughout the current year. One session on 'Preventive Vigilance' topic is made mandatory in all the internal training programs conducted for different cadres of staff.

Preventive Vigilance Committees

As advised by Central Vigilance Commission (CVC) through its Vigilance Manual, Preventive Vigilance Committees (PVCs) are established in FY 2022 with the approval of the Board. PVCs are primarily intended at branches with a view to educate the operating staff for curbing the non-observance of the laid down procedures or other malpractices in order to inculcate a culture of alertness at the ground level. These committees are constituted at each branch having staff





strength of 4 or more (from officer and OAS cadres) with a defined agenda for discussion. The said committees are working as intended by the bank.

Vigilance Awareness Week

Our bank has observed the Vigilance Awareness Week-2024 (VAW-2024) along with precursor activities from 16th August 2024 to 15th November 2024 with the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity", as per the guidelines outlined by the Central Vigilance Commission. Vigilance Awareness Week was celebrated in every nook and corner of our bank service area. Through diverse activities such as walkathon, cyclothon, Plantation drives, Blood donation camps, Rangoli, Drawing & Essay writing competitions, SHG Meetings, Flash Mob and Balloon Display, Grama sabhas, our collective efforts were dedicated to Vigilance Awareness Week - 2024.

Our Vigilance Department at CGGB has spearheaded numerous initiatives to conduct Vigilance Awareness programs across various remote service areas of our bank branches. Bank has successfully raised awareness among staff, account holders, villagers, and other stakeholders of the bank, focusing on the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity." Additionally, Bank has created awareness about Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) Complaints, encouraging the submission of written complaints regarding allegations of corruption or office misuse for appropriate action.

Throughout Vigilance Awareness Week 2024, we fostered awareness regarding vigilance and sensitized the general public on the significance of honesty in building a corruption-free nation.

Social Responsibility

As an integral part of our corporate ethos, social responsibility has always been at the forefront of our bank's operations. We firmly believe that our success as a financial institution is intertwined with the well-being and progress of the communities we serve. Therefore, we have consistently endeavored to fulfill our social obligations by engaging in various initiatives aimed at uplifting Society and fostering sustainable development.

In FY 2025, Bank continued its steadfast support for various social causes, in the form of financial support of ₹ 17.18 lakh towards promotion of Agricultural Technologies, Sponsoring community development programs, donating essential food items to the needy during festivals etc.

Internship opportunity of short duration is provided by the Bank to the select undergraduate and postgraduate students belonging to its area of operation and a total of 09 students derived the benefit out of it.

Awards and Accolades

During the year under reference, a good number of awards and accolades were received by the bank for its performance under various parameters set by the shareholders and notable among them are mentioned hereunder:







Financial Inclusion - APY:

Our Bank has received 'APY Annual Award of Visionary Achiever' for surpassing the APY target given by PFRDA during FY 2024-25. It is apposite to mention that the bank posted a figure of 29,763 APY enrolments of 117 per branch as against the prescribed target of 90 per branch given by PFRDA leading to the said award.

Apart from the above awards, Bank has also received Awards from PFRDA for qualifying in campaigns during the F.Y 2024–25 viz.,

- 1. APY Wondrous Warriors of Winning Wednesday Award for the month of June, 2024
- APY Wondrous Warriors of Winning Wednesday Award for the month of July, 2024
- 3. APY Wondrous Warriors of Winning Wednesday Award for the month of August, 2024
- 4. APY Wondrous Warriors of Winning Wednesday Award for the month of September, 2024
- APY Trendsetters Campaign for (05th Jun to 31th Jul) 2024 and awarded as "Ultimate Trendsetter".
- Early Achievers of APY Campaign for (05th Jun to 30th Sep) 2024 and received "Award of Mega Excellence".
- APY Mega Milestone Campaign for (05th Jun to 05th Oct) 2024–"Exemplary Milestone".
- 8. APY Retirement Revolutionaries Campaign for (05" Aug to 05" Oct) 2024 "Visionary Revolutionary"
- 9. APY Wondrous Warriors of Winning Wednesday Award for the month of February, 2025
- 10. APY Warriors of Winning Wednesday Award for the month of March, 2025
- Amazing Achievers of APY (AAA) Campaign –for (01" January to 31" March) 2025 –"Certificate of Appreciation"

SKOCH Awards:

The bank is adjudged for GOLD award under "Priority Sector Performance" Category & SILVER award under "Technology Upgradation" Category in the 99th SKOCH Summit held on 21,09,2024 at New Delhi

MSME Award:

The bank is adjudged for "MSME Banking & NBFC Excellence Awards, 2024" organized by Chamber of Indian Micro Small and Medium Enterprises (CIMSME), New Delhi for "Jury Appreciation Award for supporting MSMSEs"





New Initiatives/Schemes:

Jan Dhan Plus Programme:

NABARD has partnered with "Women's World Banking" a non-profit organization to implement Jan Dhan Plus programme in RRBs. Bank has launched the programme on 10th September 2024. The programme was successfully implemented in bank in the FY 2024-25.

The main objective of the program is to address key challenges faced by RRBs in Jan Dhan with JD Plus solutions, opportunities exist for an RRB, the role of BCs in Jan Dhan Plus.

Board Meetings

Eight board meetings were convened by the Bank during the calendar year 2024 and a minimum of one meeting was held during each quarter thus meeting the stipulated number for conduct of board meetings.

The number of board meetings held during FY 2025 were Nine in number.

09 Circular Resolutions were passed by the Board of Directors owing to urgency of business and statutory requirements, during the year under reference. All these resolutions are since confirmed by the Board in its next meetings.

Two board level committees, viz. Audit Committee and Special Committee of the Board to monitor Fraud Cases of ₹20.00 lakh and above (SCBF) have met one time each in Four quarters of FY2025.

Two newly constituted board level committees, viz. IT Sub-Committee and IT Strategy Committee have met once during FY2024.

The following Directors have assumed Office during the year under report:

Mr. K Pramod Kumar Reddy, Chairman, Chaitanya Godavari Grameena Bank, Head Office, Guntur

Mr. K Santosh, Assistant General Manager, Foreign Exchange Department (FED), RBI, APRO, Hyderabad-RBI Nominee Director

Mr. Debabrata Tripathy, Dy. General Manager, NABARD - APRO, Hyderabad-NABARD Nominee Director

Mr. C V N Bhaskara Rao, General Manager, Zonal Head, FGM Office, Vijayawada-Sponsor Bank Nominee Director

Ms. S Nagalakshmi, LAS, Collector and District Magistrate, Collectorate, Guntur - Govt. of A.P. Nominee Director

The following Directors have vacated office during the year under Report:

Mr. T Kameswara Rao, Chairman, Chaitanya Godavari Grameena Bank, Head Office, Guntur







Mr. Rajesh M Deshmukh, Asst. General Manager, Reserve Bank of India, AP-RO, Hyderabad - RBI Nominee Director Ms. B Swati, Dy. General Manager, NABARD-APRO, Hyderabad-NABARD Nominee Director

Mr. A Ravi Kumar, Dy. General Manager, Hyderabad-Sponsor Bank Nominee Director

The Board wishes to place on record its appreciation and gratitude for the valuable services and advice rendered by the Directors who have demitted office during the year under report.

Grateful Acknowledgements

The Board wishes to place on record its appreciation for the patronage extended by its valued customers, which has enabled the Bank to show good business performance during the current year. The Board thanks its clientele for the confidence reposed in the Bank at all times. The Bank renews its obligation for rendering a better customer service way forward.

The Board ardently wishes to thank the shareholders of the Bank, viz. Government of India, Union Bank of India and Government of Andhra Pradesh for their significant support at all levels for the growth and development of the Bank.

The Board also expresses its sincere gratitude to Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Union Bank of India (UBI) for their valuable guidance and encouragement extended to the Management from time to time.

The Board of the Bank also conveys its sincere thanks to the Collector and District Magistrate, District Administration in the eight districts of Guntur, Bapatla, Palnadu, Kakinada, East Godavari, Dr. B R Ambedkar Konaseema, Eluru & West Godavari for their continued support extended to the Bank.

The Board places on record the cooperation and guidance extended by Statutory Central Auditors, M/s Somayajulu & Associates, Visakhapatnam for timely completion of statutory audit of the bank for the current year and expresses its acknowledgement to their valued inputs for scaling up the efficiency in operations of the bank at various functional levels and also complying with the disclosures in the balance sheet in accordance with RBI's Master Direction dated 01.04.2024

The Board also thanks the 17 Statutory Branch Auditors, viz. M/s Challa & Associates, Guntur, M/s S P K R & Associates, Vijayawada, M/s K L N Murthy & Co, Guntur, M/s Smita Sharma & Associates, Nizamabad, M/s Mohi & Associates, Rajamahendravaram, M/s Ratna & Associates, Nizampatnam, M/s T P K & Associates, Kakinada, M/s SSVM & Co, Tirupati, M/s SNMR & Associates, Tadepalligudem, M/s MASB & Associates, Vijayawada, M/s T Nehru & Co, Vijayawada, M/s Chinta Krishna Rao & Co, Guntur, M/s P Gopal & Associates, Tirupati, M/s Balagangadhar & Co, Ongole, M/s Chinni Perumalla & Associates, Nellore, M/s S Hariharasudan & Associates, Madanapalle and M/s Punnaiah & Co, Guntur for their cooperation and completion of the statutory audit within the







given timeline.

The Board places on record its appreciation for all the staff members for their enthusiastic involvement in the growth and development of the Bank. It is due to their unstinted efforts that the Bank could post good performance during this year and could surpass the targets under the MoU and also under 'Roadmap – FY2025' under many parameters. The Board looks forward for their impressive drive and lasting efforts for the overall development of the Bank in upcoming years also.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS

K Pramod Kumar Reddy Chairman

K Santosh Nominee Director RBI

C V N Bhaskara Rao Nominee Director Union Bank of India

D Tripathy Nominee Director NABARD

S Srinivas
Nominee Director
Union Bank of India

Place: Guntur Date: 25.04.2025







KEY PERFORMANCE INDICATORS

Amount ₹ lakh

S.No.	Key Performance Indicators	FY 2023	FY 2024	FY 2025
1	No. of Districts covered	8	8	8
2	No. of Branches	249	265	276
	a) Rural	142	147	157
	b) Semi-Urban	79	86	87
	c) Urban	28	32	32
3	Total Staff	1299	1261	1377
	a) Officers	785	784	872
	b) Office Assistants	355	320	385
	c) Office Attendants	159	157	120
4	Deposits	855877.71	1002892.09	1211338.65
	Growth %	17.45	17,18	20.78
5	Loans & Advances	982342.59	1241515.15	1415928.09
	Growth %	21.38	26,38	14.05
	Loans & Advances net of IBPC of ₹ 80000 lakh, ₹ 100000 lakh and ₹ 100000 lakh	902342.59	1141515.15	1315928.09
	Growth %	22,05	26.51	15.28
6	Borrowings Outstanding	375993.77	459954.36	420306.10
	Growth %	23.42	22.33	(-)8.62
7	CD Ratio	105.43	113.82	108.63
8	Investments Outstanding	166403.35	212192.20	195926,03
	Growth %	16.28	27,52	(-)7.67
9	Average Deposits	748159.47	908060.04	1085166.64
	Growth %	12.59	21.37	19.50
10	Average Loans & Advances	882063,91	1129494.48	1298655.41
	Growth %	18.74	28,05	14.98
11	Average Borrowings	335486.08	411233.67	380116.22
	Growth %	31.73	22.58	(-)7.57
12	Average Investments	166990.48	232557.00	223315.07
	Growth %	6.19	39.26	(-)3.97
13	Average working Funds	1291342.22	1578462.36	1749356.69





KEY PERFORMANCE INDICATORS

Amount ₹ lakh

	Amount			
No.	Key Performance Indicators	FY 2023	FY 2024	FY 2025
14	Loans Issued during the year			
	a) Loans to Priority sector	790351.49	980411.88	1082987.03
	b) Loans to Non-Priority Sector	51991.84	71344.66	70339.46
	e) Total Loans issued	842343.33	1051756,54	1415928.09
15	per-Branch Business	7061.13	8092,10	9156,76
16	per-Employee Business	1349,55	1694.75	1771.24
17	Recovery Performance (% of Collection to Demand)	73.10	73.69	73.41
18	Classification of Advances			
	a) Standard Assets	976633,96	1233778.96	1408749.02
	b) Sub-standard assets	2290,07	4217.59	2366,70
	c) Doubtful Assets	2950.81	2981.92	4707.40
	d) Loss Assets	467.75	536,68	104.97
	Total NPAs	5708.63	7736.19	7179.07
	Total Advances	982342,59	1241515.15	1415928.09
19	% of Standard Assets to Gross Advances Outstanding	99,42	99.38	99.49
20	Interest Paid on			
	a) Deposits	39510.88	57955.99	72873.26
	b) Borrowings	17136.75	25296,55	24803,34
21	Salary & Allowances	20935.87	18241.37	22223.46
22	Other Operating expenses	7895.99	8684.59	10470,86
23	Provisions made against Loans and Advances			
	a) Against NPA	5708,63	7736.19	7179,07
	b) Other Provisions	4736,11	4717.48	5126.43
	Total	10444.74	12453.67	12305.50
24	Interest Received on			
	a) Loans & Advances	85517.92	110456,00	132518.36
	b) Investments	11723.49	16381,64	16034.81
25	Other Income	15828,49	17780.16	23412.50
26	Profit Before Tax	31733.78	33593,55	40952.39
27	Profit After Tax	23234.33	25191.47	30225,25
28	Cost to Income Ratio	47.34	43.04	43.12







Independent Auditor's Report

To
The Shareholders of
CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying standalone financial statements of Chaitanya Godavari Grameena Bank ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2025, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Central Office and
 - 48 branches audited by us and
 - 147 branches audited by statutory branch auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 81 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 22.83% of advances, 24.35% of deposits, 22.47% of interest income and 22.58% of interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

- a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31" March, 2025;
- b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit/loss (as applicable); and
- c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's





Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matters

3. We did not audit the financial statements / information of 147 branches, included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 11372 Crores as at 31" March 2025 and total revenue of Rs. 924.65 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches and processing centers cover 55.76% of advances, 62.45% of deposits and 63.22% of non-performing assets as at 31" March 2025 and 59.44% of revenue for the year ended 31" March 2025. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

4. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (*RBI*) from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to







continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

- 5. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
 - As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
 audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may east
 significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty
 exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements
 or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
 obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to
 continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
 whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
 presentation.







Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
 - Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5, 7 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank, and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- 7. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17th, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:







- (a) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
- (b) The observation or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank are-Nil -
- (c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.
- (d) The qualification, reservation or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are -Nil-
- (e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements as at 31" March 2025.

8. We further report that:

- a. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books [and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us]
- b. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account [and with the returns received from the branches not visited by us];
- c. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d. In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

As per our report of even date For Somayajulu & Associates Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara) Partner

M No. 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

Place: Guntur

Date: 25.04.2025





ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph 9(e) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

Opinion

We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK ("the Bank") as at March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of the Bank's branches.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements and such Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2025, based on

[for example, "the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India"].

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on Banking Regulation Act, 1949. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the







Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.





Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Other Matters

Our aforesaid report insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of 147 (number, specify scoped in / IFCoFR reporting branches) branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

As per our report of even date For Somayajulu & Associates Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara) Partner M No. 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

Place: Guntur

Date: 25.04.2025







CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK

Sponsored by Union Bank of India HEAD OFFICE :: GUNTUR



BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2025

Rs in '000

PARTICULARS	SCHEDULE	31.03.2025	31.03.2024
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	74422	74422
Reserves and Surplus	2	15473387	12450862
Deposits	3	121133865	100289209
Borrowings	4	42030610	45995436
Other Liabilities and Provisions	5	2978347	2367634
TOTAL		181690631	161177563
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	6417748	7710215
Balance with banks and money at call and short notice	7	19324802	14948465
Investments	8	19592603	21219220
Advances*	9	130874902	113377897
Fixed Assets	10	489229	263100
Other Assets	11	4991347	3658666
TOTAL		181690631	161177563
Contingent Liabilities	12	395750	381268
Bills for Collection		292409	466617





As per our report of even date
For SOMAYAJULU & ASSOCIATES

Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara)

Partner M No. 224407

M No. 224407 UDIN: 25224407BMGPQZ6827

BOARD OF DIRECTORS

K Pramod Kumar Reddy Chairman

K Santosh

Nominee Director, RBI

C V N Bhaskara Rao

Nominee Director, Union Bank of India

D Tripathy

Nominee Director, NABARD

S Srinivas

Nominee Director, Union Bank of India

Place: Guntur Date: 25.04.2025







CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK

Sponsored by Union Bank of India HEAD OFFICE :: GUNTUR



PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

Rs in '000

PARTICULARS	SCHEDULE	31.03.2025	31.03.2024
I. INCOME			
Interest Earned	13	15556635	13288120
Other Income	14	2341250	1778016
TOTAL		17897885	15066136
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	10316257	8809748
Operating Expenses	16	3269432	2692596
Provisions and Contingencies		1289671	1044645
TOTAL		14875360	12546989
III. PROFIT/LOSS			
Net Profit/Loss(-) for the year		3022525	2519147
Profit/Loss(-) brought forward		100	100
TOTAL		3022625	2519247
4. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserves		604505	510000
Transfer to Other Reserves		2418020	2009147
Transfer to Government/proposed dividend		0	0
Balance carried over to balance sheet		100	100
TOTAL		3022625	2519247





As per our report of even date
For SOMAYAJULU & ASSOCIATES

Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara)

Partner M No. 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

BOARD OF DIRECTORS

K Pramod Kumar Reddy Chairman

K Santosh

Nominee Director, RBI

C V N Bhaskara Rao

Nominee Director, Union Bank of India

D Tripathy

Nominee Director, NABARD

S Srinivas

Nominee Director, Union Bank of India

Place: Guntur Date: 25.04.2025









Sponsored by Union Bank of India HEAD OFFICE :: GUNTUR

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET FOR MARCH 2025

SCHEDULE-1 CAPITAL

Rs in '000

	31.03.2025	31.03.2024
Authorised Capital	20000000	20000000
(200,00,00,000 Shares of Rs.10 each)		
Issued Capital	74422	74422
(74,42,200 shares of Rs.10/- each)		
Subscribed Capital	74422	74422
(74,42,200 shares of Rs.10/- each)		
Called-up Capital	74422	74422
(74,42,200 shares of Rs.10/- each)		
Less: Calls unpaid	0	
Add: Forfeited shares	0	.0
Paid up Capital	74422	74422
Total	74422	74422





SCHEDULE-2 RESERVES & SURPLUS

Rs in '000

RESERVES & SURFLUS		KS III '00	
	31.03.2025	31.03.2024	
I-Statutory Reserves			
A. Opening balance	2502153	1992153	
B. Additions during the year	604505	510000	
C. Deductions during the year	0	0	
II-Capital Reserves			
A. Opening balance	24000	24000	
B. Additions during the year	.0	0	
C. Deductions during the year	0	0	
III- Share Premium			
A. Opening balance	0	0	
B. Additions during the year	0	0	
C. Deductions during the year	0	0	
IV-Revenue and Other Reserves			
A. Opening balance	9924609	7915462	
B. Additions during the year	2418020	2009147	
C. Deductions during the year	0	0	
V-Balance in Profit & Loss A/c	100	100	
Total (I,II,III,IV and V)	15473387	12450862	

SCHEDULE- 3 DEPOSITS

		31.03.2025	31.03.2024
A.I-Dema	nd Deposits		
i)	From Banks	0	0
ii)	From Others	3528716	2080594
II-Savir	ngs Bank Deposits	29737870	26370236
III-Tern	Deposits		
i)	From Banks	8826264	733159
ii)	From Others	79041015	71105220
	Total (1,11 and 111)	121133865	100289209
B. (i)	Deposits of branches in India	121133865	100289209
(ii) Deposits of branches outside India	0	0
	Total (i and ii)	121133865	100289209







SCHEDULE-4 BORROWINGS

Rs in '000

	31.03.2025	31.03.2024
I. Borrowings in India		
(a) Reserve Bank of India	0	
(b) Other Banks	29	541337
(c) Other Institutions & Agencies -NABARD	42030581	45454099
II. Borrowings outside India	0	(
Total(I and II)	42030610	45995430
Secured borrowings included in I and II above	42030610	45995436

SCHEDULE- 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

Rs in '000

	31.03.2025	31.03.2024
Bills payable	29704	39127
II. Inter-office adjustments (net)	0	(
III. Interest accrued	109847	103364
IV. Others(including provisions)	2838796	2225143
Total (I, II, III and IV)	2978347	2367634

SCHEDULE- 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

	31.03.2025	31.03.2024
I. Cash in hand	996429	901675
II. Balances with Reserve Bank of India		
i) In Current Account	4361319	4398540
ii) In Other Accounts	1060000	2410000
Total (I and II)	6417748	7710215





SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

Rs in '000

		RS In 'U
	31.03.2025	31.03.2024
LININDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	16299295	14792881
b) in Other Deposit Accounts	3025507	155584
(ii) Money at Call & Short Notice		
a) with Banks	0	0
b) with Other Institutions	0	.0
Total (i and ii)	19324802	14948465
II. OUTSIDE INDIA		
i) in current accounts	0	0
ii) in other deposit accounts	0	0
iii) Money at call and short notice	0	0
Total (i,ii and iii)	0	0
Grand Total (I and II)	19324802	14948465

SCHEDULE- 8 INVESTMENTS

		31.03.2025	31,03,2024
I. Inv	estments in India in		
i)	Government Securities	18859971	20246595
ii)	Other approved Securities	0	.0
iii)	Shares	0	0
iv)	Debentures and Bonds	732632	832632
v)	Subsidiaries and/or joint ventures	0	(
vi)	Others - Mutual Funds	0	139993
	Total (i,ii,iii,iv,v and vi)	19592603	21219220
Π. In	vestments outside India in		
i)	Government securities (including local authorities)	0	0
ii)	Subsidiaries and/or joint ventures abroad	0	0
iii)	Others investments	0	0
	Total (i,ii and iii)		
	Grand Total (I and II)	19592603	21219220









SCHEDULE - 9 ADVANCES

		31.03.2025	31.03.202
A. (i)	Bills Purchased and discounted	24715	76678
(ii)	Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand*	114175179	98188903
(iii)	Term Loans	16675008	15112316
	Total (i,ii and iii)	130874902	113377897
B. (i)	Secured by Tangible Assets*	127835030	110200760
(ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	0	(
(iii)	Unsecured	3039872	3177137
	Total (i,ii and iii)	130874902	113377897
C.I.Adv	rances in India		
(i)	Priority Sectors*	118532545	102669028
(ii)	Public Sector	0	(
(iii)	Banks	0	(
(iv)	Others	12342357	10708869
	Total (i,ii and iii,iv)	130874902	113377897
*Advance	es are netted of IBPC of Rs.1000 erore as on 31.03.2025 a	and Rs 1000 crore as on 31.0	3.2024
C.II. Ad	vances outside India		
(i)	Due from Banks	0	(
(ii)	Due from others	0	(
	(a) Bills Purchased and discounted	0	(
	(b) Syndicated loans	0	(
	(c) Others	0	(
	Total (i and ii)	0	(
	Grand Total (C.I and II)	130874902	113377897







SCHEDULE- 10 FIXED ASSETS

Rs in '000

	31.03.2025	31,03,2024
I. Premises	0	0
At cost as on 31st March of the preceding year	0	0
Additions during the year	0	0
Deductions during the year	0	0
Depreciation to date	0	.0
II. Other Fixed Assets(including furniture and fixtures)		
At cost as on 31st March of the preceding year	263100	264525
Additions during the year	361646	73439
Deductions during the year	2121	412
Depreciation to date	133396	74452
Total(I and II)	489229	263100

SCHEDULE-11 OTHER ASSETS

ACC III		
	31.03.2025	31.03.2024
I. Inter office adjustments(net)	0	0
II. Interest accrued	1359057	1252645
III. Tax paid in advance/tax deducted at source	1176479	956662
IV. Stationery and stamps	22112	22012
V. Non banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI. Others		
(i) Pension Fund	0	0
(ii) Deferred Tax assets	0	72257
(iii) Others	2433699	1355090
Total (I,II,III,IV,V and VI)	4991347	3658666







SCHEDULE- 12 CONTINGENT LIABILITIES

Rs in '000

		31.03.2025	31,03,2024
l.	Claims against the banks not acknowledged as debts	0	0
П.	Liability for partly paid investments	0	0
Ш.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	0	0
IV.	Guarantees given on behalf of constituents	0	0
	(a) In India	157985	181704
	(b) Outside India	0	0
V.	Acceptances, Endorsements and other Obligations	0	0
VI,	Other items for which the bank is contingently liable (DEAF Account)	237765	199564
	Total (I,II,III,IV,V and VI)	395750	381268

SCHEDULE- 13 INTEREST EARNED

Rs in '000

		31.03.2025	31.03.2024
I.	Interest/ discount on advances/bills	13251836	11045600
11.	Income on investments	1603481	1638164
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	701318	604356
IV.	Others	0	0
	Total (I,II,III and IV)	15556635	13288120

SCHEDULE- 14 OTHER INCOME

		31.03.2025	31.03.2024
I.	Commission, exchange and brokerage	49930	47165
11.	Profit on sale of Investments	144214	29787
	Less: Loss on sale of investments	0	0
Ш.	Profit on revaluation of Investments	0	0
	Less: Loss on revaluation of investments	0	0
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	1023	726
	Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	0	0
V.	Profit on exchange transactions	0	0
	Less: Loss on exchange transactions	0	
VI.	Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/companies and/or joint ventures abroad/in India	0	C
VII	Miscellaneous Income	2146083	1700338
	Total (I,II,III,IV,V,VI and VII)	2341250	1778016







SCHEDULE- 15 INTEREST EXPENDED

Rs in '000

		31.03.2025	31.03.2024
L	Interest on deposits	7287326	5795599
П.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	2480334	2529655
Ш.	Others	548597	484494
	Total (I,II and III)	10316257	8809748

SCHEDULE- 16 OPERATING EXPENSES

	31.03.2025	31.03.202
Payments to and provisions for employees	2222346	1824137
II. Rent, taxes and lighting	105075	92343
III. Printing and stationery	16035	14859
IV. Advertisement and publicity	5507	8659
V. Depreciation on Bank's property	133407	74452
VI. Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII. Auditor's fees and expenses (including branch auditors)	3955	4264
VIII. Law charges	604	1304
IX. Postage, telegrams, telephones etc	4061	3986
X. Repairs and maintenance	12985	15706
XI. Insurance	180614	165913
XII. Other Expenditure	584843	486973
Total (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI and XII)	3269432	2692596

[#] previous year figures are re-grouped wherever necessary







CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK

Sponsored by Union Bank of India HEAD OFFICE :: GUNTUR

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Section I

Reserve Bank of India (RBI) issued a Master Direction on Financial Statements – Presentation and Disclosures vide reference no. DOR.ACC.REC.No.46/21.04.018/2021-22 [RBI/DOR/2021-22/83] dated 30.08.2021 (as updated on 01.04.2025)

The said Master Direction is applicable to Regional Rural Banks to the extent that they are relevant having regard to their business operations.

- Part B of Annexure II of the said Master Direction provides guidance on specific issues with respect to certain Accounting Standards.
- The following Accounting Standards are adopted as provided in the Master Direction by the Bank:
 - Accounting Standard 5 Net Profit or Loss for the period, Prior period items and Changes in Accounting Policies
 - (ii) Accounting Standard 9-Revenue Recognition
 - (iii) Accounting Standard 17 Segment Reporting
 - (iv) Accounting Standard 18 Related Party Disclosures
 - (v) Accounting Standard 24—Discontinuing Operations
 - (vi) Accounting Standard 25 Interim Financial Reporting
 - (vii) Accounting Standard 26-Intangible Asset
 - (viii) Accounting Standard 28-Impairment of Assets

The guidance notes as provided by RBI on the above Accounting Standards are given hereunder:

1. Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies

The objective of this standard is to prescribe the classification and disclosure of certain items in the statement of profit and loss so that all enterprises prepare and present such a statement on a uniform basis. Accordingly, this Standard







requires the classification and disclosure of extraordinary and prior period items, and the disclosure of certain items within profit or loss from ordinary activities. It also specifies the accounting treatment for changes in accounting estimates and the disclosures to be made in the financial statements regarding changes in accounting policies. Paragraph 4.3 of Preface to the Statements on Accounting Standards issued by the ICAI states that Accounting Standards are intended to apply only to items which are material. Since materiality is not objectively defined, it has been decided that all banks should ensure compliance with the provisions of the Accounting Standard in respect of any item of prior period income or prior period expenditure which exceeds one per cent of the total income/total expenditure of the bank if the income/expenditure is reckoned on a gross basis or one per cent of the net profit before taxes or net losses as the case may be if the income is reckoned net of costs. Since the format of the profit and loss accounts of banks prescribed in Form B under Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 does not specifically provide for disclosure of the impact of prior period items on the current year's profit and loss, such disclosures, wherever warranted, may be made in the 'Notes on Accounts' to the balance sheet of banks.

2. Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

Non-recognition of income by the banks in case of non-performing advances and non-performing investments, in compliance with the regulatory prescriptions of the Reserve Bank of India, shall not attract a qualification by the statutory auditors as this would be in conformity with provisions of the standard, as it recognizes postponement of recognition of revenue where collectability of the revenue is significantly uncertain.

3. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

The indicative formats for disclosure under 'AS 17- Segment Reporting' are provided in the Master Direction under reference

[The format given is adopted and disclosure is made in "Schedule 18 – Disclosure to financial statements - Notes to Accounts"]

Note:

- a) The business segment shall ordinarily be considered as the primary reporting format and geographical segment would be the secondary reporting format.
- b) The business segments will be 'Treasury', 'Corporate / Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other banking operations'
- c) 'Domestic' and 'International' segments will be the geographic segments for disclosure.
- d) Banks shall adopt their own methods, on a reasonable and consistent basis, for allocation of expenditure among the segments.







- e) 'Treasury' shall include the entire investment portfolio.
- f) Retail Banking shall include exposures which fulfil the four criteria of orientation, product, granularity, and low value of individual exposures for retail exposures laid down in Master Directions on Basel III: Capital Regulations (modified from time to time). Individual housing loans will also form part of Retail Banking segment for the purpose of reporting under AS-17.
- g) Corporate / Wholesale Banking includes all advances to trusts, partnership firms, companies, and statutory bodies, which are not included under 'Retail Banking'.
- h) Other Banking Business includes all other banking operations not covered under 'Treasury', 'Wholesale Banking' and 'Retail Banking' segments. It shall also include all other residual operations such as para banking transactions/activities.
- Besides the above-mentioned segments, banks shall report additional segments within "Other Banking Business' which meet the quantitative criterion prescribed in the AS 17 for identifying reportable segments.

4. Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures

An indicative format for disclosure under AS18 – Related Party Disclosures is provided in the Master Direction under reference.

The guidance note provided therein is as under:

- Related parties for a bank are its parent, subsidiary(ies), associates/ joint ventures, Key Management Personnel (KMP) and relatives of KMP. KMP are the whole-time directors for an Indian bank and the Chief Executive Officer (CEO) for a foreign bank having branches in India. Relatives of KMP would be on the lines indicated in section 45 S of the RBI Act, 1934
- ii) The name and nature of related party relationship shall be disclosed, irrespective of whether there have been transactions, where control exists within the meaning of the Standard. Control would normally exist in case of parent-subsidiary relationship. The disclosures may be limited to aggregate for each of the above related party categories and would pertain to the year-end position as also the maximum position during the year.
- iii) The Accounting Standards is applicable to all nationalised banks. The accounting standard exempts state-controlled enterprises i.e., nationalised banks from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises. Thus, nationalised banks need not disclose their transactions with the subsidiaries as well as the RRBs sponsored by them. However, they will be required to disclose their transactions with other related parties





iv) Secrecy provisions: If in any of the above category of related parties there is only one related party entity, any disclosure would tantamount to infringement of customer confidentiality. In terms of AS 18, the disclosure requirements do not apply in circumstances when providing such disclosures would conflict with the reporting enterprise's duties of confidentiality as specifically required in terms of statute, by regulator or similar competent authority. Further, in case a statute or regulator governing an enterprise prohibits the enterprise from disclosing certain information, which is required to be disclosed, non-disclosure of such information would not be deemed as non-compliance with the Accounting Standards. On account of the judicially recognized common law duty of the banks to maintain the confidentiality of the customer details, they need not make such disclosures. In view of the above, where the disclosures under the Accounting Standards are not aggregated disclosures in respect of any category of related party i.e., where there is only one entity in any category of related party, banks need not disclose any details pertaining to that related party other than the relationship with that related party.

5. Accounting Standard 24 - Discontinuing operations

This Standard establishes principles for reporting information about discontinuing operations. Merger/closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank may not be deemed as a discontinuing operation and hence this Accounting Standard will not be applicable to merger / closure of branches of banks by transferring the assets/liabilities to the other branches of the same bank. Disclosures shall be required under the Standard only when: (i) discontinuing of the operation has resulted in shedding of liability and realisation of the assets by the bank or decision to discontinue an operation which will have the above effect has been finalised by the bank and (ii) the discontinued operation is substantial in its entirety.

6. Accounting Standard 25-Interim Financial Reporting

This Standard prescribes the minimum content of an interim financial report and the principles for recognition and measurement in a complete or condensed financial statements for an interim period. The disclosures required to be made by listed banks in terms of the listing agreements would not tantamount to interim reporting as envisaged under AS 25 and as such AS 25 is not mandatory for the quarterly reporting prescribed for listed banks. The recognition and measurement principles laid down under AS 25 shall however, be complied with in respect of such quarterly reports. Half yearly review of accounts shall be applicable for all commercial banks irrespective of whether such banks are listed or not. Banks shall follow the format prescribed by the Department of Supervision, Reserve Bank of India (or National Bank for Agriculture and Rural Development for RRBs) for the purpose

7. Accounting Standard 26-Intangible asset

This Standard prescribes the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another accounting standard. With respect to computer software which has been customized for the bank's use and







is expected to be in use for some time, the detailed recognition and amortization principle in respect of computer software prescribed in the Standard adequately addresses these issues and may be followed by banks. It may be noted that intangible assets recognized and carried in the balance sheet of banks in compliance with AS 26 shall attract provisions of section 15(1) of the Banking Regulation Act 1949, in terms of which banks are prohibited from declaring any dividend until any expenditure not represented by tangible assets is carried in the balance sheet. Banks desirous of paying dividend while carrying any intangible assets in its books must seek exemption from section 15(1) of the Banking Regulation Act, 1949 from the Central Government.

8. Accounting Standard 28 - Impairment of assets

This standard prescribes the procedures that an enterprise applies to ensure that its assets are carried at no more than their recoverable amount. It is clarified that the standard shall not apply to inventories, investments and other financial assets such as loans and advances and shall generally be applicable to banks in so far as it relates to fixed assets. The Standard shall generally apply to financial lease assets and non-banking assets acquired in settlement of claims only when the indications of impairment of the entity are evident.

Section II

The significant accounting policies as approved by our Board and followed by our bank are given hereunder.

The application of these accounting policies is in adherence with the guidance notes detailed in Section I above, from FY 2021-22.

1. General

1.1 Basis of preparation

The Bank's financial statements are prepared on historical cost convention and on accrual basis of accounting, unless otherwise stated, by following going concern assumption and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/ guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI)/ National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Banking Regulation Act, 1949, Regional Rural Banks Act, 1976 as amended up to date, Accounting Standards, Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

1.2 Use of estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's





evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of financial statements. Future results could differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized in the period in which the results are known/materialized.

2. Revenue Recognition:

2.1 Income and Expenditure are generally recognized on accrual basis, except the following:

- Interest on non-performing advances and non-performing investments is recognized based on realization as per prudential norms laid down by Reserve Bank of India, in view of uncertainties of collection of income in such cases.
- Income by way of commission, exchange, brokerage, fee and interest on overdue bills are accounted for on realization.
- iii. Locker rent and commission on bank guarantees are recognized on realization basis.
- iv. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss account and on recovery the same are accounted as income.

2.2 Partial recoveries in non-performing advances are appropriated in the following order of priority:

- i. Expenditure/out of pocket expenses incurred for recovery
- ii. Interest irregularities/accrued interest
- iii. Principal irregularities i.e., Principal outstanding in the account

In case of non-performing advances involving compromise settlements, the recoveries are first adjusted towards principal.

3. Investments:

The guidelines issued by RBI for Investment Portfolio of RRBs are adopted by our Bank.

3.1 Categorization

The entire investment portfolio of the RRBs comprising SLR securities and non-SLR securities are classified under three categories viz. 'Held to Maturity', 'Available for Sale' and 'Held for Trading'.

However, in the Balance Sheet, the investments will continue to be disclosed as per the existing five classifications viz. (1) Government Securities (2) Other Approved Securities (iii) Shares (iv) Debentures & Bonds (v) Others like Mutual Fund Units, etc.

RRBs should decide the category of the investment at the time of acquisition and the decision should be recorded on the investment proposals.







3.2 Definitions

- The securities acquired by the RRBs with the intention to hold them up to maturity will be classified under Held to Maturity (HTM).
- (ii) The securities acquired by the RRBs with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements will be classified under Held for Trading (HFT).
- (iii) The securities which do not fall within the above two categories will be classified under Available for Sale (AFS).

3.3 Valuation

A. In determining the acquisition cost of an investment,

- Brokerage, commission, securities transaction tax and stamp duty paid in connection with acquisition of investments is treated as revenue expenditure.
- Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- (iii) Cost is determined on the weighted average cost method for all the categories of investments.
- B. The investments are valued in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India on the following basis:
 - Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at
 acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the
 period remaining to maturity.
 - The banks should reflect the amortized amount in schedule 13-Interest earned: Item II Income on investments as a deduction.
 - However, the deduction need not be disclosed separately. The book value of the security should continue to be reduced to the extent of the amount amortized during the relevant accounting period.
 - The individual scrips in the Available for Sale category will be marked to market at quarterly or at more frequent intervals. The book value of the individual securities would not undergo any change after the revaluation.
 - iii. The individual scrips in the Held for Trading category will be marked to market at monthly or at more frequent intervals. The book value of individual securities in this category would not undergo any change after marking to market.

3.4 Accounting Procedure:

Investment entries are to be passed at cost price of a Security. Where the cost price of a Security is more than the face value (purchased at premium), the premium has to be amortized over the remaining maturity period of the Security. On the other hand, where the cost price is less than the face value, the difference should be ignored and should not be taken





to income since the amount represents un-realized gain. Profit / Loss on sale of Investments should be treated as per the accounting principles.

3.5 Prudential Norms:

Investments are classified as Performing and Non-Performing, based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

4. Fixed Assets:

- (a) Fixed assets are stated at historical cost net of depreciation.
- (b) Depreciation on fixed assets has been provided as per written down value method as under:
- (i) Rates of depreciation:
 - 10% on Wooden & Steel furniture items and electrical installations etc.
 - 15% on Plant & Machinery, Motor Vehicles (Car & Jeep) and Cycles
 - 60% on Computers, Computer equipment and Software
 - 10% on Library
- (ii) Assets having original cost less than or equal to Rs. 5,000/- will be depreciated 100% leaving a residual value of Rs. 1/- only.
- (iii) In respect of assets purchased during the year, depreciation is provided proportionately as per the number of days the asset is put to use by the bank during the year.
- (iv) Depreciation is calculated in furniture module of the system and the same is provided manually in respect of Library.

5. Impairment of Assets:

The Bank assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. Impairment loss, if any, is provided in the Statement of Profit and Loss to the extent the carrying amount of assets exceeds their estimated recoverable amount.

6. Deposits:

The Bank provides interest at the rate applicable to SB accounts towards interest on overdue deposits in terms of the RBI guidelines.

7. Advances:

- All advances of the Bank have been classified into Performing (Standard) and Non-Performing Assets (Substandard, Doubtful and Loss Assets)
- b. Provision in respect of Non-Performing Assets is made as per the Prudential Norms issued by RBI/NABARD and the provisions are as under:
 - (i) Sub-standard Assets: 15% on secured portion and 25% on unsecured portion
 - (ii) Doubtful Assets under D1 category: 25% on secured portion and 100% on unsecured portion







- (iii) Doubtful Assets under D2 category: 40% on secured portion and 100% on unsecured portion
- (iv) Doubtful Assets under D3 category and loss assets: 100 %
- Provision in respect of Non-performing Assets has been deducted from the advances.
- d. A general provision on Standard Advances (Performing Assets) and floating provision on advances have not been deducted from advances, but are shown under the head "Other Liabilities & Provisions" in the liabilities side of the Balance Sheet.
- Unrealized Interest on Non-Performing assets is not recognized as income.
- f. Partial recoveries in non-performing assets are apportioned first to the charges & interest and thereafter to the principal.

8. Employee Benefits:

8.1 Short Term Employee Benefits

The undiscounted amounts of employee benefits payable wholly within twelve months of rendering the service by employees are classified as short term and are recognized during the period in which the employee renders the related service.

8.2 Long Term Employee Benefits

(i) Defined Contribution Plans

Government of India accorded approval for grant of pension to the employees of RRBs vide its letter F.No. 8/20/2010-RRB dated 23.10.2018. Board vide its resolution no. 2714 dated 30.10.2018 approved adoption of Chaitanya Godavari Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018.

Contributions to the recognized provident fund and/or National Pension Scheme (NPS) shall be made in terms of the said pension regulations.

The accounting shall be made as per the extant guidelines applicable there for, as communicated by Gol/NABARD/Sponsor Bank from time to time.

(ii) Defined Benefit Plans

Employees' gratuity, pension and leave encashment are defined benefit plans

a. Gratuity:

Bank has formulated a trust and the trustees have obtained a Group Gratuity policy with Life Insurance Corporation of India (LIC) to cover the gratuity liability of the employees.

The present value of the Bank's obligations under Gratuity is recognized on the basis of an actuarial valuation as at the year end and the fair value of the Plan Assets is reduced from the gross obligations to recognize the obligation on a net basis.

As per the actuarial valuation given by LIC, the Bank shall make payment to the LIC. The trust shall also make investments with other companies towards gratuity.







b. Pension:

Government of India issued notification on CGGB (Employees') Pension Regulations, 2018 in its official gazette on 12.12.2018 and accordingly "CGGB (Employees') Pension Fund" is constituted by the Bank.

The contribution to the pension fund shall be in terms of the aforesaid regulations. Pension Fund is maintained with LIC of India only.

The accounting shall be made as per the extant guidelines applicable there for, as communicated by Gol/NABARD/Sponsor Bank from time to time.

c. Leave Encashment:

- Encashment of Earned Leaves during the tenure of service on account of LFC/LTC is charged to Profit & Loss Account as and when it arises.
- ii. Towards encashment of earned leave at the time of retirement etc., Bank is maintaining a fund with LIC of India which makes actuarial valuation and accordingly amounts are invested in the fund every year. Funds are invested under Group Leave Encashment Scheme (GLES) with other companies also.

9. Accounting Standard 17: Segment Reporting

In terms of the compliance to the accounting standard, bank has adopted the following:

- i. The business segment is considered as the only reporting format.
- ii. The business segments will be Retail Banking and Treasury only
- iii. The allocation of expenditure among the segments will be made on a reasonable and consistent basis.

10. Accounting Standard 22: Accounting For Taxes On Income

The standard is applied in accounting for taxes on income. This includes the determination of the amount of the expenses or saving related to taxes on income in determination of the amount period and the disclosure of such an amount in the financial statement. This accounting standard provides for creation of either a 'Deferred Tax Asset (DTA)' or a 'Deferred Tax Liability (DTL)' in the books of accounts of the bank.

11. Taxes On Income

- 1 Income tax expenses is the aggregate amount of
 - a. current tax provision and
 - b. deferred tax charge
- Current tax provision is the amount of tax for the period which is determined in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and the rules made there under.
- 3. Deferred tax charge is determined in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 'Accounting for Taxes on Income' issued by the Institute of Chartered Accountants of India and is the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income and reversal of timing differences of earlier years.
- Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.







- Deferred tax assets are not recognized unless there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.
- Deferred tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon the management's judgement
 as to whether realization is considered as reasonably/virtually certain.

12. Accounting Standard 25: Interim Financial Reporting

There shall be a quarterly review by Statutory Central Auditors (SCA) for the period ended 30th June, 30th September and 31st December. Such exercise of quarterly review shall be made with major thrust on the verification of income and expenditure items and not on balance sheet items except to the extent that such items have an impact on the income and expenditure of the bank.

13. Provisions & Contingent Liabilities:

- In conformity with AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank shall recognize provisions only when:
 - a. it has a present obligation as a result of a past event.
 - it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and
 - c. when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

2) No provision is recognized for:

- a. any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the
 occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- any present obligation that arises from past events but is not recognized because
 - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
 - ii. A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.
- 3) All unclaimed liabilities, where amount due has been transferred to Depositor Education and Awareness Fund Scheme [DEAF] of RBI, are reflected as "Contingent Liability – Others, items for which the bank is contingently liable" under Schedule 12 of the annual financial statements.
- 4) Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

14. Net Profit:

The Net Profit disclosed in the Profit and Loss Account is after

- a. Provision on standard assets
- b. Provision on loan losses





- c. Provision for non-performing investments
- d. Provision for depreciation on investments
- e. Provision for taxation
- f. Other usual and necessary provisions

15. Cash Flow Statement:

Cash Flow statement of the Bank is prepared as per AS-3. Cash Flow statement is mainly classified as:

- 15.1 Cash Flow from operating activities: This activity includes cash flow generated from operational activities.
- 15.2 Cash Flow from investing activities: This activity includes cash flow generated by investments.
- 15.3 Cash Flow from financial activities: This activity includes cash flow generated from financial instruments.

As per our report of even date For SOMAYAJULU & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara)
Partner
M No. 224407
UDIN: 25224407BMGPQZ6827

BOARD OF DIRECTORS

K Pramod Kumar Reddy Chairman

K Santosh

Nominee Director, RBI

C V N Bhaskara Rao

Nominee Director, Union Bank of India

D Tripathy

Nominee Director, NABARD

S Srinivas

Nominee Director, Union Bank of India

Place: Guntur Date: 25.04.2025







CHAITANYA GODAVARI GRAMEENA BANK

Sponsored by Union Bank of India HEAD OFFICE :: GUNTUR



DISCLOSURE TO FINANCIAL STATEMENTS - NOTES TO ACCOUNTS

Prepared in accordance with RBI's Master Direction No. DOR.ACC.REC.No.46/21.04.018/2021-22 [RBI/DOR/2021-22/83] dated 30.08.2021 (as updated on 01.04.2025) – Reserve Bank of India (Financial Statements – Presentation and Disclosures) Directions, 2021]

1. Regulatory Capital

(a) Composition of Regulatory Capital

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1)/Paid up share capital and reserves (net of deductions, if any)	1542.98	1233.50
ii)	Additional Tier 1 capital/Other Tier 1 capital	-	-
iii)	Tier 1 capital (i+ii)	1542.98	1233,50
iv)	Tier 2 capital	71.88	57.44
v)	Total capital (Tier 1+Tier 2)	1614,86	1290,94
vi)	Total Risk Weighed Assets (RWAs)	10465.80	9265.76
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)/Paid-up share capital and reserves as percentage of RWAs	14.74	13.31
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.74	13,31
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.69	0.62
x)	Capital to Risk Weighed Assets Ratio (CRAR) (Total capital as a percentage of RWAs)	15,43	13,93
xi)	Leverage Ratio	N.A.	N.A.
xii)	Percentage of the shareholding of		
	(a) Government of India	50,00	50.00
	(b) State Government - Government of Andhra Pradesh	15,00	15.00
	(c) Sponsor Bank - Union Bank of India	35,00	35,00
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year		
xîv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	(4)	2
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year	(#X)	





b) Draw down from Reserves: Bank has not drawn any amount from Reserves during the current financial year 2024-25

2. Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities

As at 31.03.2025

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Day 1	2 to7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 Days to 2 months	Over 2 months and up to 3 Months	and up to 6	Over 6 Months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	167.32	138.28	95,63	435.24	663.95	797,74	1336.08	3055,80	5350,25	25,09	48.01	12113,39
Advances	611.78	71.99	67.35	206.09	612.04	760.21	2344.77	4067.11	865.33	3184.53	1368.08	14159.28
Investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	119.77	431.70	1407.79	1959,26
Borrowings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.32	297.56	2579.06	880.12	306.00	0.00	4203.06
Foreign Currency assets	-	-	2	72	2	2	- 2) .	72	2	2	-
Foreign Currency liabilities	-	-	2	7-	-	-	Ç.	((e		-		,

As at 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Day 1	2 to7 days	8 to 14 days	15 to 30 Days	31 Days to 2 months	Over 2 months and up to 3 Months		Over 6 Months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	years	Over 5 years	Total
Deposits	154.62	76.73	71.59	182.48	310.99	414.03	1104.99	3195.58	4443.83	30.49	43.59	10028,92
Advances	682,43	62.01	81.81	183.65	590.61	678.52	1789.07	3063,85	607.54	3434.33	1241.33	12415.15
Investments	24.00	48,87	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77	1782,75	2121.92
Borrowings	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	513.11	325.01	2287.21	663.40	660,68	96,00	4599,54
Foreign Currency assets	-	11.7	-	7.7	-	ē.	27	9.7	-	-		-
Foreign Currency liabilities		7		72	- 1	=======================================	- 12	-			्र	-







3. Investments

(a) Composition of Investment Portfolio

As at 31.03.2025

(Amount in ₹ Crore)

			Invest	ments i	India			Inve	stments	outside	India	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Securities	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments outside India	Total investments
Held to Maturity												
Gross	1825,93	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825,93	0.00	0.00	0.00	0.00	1825,93
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Net	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93
Available for Sale												
Gross	60.07	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	133.33	0.00	0,00	0.00	0.00	133.33
Less:Provision for depreciation and NPI	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
Net	60.07	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33
Held for Trading												
Gross	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	1886,00	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	1959.26	0.00	0.00	0.00	0,00	1959.26
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Less: Provision for depreciation (MTM losses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1886.00	0.00	0.00	73,26	0.00	0.00	1959,26	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.26





As at 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

			Invest	ments i	India			Inve	stments	outside	outside India	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government Securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments outside India	Total investments
Held to Maturity												
Gross	1804.23	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Net	1804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23
Available for Sale												
Gross	220.43	0.00	0.00	83.26	0.00	14.00	317,69	0.00	0.00	0.00	0.00	317.69
Less:Provision for depreciation and NPI	0,01	0.00	0.00	10,00	0.00	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,01
Net	220,42	0.00	0.00	73.26	0.00	14.00	307.68	0.00	0,00	0.00	0.00	307.68
Held for Trading												
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Investments	2024.66	0.00	0.00	83.26	0.00	14.00	2121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2121,92
Less: Provision for non-performing investments	0.00	0,00	0.00	10,00	0.00	0.00	10.00	0.00	0,00	0,00	0,00	10,00
Less: Provision for depreciation (MTM losses)	0.01	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.01	0.00	0.00	0.00	0,00	0,01
Net	2024.65	0.00	0.00	73.26	0.00	14.00	2111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2111.91







(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(Amount in ₹ Crore)

	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	a) Opening balance	10.01	10.08
	b) Add: Provisions made during the year	0.00	0.01
	c) Less: Write off/write back of excess provisions during the year	10.01	0.08
	d) Closing balance	0.00	10.01
ii)	Movement of Investment Fluctuation Reserve		
	a) Opening balance	11.80	11.80
	b) Add: Amount transferred during the year	0.00	0.00
	c) Less: Drawdown	0.00	0.00
	d) Closing balance	11.80	11,80
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/current category	8.85	3.71

(c) Sale and transfers to/from HTM category

There is no direct sale of securities from HTM category during the current year

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors undertaken by banks at the beginning of the accounting year	569.12	205,90
Direct sales from HTM for bringing down SLR holdings in HTM category consequent to a downward revision in SLR requirements by RBI	Nil	Nil
Sales to the Reserve Bank of India under liquidity management operations of RBI like Open Market Operations (OMO) and the Government Securities Acquisition Programme (GSAP)	Nil	Nil
Repurchase of Government Securities by Government of India from banks under buyback/switch operations	Nil	Nil
Repurchase of State Development Loans by respective state governments under buyback/switch operations	Nil	Nil
Additional shifting of securities explicitly permitted by the Reserve Bank of India	Nil	Nil





(d) Non-SLR investment portfolio

(i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Opening balance	10.00	10,00
b)	Additions during the year since 1" April	0.00	0,00
c)	Reductions during the above period	10,00	0.00
d)	Closing balance	0.00	10.00
e)	Total provisions held	0.00	10.00

(ii) Issuer composition of non-SLR investments

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Issuer	Amount		Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	- 6	3)	(4)		(5)		(6)		(7)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	PSUs	21,50	21,50	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	FIs	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
c)	Banks	49.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Private Corporates	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	Subsidiaries/Joint Ventures	-	-	2 3	-	72.		74	-	2	2
f)	Others	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	Less: Provision held towards depreciation (MTM losses)	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
	Total	73.26#	97.26	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00

[#] Total tallies with corresponding figures in Schedule 8







(e) Repo transactions (in face value terms)

As at 31.03.2025 (Amount in ₹ Crore)

	outst	mum inding the year	outsta	mum inding the year	outsta	iverage inding the year	Outstanding as on March 31st	
	FV1	MV ²	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) Securities sold under repo								
a) Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo								
a) Government Securities	123.24	117.00	883.71	841.01	516.23	506.38	0.00	0.00
b) Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note: 1 - Face Value 2 - Market Value

Transactions in Standing Deposit Facility (SDF) of RBI are excluded from the above disclosure

As at 31.03.2024 (Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31st
i) Securities sold under repo				
a) Government Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) Securities purchased under reverse repo				
a) Government Securities	368.00	1615.00	110.59	0.00
b) Corporate debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Any other securities	0.00	0.00	0.00	0.00





(f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)

As at 31.03.2025

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31st
Securities lent through GSL transactions					
Securities borrowed through GSL transactions					
Securities placed as collateral under GSL transactions		NIL			
Securities received as collateral under GSL transactions					

As at 31.03.2024

(Amount in ₹ Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Total volume of transactions during the year	Outstanding as on March 31st
Securities lent through GSL transactions					
Securities borrowed through GSL transactions			2702		
Securities placed as collateral under GSL transactions			NIL		
Securities received as collateral under GSL transactions					







4. Asset Quality

(a) Classification of advances and provisions held

As at 31.03,2025

(Amount in ₹ Lakh)

	Standard	1	Non-Perfo	rming		
	Total Standard Advances	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening balance	1233778,96	4217,59	2981,92	536.68	7736,19	1241515.15
Add: Additions during the year					2384.83	2384.83
Less: Reductions during the year*					2941.95	2941.95
Closing balance	1308749.02	2366,70	4707.40	104.97	7179,07	1315928,09
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					475.51	475,51
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1360.59	1360.59
iii) Technical /Prudential Write-offs					1105.85	1105.85
iv) Write-offs other than those under (iii) above					0.00	0.00
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	3313.87	4217.59	2981,92	536.68	7736.19	11050.06
Add: Fresh provisions made during the year		A HI SECURITION SOIL			1718.77	1718.77
Less: Excess provision reversed/Write-off loans					2275.89	2275.89
Closing balance of provisions held	3780,39	2366.70	4707.40	104.97	8156.83*	11937.22#
Net NPAs						
Opening balance		0.00	0.00	0.00	0.00	
Add: Fresh additions during the year					0,00	
Less: Reductions during the year					0.00	
Closing balance					0.00	





(Amount in ₹ Lakh)

	Standard						
	Total Standard Advances	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	Total	
Floating Provisions							
Opening balance						1250.00	
Add: Additional provisions made during the year						0.00	
Less: Amount drawn down during the year						1250,00	
Closing balance of floating provisions							
Technical write-offs and the recoveries made thereon							
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts						4010.25	
Add:Technical/Prudential write-offs during the year						1105.85	
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year						218,03	
Closing balance						4898.07	

^{*} Rs.977.76 lakh of excess provision (over and above PCR at 100%) is retained for considering as Tier-II capital under General Reserves & Provisions for March 2025

Fresh provision of Rs. 466.52 lakh towards Standard Assets is made during FY2025. Thus the said provision increased from Rs. 3313.87 lakh to Rs. 3780.39 lakh as on March 2025. The breakup for Closing Provision of Rs. 11937.22 lakh is a sunder:

Provision for Standard Assets : Rs. 3780.39 lakh Provision for NPAs : Rs. 7179.07 lakh Excess Provision for NPAs as cited above : Rs. 977.76 lakh Total : Rs. 11937.22 lakh







As at 31.03.2024

(Amount in ₹ Lakh)

	Standard		Non-Perfo	rming		
	Total Standard Advances	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	Total
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening balance	976633.96	2290.07	2950.81	467.75	5708.63	982342.59
Add: Additions during the year					4346.46	4346,46
Less: Reductions during the year*					2318.90	2318.90
Closing balance	1233778,96	4217.59	2981.92	536,68	7736.19	1241515.15
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					319.38	319.38
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1073.20	1073,20
iii) Technical /Prudential Write-offs					926,32	926,32
iv) Write-offs other than those under (iii) above					0.00	0.00
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	2636.84	2290.07	2950.81	467.75	7327,79	9964.63
Add: Fresh provisions made during the year					1527.42	1527.42
Less: Excess provision reversed/Write-off loans					1119.02	1119.02
Closing balance of provisions held	3313.87	4217.59	2981.92	536.68	7736,19	11050.06#
Net NPAs						THE STATE OF THE S
Opening balance		0.00	0,00	0.00	0,00	
Add: Fresh additions during the year					0.00	
Less: Reductions during the year					0.00	
Closing balance		0.00	0.00	0.00	0.00	





(Amount in ₹ Lakh)

	Standard		Non-Perfo	rming		
	Total Standard Advances	Sub- Standard	Doubtful	Loss	Total Non- Performing Advances	Total
Floating Provisions						
Opening balance						1250.00
Add: Additional provisions made during the year						0.00
Less: Amount drawn down during the year						0.00
Closing balance of floating provisions						1250.00
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts						3396.66
Add: Technical/Prudential write-offs during the year						926,32
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year						312.73
Closing balance						4010.25

Fresh provision of Rs. 677.03 lakh towards Standard Assets is made during FY2024. Thus the said provision increased from Rs. 2636.84 lakh to Rs. 3313.87 lakh as on March 2024. The breakup for Closing Provision of Rs. 11050.06 lakh is as under:

Provision for Standard Assets : Rs. 3313.87 lakh

Provision for NPAs : Rs. 7736.19 lakh

Total : Rs. 11050,06 lakh







Ratios (in percent)	Current Year	Previous Year
Gross NPA to Gross Advances	0.55	0.68
Net NPA to Net Advances	0,00	0.00
Provision coverage ratio	100,00	100.00

(b)Sector-wise Advances and Gross NPAs

(Amount in ₹ Crore)

		Cu	rrent	Year	Previous Year			
Sr.No	Sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	
i)	Priority Sector							
	a) Agriculture and allied activities	8011.56	28.85	0.36	7035.71	37.15	0.53	
	b) Advances to industries sector eligible as Priority sector lending	2.96	0.12	4,05	8.72	0.10	1.15	
	e) Services	672.80	5.80	0.86	610.47	6,62	1,08	
	d) Personal loans	3224.92	17.70	0.55	2669.07	13.74	0.51	
	Subtotal (I)	11912.24	52.47	0.44	10323.97	57.61	0.56	
ii)	Non-priority Sector							
	a) Agriculture and allied activities			(*)	*			
	b) Industry		ē	120	透		:	
	c) Services	115.34	8.03	6.96	64.55	8.08	12.52	
	d) Personal loans	1131,70	11,29	0.99	1026.63	11.67	1.14	
	Subtotal (ii)	1247.04	19.32	1.55	1091.18	19.75	1.81	
	Total (i+ii)	13159.28	71.79	0.55	11415.15	77.36	0.68	

Sub sectors where the outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for FY 2023-24 are: NIL

Sub sectors where the outstanding advances exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for FY 2024-25 are: NIL





(c) Particulars of resolution plan and restructuring

(i) Details of accounts subjected to restructuring

(Amount in ₹ Crore)

		Agriculture and allied activities		(exc	Corporates (excluding MSME)		Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		Retail (excluding agriculture and MSME)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	
	Number of borrowers	2354	6857	0	0	497	1909	1318	1590	4169	10356	
Standard	Gross Amount (₹ crore)	104.50	279.12	0.00	0.00	11.55	34,76	85.10	109.24	201.15	423.12	
Standard	Provision held (₹ crore)	0.32	0.09	0,00	0.00	0.06	0.16	1.18	1.28	1.56	1.53	
Sub-	Number of borrowers	112	151	0	0	135	313	14	10	261	474	
standard	Gross Amount (₹ crore)	1.31	1.98	0.00	0.00	0.69	0.98	0.96	0.55	2.96	3.51	
MANUFACTURE OF	Provision held (₹ crore)	1.31	1.98	0.00	0.00	0.69	0.98	0.96	0.55	2.96	3,51	
	Number of borrowers	136	361	0	0	216	294	17	28	369	683	
Doubtful	Gross Amount (₹ crore)	2.41	5.47	0.00	0.00	0.85	1.50	1.48	2.85	4.74	9.82	
	Provision held (₹ crore)	2.41	5.47	0.00	0.00	0.85	1.50	1.48	2.85	4.74	9.82	
	Number of borrowers	2602	7369	0	0	848	2516	1349	1628	4799	11513	
Total	Gross Amount (₹ crore)	108.22	286.57	0.00	0.00	13.09	37.24	87.54	112.64	208.85	436.45	
	Provision held (₹ crore)	4.04	7.54	0.00	0.00	1.60	2.64	3,62	4.68	9.26	14.86	

There are no accounts in respect of which applications for restructuring are under process, but the restructuring packages have not yet been approved

(d) Fraud accounts

Disclosure on the number and amount of frauds as well as the provisioning thereon is given below:

Particulars	Current Year	Previous Year
Number of frauds reported	3	3
Amount involved in fraud (Rs. crore)	0.10*	3.39
Amount of provision made for such frauds (Rs. crore)	0.0006	2.66
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (Rs. crore)	0.00	0.00

^{*} Out of the above, Rs.0.1006 lakh was recovered







(e) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19 related stress

As on March 31, 2025

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan—Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	10,0	0,00	0.01	0,00	0.00
Corporate Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	330.90	5.87	3,40	120.48	201.15
Total	330.91	5.87	3.41	120.48	201.15

As on September 30, 2024

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	0.10	0.05	0.00	0.04	0.01
Corporate Loans	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	423.02	5.54	0.00	86.58	330.90
Total	423,12	5.59	0.00	86.62	330.91





As on March 31, 2024

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	0,11	0.00	0.00	0.01	0.10
Corporate Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	701.40	1.47	4.41	272.50	423,02
Total	701.51	1.47	4.41	272,51	423.12

As on September 30, 2023

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan — Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	0.27	0.04	0.00	0.12	0.11
Corporate Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
Others	1226.68	11.12	0.00	514.16	701,40
Total	1226.95	11.16	0.00	514.28	701.51







As on March 31, 2023

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan — Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half-year
Personal Loans	0.47	0.06	0.00	0.17	0.27
Corporate Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Others	1788.02	6.31	0.02	635,42	1226,68
Total	1788,49	6.37	0.02	635,59	1226.95

As on September 30, 2022

(Amount in ₹ Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of the previous half-year (A)	Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year	Of (A), amount written off during the half-year	Of (A), amount paid by the borcowers during the half-year	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year
Personal Loans	0.69	0.03	0.00	0.49	0.47
Corporate Loans	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Of which MSMEs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others	2672.57	9.96	0.00	2083.41	1788.02
Total	2673.26	9,99	0.00	2083.90	1788.49





f) Disclosure of transfer of loan exposures

for loans classified as NPA and SMA)							
(all amounts in ₹ crore)	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)				
No of accounts	NIL	NIL	NIL				
Aggregate principal outstanding of loans transferred	NIL	NIL	NIL				
Weighted average residual tenor of the loans transferred	NIL	NIL	NIL				
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	NIL	NIL	NIL				
Aggregate consideration	NIL	NIL	NIL				
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL	NIL				

Details of loans acquired during the year					
(all amounts in ₹ crore)	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs			
Aggregate principal outstanding of loans acquired	NIL	NIL			
Aggregate consideration paid	NIL	NIL			
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL	NIL			







5. Exposures

(a) Exposure to real estate sector

(Amount in ₹ Crore)

Category	Current Year	Previous Year
i) Direct exposure		
a) Residential Mortgages -		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	334.54	320.43
Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (Exposure also includes non-fund based (NFB) limits)	360.60	345.16
b) Commercial Real Estate -		
Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multifamily residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) [Exposure also includes non-fund based (NFB) limits]	38.37	24.53
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures -		
i. Residential	NIL	NIL
ii, Commercial Real Estate	NIL	NIL
ii) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies	NIL	NIL
Total Exposure to Real Estate Sector	733,51	690.12

(b) Exposure to capital market:

The bank has no exposure to capital market in both the current and previous years

(c) Risk category-wise country exposure:

The bank has no exposure to country risk in both the current and previous year





(d) Unsecured Advances:

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total unsecured advances of the bank	303.99	317,71
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken	NIL	NIL
Estimated value of such intangible securities	NIL	NIL

(e) Factoring exposures : NIL

(f) Intra-group exposures : NIL

(g) Unhedged foreign currency exposure : NIL

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(a) Concentration of deposits

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of twenty largest depositors	1749.91	1058.55
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	14.45	10.55

(b) Concentration of advances

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year	
Total advances of twenty largest borrowers	79.78	68.45	
Percentage of advances of twenty largest borrowers to total advances of the bank	0.56	0.55	

(c) Concentration of exposures

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year 151.61	
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	145.11		
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers /customers to the total exposure of the bank on borrowers /customers	1.02	1.21	







(d) Concentration of NPAs

(Amount in ₹ Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the top twenty NPA accounts	18.01	16.94
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	25.09	21.90

7. Derivatives:

The Bank has not entered into any transactions in derivatives in the current and previous years

8. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	19,95	18.59
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	3.90	1.68
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	0.08	0.32
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	23.77	19.95

The closing balance of the amount transferred to DEA Fund, as disclosed above, is also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other items for which the bank is contingently liable'

9. Disclosure of Complaints

(a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of

Sr.No	Particulars	Current	Year	Previous	Year
	Complaints received by the bank from its customers				
1.	Number of complaints pending at beginning of the year	16		16	
2.	Number of complaints received during the year	588		492	
3.	Number of complaints disposed during the year	602		497	
	3.1 Of which, number of complaints rejected by the bank	0		0	
4.	Number of complaints pending at the end of the year	2		11	
	Maintainable complaints received by the bank from Of	fice of On	ibuds	man	
5.	Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman	24		13	
	5.1 Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman	23		13	
	5.2 Of 5, number of complaints resolved through conciliation / mediation / advisories issued by Office of Ombudsman	1		0	
	5.3 Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank	0		0	
6.	Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0		0	





(b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to (1)	Number of complaints pending at the beginning of the year (2)	Number of complaints received during the year (3)	% increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year (4)	Number of complaints pending at the end of the year (5)	Of 5, number of complaints beyond 30 days (6)
	Cu	rrent Year – I	Y 2024-25		
Ground - I	548	340	(-)37.96	2	0
Ground – 2	5	8	60,00	0	0
Ground – 3	22	83	277.27	7	1
Ground – 4	6	18	200.00	Ť	0
Ground - 5	2	3	50,00	1	0
Others	29	53	82.76	0	0
Total	612	505	(-)17.48	11	1
	Pro	evious Year - I	FY 2023-24		
Ground - 1	3	548	(-) 15.43	2	0
Ground – 2	(1	5	25.00	0	0
Ground – 3	10	22	(-) 46.34	0	0
Ground - 4	1	6	20.00	0	0
Ground - 5	0	2	100,00	0	0
Others	1	29	123.08	.0	0
Total	16	612	(-) 14.04	2	0

Ground - 1: ATM/Debit Cards

Ground - 2: Internet/Mobile/Electronic Banking

Ground - 3: Loans and Advances

Ground - 4: Staff behavior

Ground -5: Levy of charges without prior notice/excessive charges/foreclosure charges







10. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

During the financial year ended with 31st March 2025, no penalty has been imposed by RBI

11. Related Party Disclosures:

- a, Our Bank is an Associate for Union Bank of India. Accordingly, Union Bank of India is a related party
- Salaries and Allowances paid to the officers on deputation from Union Bank of India (i.e. our Sponsor Bank) are charged to the Profit & Loss account of the Bank
- c. The Bank is having transactions with Union Bank of India, but details are not given under this head as Accounting Standard 18 on "Related Party Disclosures" exempts the Bank from disclosing the transactions with Other State Controlled Enterprises

Particulars of Managerial Remuneration:

(Amount in ₹ Lakh)

Particulars	Current Year	Previous Year
Mr. K Pramod Kumar Reddy, Chairman	34.30	27.71
(General Manager, on deputation from Union Bank of India)	1900	77.55

12. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segments

(Amount in ₹ Crore)

Business Segments	Tre	asury	/Who	orate olesale iking		tail iking	Ba	ther nking siness	Tot	al
Particulars	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	174.77	166.79	-	2	1615.02	1339,82	-		1789.79	1506.61
Result	39.99	37.19	-		369.53	298.74	-) e	409.52	335,93
Unallocated expenses										
Operating Profit									431.22	356,38
Income taxes									107.27	84.02
Extraordinary profit/loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Net Profit									302.25	251.91
Other information:										
Segment assets	1959.26	2121.92	-	-	13087,49	11337.79	-		15046.75	13459.71
Unallocated assets					"				3122.31	2658,05
Total Assets									18169.06	16117.76
Segment liabilities	12	12	12	2	16316.45	14628.46	21	12	16316.45	14628,46
Unallocated liabilities									1852.61	1489.30
Total Liabilities									18169,06	16117.76

Part B: Geographic Segment

There is only one segment, i.e. Domestic Segment





13. Cash Flow Statement for the year ended 31" March 2025

(Rs. '000)

Sr.No.	Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 315 March 2024
A	Cash Flow from Operating Activities		
	Net profit before tax	3878282	3154918
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	133396	74452
	Provision for Investments	0	0
	Provision for Non-Performing Assets	171877	152742
	Provision for Standard Assets	46652	67703
	Provision for staff related expenditures	.0	0
	Provision for other items (Net)	-1572	-16008
	(Profit)/Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	-1023	-726
	Interest on Borrowings: Capital Instruments	0	0
	Dividend received from investments	0	0
	Sub total	349330	278163
	Adjustments for:		
	Increase/(Decrease) in Deposits	20844656	14701438
	Increase/(Decrease) in Borrowings	-3964826	8396059
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities and Provisions	610713	-63325
	(Increase)/Decrease in Investments	1626617	-4578885
	(Increase)/Decrease in Advances	-17497005	-23714501
	(Increase)/Decrease in Other Assets	-1332681	-379293
	Direct Taxes paid (Net of Refund)	-1072714	-840208
	Sub total	-785240	-6478715
	Net Cash Flow from Operating Activities (A)	3442372	-3045634







Cash Flow Statement for the year ended 31" March 2025 (Contd.)

(Rs. '000)

Sr.No.	Particulars	Year ended 31st March 2025	Year ended 318 March 2024
В	Cash Flow from Investing Activities		
	Purchase of Fixed Assets	-361646	-73439
	Proceeds from Sale/Adjustment of Fixed Asset	3144	1138
	(Increase)/Decrease in investment in subsidiary	0	0
	Sale of stake in subsidiary	0	0
	Dividend received from investments	0	0
	Net Cash Flow from Investing Activities (B)	-358502	-72301
C	Cash Flow from Financing Activities (C)		
	Proceeds from issue of Equity share capital including Share Premium (Net)	0	0
	Proceeds from issue of Capital Instruments	0	0
	Repayments of Capital Instruments	0	0
	Net Cash Flow from Financing Activities (C)	0	0
	Net increase/(Decrease) in Cash Flow during the period (A)+(B)+(C)	3083870	-3117935
	Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year	22658680	25776615
	Cash & Cash equivalents at the end of the year	25742550	22658680
	Net Increase/(Decrease) in Cash & Cash Equivalents during the period	3083870	-3117935
	Components of Cash & Cash Equivalents		
D	Cash & Cash Equivalents	901675	1034870
	Cash and Balances with RBI	6808540	5162653
	Balances with Banks and Money at call	14948465	19579092
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	22658680	25776615
E	Cash & Cash Equivalents	996429	901675
	Cash and Balances with RBI	5421319	6808540
	Balances with Banks and Money at call	19324802	14948465
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	25742550	22658680





14. Other Disclosures

(a) Business ratios

Sr.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.89	8,42
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.34	1.13
iii)	Cost of Deposits	6.72	6.38
iv)	Net Interest Margin#	2.99	2.84
v)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.47	2.26
vi)	Return on Assets	1.73	1.60
vii)	Business (deposits plus advances) per employee (in Rs. crore)	17.71	16,95
viii)	Profit per employee (in Rs. crore)	0.22	0.20

computed based on average working funds (for uniformity)

(b) Bancassurance business

The details of commission earned in respect of insurance agency business undertaken by the bank are disclosed hereunder:

(Amount in ₹ Lakh)

Sr.No.	Nature of Income	Current Year	Previous Year
1	Life Insurance Policies	213,80	167.72
2	Non Life Insurance Policies	58.44	56.77
3	Health Insurance	11,36	11.70
	Total	283.60	236.19

(c) Marketing and Distribution

No fee/remuneration is received by the bank in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business).







(d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) Sales during FY2025:

Sr.No.	Category	Face Value (Rs. Lakh)	Premium Rate (%)	Premium Received (Rs. Lakh)
1	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	30000.00	2.00	600,00
2	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	70000,00	2.00	1,400.00
3	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	50000.00	2.04	1,020.00
4.	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	100000,00	2.05	2,050.00
5	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	30000.00	1.93	579.00
6	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	50000,00	1,93	965,00
7	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	70000.00	1.75	1,225,00
8	PSLCA (PSLC-AGRI)	50000,00	0,40	200.00
	Total	450000.00		8039.00

Purchases during FY2025:

Sr.No.	Category	Face Value (Rs. Lakh)	Premium Rate (%)	Premium Paid (Rs. Lakh)
1	PSLCME(PSLC-Micro Enterprises)	30000,00	0.01	3.00
2	PSLCME(PSLC-Micro Enterprises)	10000,00	0.01	1.00
3	PSLCG(PSLC-General)	20000.00	0.01	2.00
4	PSLCME(PSLC-Micro Enterprises)	20000.00	0.01	2.00
5	PSLCG(PSLC-General)	100000,00	0.01	10.00
6	PSLCG(PSLC-General)	40000,00	0.01	4,00
7	PSLCG(PSLC-General)	10000.00	0.01	1,00
8	PSLCG(PSLC-General)	220000.00	0.01	22,00
	Total	450000.00		45.00





Sales during FY2024:

Sr.No.	Category	Face Value (Rs. Lakh)	Premium Rate (%)	Premium Received (Rs. Lakh)
1	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	100000,00	2.05	2050.00
2	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	12500.00	2.05	256.25
3	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	10000.00	2.01	201,00
4	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	22500,00	2.01	452.25
5	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	17500.00	2.01	351.75
6	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	42500.00	2.01	854.25
7	PSLCSM (PSLC-SF&MF)	45000.00	2.01	904.50
8	PSLCA (PSLC-AGRI)	50000.00	0.30	150.00
9	PSLCA (PSLC-AGRI)	5000.00	0.32	16.00
10	PSLCA (PSLC-AGRI)	45000.00	0.32	144.00
	Total	350000.00		5380.00

Purchases during FY2024:

Sr.No.	Category	Face Value (Rs. Lakh)	Premium Rate (%)	Premium Paid (Rs. Lakh)
4	PSLCG(PSLC-General)	100000.00	0.01	10.00
2	PSLCG(PSLC-General)	50000.00	0.01	5.00
3	PSLCG(PSLC-General)	12500,00	0.01	1.25
4	PSLCG(PSLC-General)	17500,00	0.01	1.75
5	PSLCME(PSLC-Micro Enterprises)	40000,00	0.07	28.00
	Total	220000.00		46.00







(e) Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i)	Provisions for NPI	0.00	0.00
ii)	Provision towards NPA	17.19	15,27
iii)	Provision made towards Income tax	107.27	90,02
	(-) less Deferred Tax Asset*	0.00	6.00
	Current Year Tax	107.27	84.02
iv)	Other Provisions and Contingencies		
	a. Standard Assets	4.66	6.77
	b. Covid Regulatory Package	(-)0.57	(-)3.13
	c. Erosion in assets	0.03	(-)0.02
	d. Frauds	0.26	1.52
	c. Resolution Framework_2.0	0.003	(-)0.14
	f. Theft	0,003	0.02
	g. VLRPV	0.00	0.08
	h. Other Provisions	0.00	0.05
	Total	4.386	5.15
	Total (i,ii,iii and iv)	128.85	104.44

^{*}Deferred Tax is calculated and recognized in the books of account only on employee service cost

(f) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹ Crore)

Sr.No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	14.23	12.37
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	0.00	0.00





(g) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks:

The revision in family pension consequent to the 11th Bipartite Settlement and Joint Note dated 11.11.2020 is extended to the RRB employees and officers.

Central government had accorded its approval for payment of family pension in respect of RRBs at a uniform rate of 30% of pay of the deceased employees of RRBs, without any ceiling on family pension, effective from 01.04.2021, vide its order dated 28.12.2022.

Our Board approved adoption of the same in its Board meeting dated 13.01.2023.

The Pension Fund maintained with LIC of India is adequate to take care of the increased family pension liability. Hence there is no amount of unamortised expenditure, on account of enhancement in family pension of employees and officers of our Bank, as on 31.03.2025.

(h) Particulars of items under the subhead "Miscellaneous income" under the head "Schedule 14 – Other Income" that exceeds one percent of total income:

Total Income: Rs. 178978.85 lakh 1% of Total Income: Rs. 1789.79 lakh

Items in excess of Rs. 1789.79 lakh are disclosed hereunder:

Sr.No.	Particulars	Amount (Rs. lakh)
1.	Fee income from PSLC	8039.00
2.	Appraising charges	3614.84
3.	Processing charges	5063.25
	Total	16717.09

(i) Particulars of items under the subhead "Other expenditure" under the head "Schedule 16 – Operating expenses" that exceeds one percent of total income:

Total Income: Rs, 178978,85 lakh 1% of Total Income: Rs, 1789,79 lakh

Items in excess of Rs. 1789.79 lakh are disclosed hereunder:







Sr.No.	Particulars	Amount (Rs. lakh)
1.	Salary and Allowances	15721.46
2.	PF contribution - Bank	2253,36
3.	Operative Expenditure - Other CBS	1891.58
	Total	19866.40

(j) Particulars of items under the subhead "Others (including provisions)" under the head "Schedule 5 – Other Liabilities and Provisions" that exceeds one percent of total assets

Total Assets: Rs. 1816906.31 lakh 1% of Total Assets: Rs. 18169.06 lakh Items in excess of Rs. 18169.06 lakh are NIL

(k) Particulars of items under the subhead "Others" under the head "Schedule 11 – Other Assets" that exceeds one percent of total assets:

Total Assets: Rs. 1816906.31 lakh 1% of Total Assets: Rs. 18169.06 lakh Items in excess of Rs. 18169.06 lakh are NIL

As per our report of even date For SOMAYAJULU & ASSOCIATES

> Chartered Accountants FRN: 010629S

(CA. Krishna Harish Eswara)

Partner M No. 224407 UDIN: 25224407BMGPQZ6827

BOARD OF DIRECTORS

K Pramod Kumar Reddy Chairman

K Santosh

Nominee Director, RBI

C V N Bhaskara Rao

Nominee Director, Union Bank of India

D Tripathy

Nominee Director, NABARD

S Srinivas

Nominee Director, Union Bank of India

Place: Guntur Date: 25.04.2025



Assumption of office as Chairman by Mr. K. Pramod Kumar Reddy



Ms. S Nagalakshmi, I.A.S, Collector and District Magistrate, Collectorate, Guntur has launched CGGB Annual report 2023-24



Donation of Air Conditioners to Government General Hospital, Guntur



Blood donation camp held on occasion of Vigilance Awareness Week-2024



Observance of Vigilance Awareness Week at RO, Guntur



Observance of Vigilance Awareness Week at RO, Narasaraopet



Observance of Vigilance Awareness Week at RO, Rajahmundry



Observance of Vigilance Awareness Week at RO, Eluru



Walkathon on occasion of Vigilance Awareness Week - 2024



Welcoming 2025 Calendar Launch Event

PPB meeting for FY 2024-25





PPB meeting for FY 2024-25









प्रधान कार्यालय गुंटूर - 522002 आंध्र प्रदेश



सचिव वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार संसद मार्ग नई दिल्ली – 110001

प्रियमहोदय,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ अग्रेषित करता/करती हूँ:

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान बैंक के कामकाज और उसकी गतिविधियों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते की एक प्रति।

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए बैंक के खातों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति।

> सादर स./- के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025

परिचय

भारत सरकार. वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 1/26/2005-RRB, दिनांक 01.03.2006 के तहत, आंध्रा बेंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य ग्रामीण बैंक और गोदावरी ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विलय की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में होगा।

इस प्रकार, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक 01.03.2006 से एक नई इकाई के रूप में उभरा है। नए बैंक का मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित है।

आंध्रा बैंक के UBI में विलय के परिणामस्वरूप, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) 01.04.2020 से हमारा प्रायोजक बैंक है।



चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बेंक गुंटूर, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में ग्रामीण आबादी के विभिन्न वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं की देखभाल और चिंता करके समृद्धि और प्रचुरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। #

> [आंध्र प्रदेश राज्य में जिलों के पुनर्गठन से पहले की स्थिति]

ग्राहकों की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करने और ग्रामीण लोगों को ऋण एवं वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना



31-03-2025 तक

अध्यक्ष

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 11

ः 1 श्री के. प्रमोद कुमार रेड्डी महाप्रबंधक, प्रतिनियक्ति पर युनियन बेंक ऑफ इंडिया से

केंद्र सरकार के नामिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत

रिक्त

: 3 रिक्त

भारतीय रिज़र्व बेंक के नामिती क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक अधिनियम, : 4 श्री के. संतोष

1976 की धारा 9(1)(बी) के अंतर्गत

सहायक महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) एपी-आरओ, आरबीआई, हैदराबाद

नाबार्ड के नामिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की : 5 श्री देवब्रत त्रिपाठी धारा 9(1)(मी) के अंतर्गत

उप. महाप्रबंधक,

एपी-आरओ, नाबार्ड, हैदराबाद

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नामिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9 (1)(डी) के अंतर्गत

: 6 श्री सी वी एन भास्कर राव

महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक प्रमुख, एफजीएम कार्यालय, विजयवाडा

श्री एस. श्रीनिवास

उप महाप्रबंधक, कृषि व्यवसाय विभाग, केंद्रीय कार्यालय यूनियन बेंक ऑफ इंडिया, मुंबई

राज्य सरकार के नामिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 : 8 सुश्री एस नागलक्ष्मी, आईएएस की धारा 9(1) (ई) के अंतर्गत

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टरेट, गुंटूर

रिक्त





प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं 2024-25

- बैंक आठ जिलों में काम कर रहा है। गुंटूर, बापटला, पलनाडु, ईस्ट गोदावरी, काकिनाडा, डॉ. बी आर अंबेडकर कोनसीमा, एलुरु और वेस्ट गोदावरी (तत्कालीन गुंटूर, पूर्वी गोदावरी और पश्चिम गोदावरी जिले) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित है।
- बैंक के पास 276 शाखाओं, 55 एटीएम और 245 बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का नेटवर्क है
- अ1 मार्च 2025 तक कारोबार ₹25272 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि दर दर्शाता है।
- अ1 मार्च 2025 तक जमा राशि ₹ 12113 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर दर्ज करती है।
- 31 मार्च 2025 तक अग्रिम राशि ₹14159 करोड़ थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि दर दर्ज करती है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान आईबीपीसी के तहत ₹1000 करोड़ के अग्रिम जारी किए गए।
- प्रित शाखा कारोबार ₹ 92 करोड़ और प्रित कर्मचारी कारोबार ₹ 18 करोड़ बैंक के प्रबंधन के सूचकांक हैं
- > सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) ₹ 72 करोड़ आंकी गईं, यानी अग्रिमों का 0.55% और शुद्ध एनपीए को 100% प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ शून्य बताया गया।
- परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2025 के दौरान 21.00% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 356 करोड़ रुपये से बढ़कर 431 करोड़ रुपये हो गया।
- कर पश्चात शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के ₹252 करोड़ से बढ़कर ₹302 करोड़ हो गया, जो 19.98% की वृद्धि दर दर्शाता है।
- मार्च 2024 के अंत में नेटवर्थ ₹1253 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 के अंत में ₹1555 करोड़ हो गई
- वित्त वर्ष 2025 के अंत में 1.73% पर परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) और 19.44% पर इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है।
- प्रित शेयर बुक वैल्यू (बीवीपीएस) 31 मार्च 2024 को ₹ 1683.01 से बढ़कर 31 मार्च 2025 को ₹ 2089.14 हो गई।





निदेशकों की रिपोर्ट

चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। निदेशक मंडल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अनुसार, बैंक की लेखा परीक्षण की गई बैलेंस शीट दिनांक 31 मार्च 2025, तथा वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त लाभ-हानि खाता एवं नकद प्रवाह विवरण के साथ, यह निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

संचालन क्षेत्र

बैंक का संचालन क्षेत्र आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित आठ जिलों में फैला हुआ है, जिनमें शामिल हैं: गुंटूर, बापटला, पलनाडु, पूर्वी गोदावरी, काकिनाडा , डॉ. बी. आर. अंबेडकर कोनसीमा, एलुरु तथा पश्चिम गोदावरी।

गुंटूर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2443 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 267 ग्राम पंचायतों में फैले 18 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 20.91 लाख है।

बापटला जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3829 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 459 ग्राम पंचायतों में फैले 25 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 15.87 लाख है।

पलनाडु जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 7298 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 527 ग्राम पंचायतों में फैले 28 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 20.42 लाख है।

पूर्वी गोदावरी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2561 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 300 ग्राम पंचायतों में फैले 19 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 18.32 लाख है।

काकिनाडा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3020 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 385 ग्राम पंचायतों में फैले 21 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 20.92 लाख है।

डॉ. बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2081 वर्ग किमी है, जिसमें 22 मंडल शामिल हैं 384 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 17.19 लाख है।

एलुरु जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 6679 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 580 ग्राम पंचायतों में फैले 28 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 20.03 लाख है।

पश्चिम गोदावरी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2178 वर्ग किमी है, जिसमें 384 ग्राम पंचायतों में फैले 19 मंडल शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 17.80 लाख है।

अंश पूंजी (शेयर कैपिटल)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की अधिकृत अंश पूंजी को RRB अधिनियम में वर्ष 2015 में किए गए संशोधन के अनुसार ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2000 करोड़ कर दिया गया है।

31 मार्च 2025 की स्थिति में बेंक की चुकता अंश पूंजी (Paid-up Share Capital) इस प्रकार है:

भारत सरकार (50%) : ₹3,72,11,000

प्रायोजक बैंक – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (35%) : ₹2,60,47,700

राज्य सरकार (15%) : ₹1,11,63,300

क्ल : ₹7,44,22,000







संचित निधियाँ एवं अधिशेष

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ ₹ 30225.25 लाख को निम्नानुसार संचित निधियों एवं अधिशेष में विनियोजित किया गया है:

र 6045.05 लाख को वैधानिक निधि (Statutory Reserves) में स्थानांतरित किया गया है, जिससे 20% की वैधानिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण की गई है।

शेष लाभ ₹ 24180.20 लाख को राजस्व एवं अन्य निधियों (Revenue and Other Reserves) में स्थानांतरित किया गया है। रक्षित अधिशेष (Retained Surplus) वर्ष के अंत में पूर्ववत ₹ 1.00 लाख ही बना रहा। इस प्रकार, वैधानिक निधियों वर्ष के दौरान ₹ 25021.53 लाख (31 मार्च 2024 की स्थिति) से बढ़कर ₹ 31066.58 लाख हो गईं। कुल संचित निधियाँ एवं अधिशेष ₹ 124508.62 लाख (31 मार्च 2024 को) से बढ़कर ₹ 154733.87 लाख हो गईं। इस प्रकार, बैंक की स्वयं की निधियाँ (Own Funds) ₹ 125252.84 लाख (31 मार्च 2024 को) से बढ़कर ₹ 155478.09 लाख हो गईं।

इंवेस्टमेंट फ्लक्वएशन रिज़र्व (Investment Fluctuation Reserve - IFR) पूर्ववत ₹ 1180.00 लाख पर 31 मार्च 2025 को भी बनाए रखा गया है।

शाखाओं का नेटवर्क

वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित जिलों में कुल 11 नई शाखाएं खोलीं: पलनाडु में 5 शाखाएं, काकिनाडा और डों. बी. आर. अंबेडकर कोनसीमा जिलों में प्रत्येक में 2 शाखाएं, पश्चिम गोदावरीं और एलुरु जिलों में प्रत्येक में 1 शाखा। इन 11 शाखाओं का टियर-श्रेणी अनुसार वर्गीकरण इस प्रकार है:

टियर-IV-। शाखा, टियर-V-९ शाखाएं, टियर-VI-। शाखा

इस प्रकार, 31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक कुल 276 शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहा

जिला-वार शाखाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जिला / श्रेणी	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	कुल
1	गुंदूर	26	12	18	56
2	बापटला	12	7	1	20
3	पलनाडु	49	24	2	75
4	पूर्वी गोदावरी	10	8	4	22
5	काकिनाडा	17	11	3	31
6	डॉ. बी आर अम्बेडकर कोनसीमा	14	11	0	25
7	एलुरु	16	8	2	26
8	पश्चिम गोदावरी	13	6	2	21
	कुल	157	87	32	276

31 मार्च 2025 तक बैंक के पास 55 एटीएम हैं। दस एटीएम ऑफ-साइट हैं, एक मोबाइल एटीएम और बाकी ऑन-साइट हैं





टियर के अनुसार शाखाओं का वर्गीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

क्षेत्र टीयर	1	Ш	Ш	IV	V	VI	कुल
गुंटूर	18	6	1	14	23	15	77
नरसरावपेट	2	4	3	16	39	10	74
राजमंड्री	7	5	7	11	26	11	67
एलुरु	4	2	6	13	19	14	58
कुल	31	17	17	54	107	50	276

क्षेत्रीय कार्यालय

बैंक के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अर्थात गुंटूर, नरसारावपेट, राजमंड्री और एलुरु। क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत शाखाएँ निम्नानुसार संगठित हैं:

क्षेत्रीय कार्यालय	शाखाओं की संख्या
गुंहूर	77
नरसरावपेट	74
राजमंड्री	67
एलुरु	58
कुल	276

कुल व्यवसाय

31 मार्च 2025 की स्थिति में, क्षेत्र-वार बैंक का कुल व्यवसाय निम्नानुसार है:

राशि (र लाख)

क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	जमा	अग्रिम	कुल व्यवसाय	क्षेत्र कुल कारोबार का हिस्सा
गुंटूर	77	513374.55	388028.91	901403.46	34.31%
नरसरावपेट	74	264008.16	520316.98	784325.14	29.85%
राजमंड्री	67	250309.29	269333.37	519642.66	19.78%
एलुरु	58	183646,65	238248.83	421895.48	16.06%
कुल	276	1211338.65	1415928.09	2627266.74	100.00%


31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक का कुल व्यवसाय ₹ 2627266.74 लाख हो गया, जो कि 31 मार्च 2024 को ₹ 2244407.24 लाख था। इस प्रकार, वर्ष के दौरान कुल वृद्धि ₹ 382859.50 लाख रही, अर्थात् 17.06% की वृद्धि दर्ज की गई।







हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 तथा 2023-24 के दौरान प्रत्येक वर्ष में ₹ 100000.00 लाख के IBPC (Inter Bank Participation Certificates) जारी किए गए थे। अतः IBPC को घटाने के पश्चात कुल व्यवसाय 31 मार्च 2025 को ₹ 2527266.74 लाख तथा 31 मार्च 2024 को ₹ 2144407.24 लाख रहा, जिससे ₹ 382859.50 लाख की वृद्धि हुई, जो कि 17.85% की वृद्धि को दर्शाता है।



शाखाओं का वर्गीकरण

शाखाओं का वर्गीकरण लागू मानदंडों के अनुसार किया जाता है और 31 मार्च 2025 तक स्थिति निम्नानुसार है:

शाखा की श्रेणी	शाखाओं की संख्या
स्केल v	19
स्केल IV	137
स्केल III	81
स्केल ॥	30
स्केल 1	9
कुल	276


जमाएँ

31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक की कुल जमाएँ ₹ 1211338,65 लाख रही। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जमाओं में ₹ 208446.56 लाख की शुद्ध वृद्धि हुई, जिससे 20,78% की वृद्धि दर दर्ज की गई।कम लागत वाली जमाओं का कुल जमाओं में प्रतिशत 27.46% रहा (31 मार्च 2025 की स्थिति में)।

जमाओं की लागत (Cost of Deposits) वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 6.72% रही। प्रति शाखा जमा ₹ 3784.50 लाख से बढ़कर ₹ 4388.91 लाख हो गई, तथा प्रति कर्मचारी जमा ₹ 789.50 लाख से बढ़कर ₹ 815.60 लाख हो गई।








31 मार्च 2025 की स्थिति में जमाओं का श्रेणी-वार विवरण निम्नानुसार है:

जमा का प्रकार	खातों की संख्या	राशि(₹ लाख)	कुल जमा का %
चालू जमाराशि	26093	35287,16	2,91
बचत जमाराशि	2037142	297378.70	24.55
अवधि जमाराशि	297436	878672.79	72.54
कुल जमाराशि	2360671	1211338.65	100.00



वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान जमाधन में हुई वृद्धि को समुचित रूप से मान्यता दी गई है।







नई योजनाएं/ अभियान

"एमएसएमई फ्रंटियर्स" नामक एक अभियान 21.10.2024 से 31.12.2024 तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य एमएसएमई ऋणों में सतत वृद्धि को बढ़ावा देना था।

बैंक ने "रिटेल विजयम: रिटेल लैंडिंग में नवीनीकरण" नामक अभियान 01.10.2024 से 31.12.2024 तक आरंभ किया, जिसका उद्देश्य रिटेल ऋणों में सतत वृद्धि को प्रोत्साहित करना था।

ंडिपॉजिट्स डिजिटल ड्राइव " नामक अभियान को 01.11.2024 से 31.01.2025 तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य जमा वृद्धि को बढ़ावा देना और सेवा क्षेत्र में डिजिटल उत्पादों को अपनाने की गति बढ़ाना था।

बेंक की उल्लेखनीय यात्रा को स्मरण करने और आगे की वृद्धि को प्रेरित करने हेतु "सीजीजीबी फाउंडेशन मंथ अभियान (CGGB Foundation Month Campaign)" को 01.03.2025 से 31.03.2025 तक चलाया गया। यह पहल बेंक के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही, जिसने अब तक की उपलब्धियों पर चिंतन करने, उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने, और सफलता के लिए नए मानदंड निर्धारित करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही इसने शाखाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने का माध्यम भी प्रदान किया।

"लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana)" नामक एक अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य चयनित, परिपक्क और अच्छे प्रदर्शन वाले DAY-NRLM स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिला सदस्यों को आर्थिक रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए महिला उद्यमीं के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ग्राहक आधार (Customer Base)

वर्तमान वर्ष के दौरान खातों की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, ग्राहक आधार में 5.21% की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

	मार्च 2024	मार्च 2025	विकास
जमा	2267185	2360671	93486
अग्रिम	677947	737898	59951
कुल	2945132	3098569	153437

ग्राहक सेवा (Customer Service)

बैंक अपनी शाखा नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यक बैंकिंग आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखते हुए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान कर रहा है।

बोर्ड की स्वीकृति से ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) की नीति बैंक में लागू की गई है। इसके अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र कार्यान्वित है, जिसमें शामिल हैं:

(1) शाखाएँ, (2) क्षेत्रीय कार्यालय तथा (3) प्रधान कार्यालय।

यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग वातावरण में, उत्तम ग्राहक सेवा ही वह प्रमुख साधन है जिससे व्यवसाय की निरंतर वृद्धि सनिश्चित की जा सकती है और नए ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है।

उधार (Borrowings)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त (Refinance) बैंक की उधार की प्रमुख स्रोत बनी हुई है। बैंक ने उधार की लागत को ध्यान में रखते हुए उचित एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।





रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, बैंक ने पुनर्वित्त की किश्तों और ब्याज का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है।

31 मार्च 2025 तक नाबार्ड से क्षेत्रवार बकाया उधारों का विवरण नीचे दिया गया है:

सेक्टर	राशि (र लाख)
एसटीएल (एसएओ)	9200.00
एसटीएल (डीटीपी)	500.00
एसटीएल (अतिरिक्त)	50500.00
एसटी (अन्य)	160000,00
एमटी (एससीएच)	188105.81
एलटी-डे एनआरएलएम	12000.00
कुल	420305.81

इसके अतिरिक्त, बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान प्रायोजक बैंक अर्थात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 250 करोड़ की क्लीन ओवरड्राफ्ट (Clean Overdraft) सुविधा भी प्राप्त की है, जिसमें से ₹ 150 करोड़ WCDL (Working Capital Demand Loan) है। इस सुविधा को बैंक के लिए आकस्मिक निधि (Contingency Fund) के रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है, ताकि अनपेक्षित तरलता असंतुलन (liquidity mismatch) की स्थिति में सहायता मिल सके।

31 मार्च 2025 को इस खाते में बकाया राशि ₹ 0.29 लाख रही।

बैंक की कुल बकाया उधारी 31 मार्च 2025 को ₹ 420306.10 लाख रही।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उधारी की लागत (Cost of Borrowings) 6.53% रही।

नकद और बैंकों के साथ शेष राशि

रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

नकदी प्रबंधन (Cash Management) को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, और शाखाओं के लिए नकदी रखने की सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। शाखाओं द्वारा रखी गई नकद शेष राशि की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, ताकि बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आवश्यक नकदी स्तर बनाए रखा जा सके।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में चालू खाता में CRR आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त शेष राशि बनाए रखी गई है। बैंक द्वारा प्रायोजक बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चालू खाता (Current Account) बनाए रखा गया है, जिससे शाखाओं से प्रभावी रूप से नकद प्रेषण सुनिश्चित हो सके।

प्रायोजक बैंक के अतिरिक्त, बैंक ने नकद एवं अन्य लेनदेन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु निम्नलिखित बैंकों में भी चालू खाते बनाए हैं: भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इकिटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड एवं ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। हमारा बैंक एक्सिस बैंक लिमिटेड का सब-मेंबर (प्रकार – II) है और "520 702 102" MICR कोड सभी शाखाओं के लिए सामान्य MICR कोड के







31 मार्च 2025 की स्थिति में, नकद (एटीएम सहित) और RBI तथा अन्य बैंकों में चालू/अन्य खातों में रखी गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

र लाख

औसत जमाएँ	1085166.64
ओसत नकद शेष राशि	7697.04
औसत कुल जमाओं के मुकाबले ओसत नकद शेष राशि (%)	0.71
भारतीय रिज़र्व बेंक के पास रखी गई ओसत शेष राशि	47846.93
प्रायोजक बैंक/अन्य बैंकों के साथ रखी गई औसत शेष राशि	35584.97
प्रायोजक बैंक/अन्य बैंकों में अन्य खातों में रखी गई औसत शेष राशि	43939.07
अन्य खातों में रखी गई शेष राशि पर प्राप्त आय	3090.64
भारतीय रिज़र्व बैंक की वेरिएबल रिवर्स रेपो/स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा (SDF) में रखी गई शेष राशि पर प्राप्त आय	3922.53

भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष निधियों का प्रबंधन बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रतिदिन की अधिशेष निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के वेरिएबल रिवर्स रेपो (Variable Reverse Repo) और/या स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा (Standing Deposit Facility - SDF) खातों में बनाए रखा और इन सुविधाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त किया। वर्तमान वर्ष के दौरान: वेरिएबल रिवर्स रेपो खाते में रखी गई शेष राशि से अर्जित आय ₹ 582.57 लाख रही, और SDF खाते में रखी गई शेष राशि से अर्जित आय ₹ 3339.96 लाख रही।

निवेश

बेंक ने अपनी अधिशेष निधियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश किया है।

मुख्य कार्यालय स्थित निवेश समिति द्वारा उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, अधिकतम संभव प्रतिफल अर्जित करने के उद्देश्य से यह निवेश किए गए हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश केवल प्रायोजक बैंक के माध्यम से किया जाता है, और इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई स्थित ट्रेज़री विभाग से प्राप्त किया जाता है।

निवेशों पर प्रीमियम एवं आय सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर चुकाई गई प्रीमियम राशि को बैंक की निवेश नीति के अनुसार, शेष अवधि (मियाद) के दौरान क्रमिक रूप से अमोर्टाइज़ (amortize) किया जा रहा है।





निवेशों का विवरण तथा उस पर अर्जित आय निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है:

₹ लाख

A		निवेश	कुल
विवरण	एसएलआर	गैर-एसएलआर	
कुल सकल निवेश	188869,02	7326.32	196195,34
घटाएँ: परिशोधन	269.31	0.00	269.31
शुद्ध निवेश	188599.71	7326.32	195926.03
निवेश का ब्योरा:			
एचटीएम श्रेणी	182592.40	0,00	182592,40
एएफएस श्रेणी	6007.31	7326,32	13333.63
एचएफटी श्रेणी	0.00	0.00	0.00
कुल	188599.71	7326.32	195926.03
अर्जित ब्याज#	15424.74	878.96	16303,70

सकल ब्याज राशि, अर्थात 🛭 २६९:३१ लाख की परिशोधन राशि के साथ शुद्धिकरण से पहले नोट करने से पूर्व

31 मार्च 2025 को HTM श्रेणी में निवेश ₹ 182592.40 लाख रहा। HTM श्रेणी में कुल निवेश में से 25% से अधिक की राशि ₹ 133610.89 लाख रही। चूंकि HTM श्रेणी में कुल निवेश ₹ 209917.69 लाख की NDTL का 19.50% से कम है, अतः यह RBI के 04.10.2017 के परिपत्र एवं तत्संबंधित लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

FY 2024—25 के दौरान निवेशों पर अर्जित यील्ड 7.83% रही। निवेश-से-डिपॉजिट अनुपात (Investments to Deposits Ratio) मात्र 16.17% रहा।

बैंक ने AFS श्रेणी की SLR प्रतिभूतियों की बिक्री से र 1442.14 लाख का लाभ अर्जित किया, जबकि गैर-SLR प्रतिभूतियों की बिक्री पर कोई हानि नहीं हुई। अतः FY 2025 के लिए निवेशों की बिक्री से कुल लाभ र 1442.14 लाख रहा। FY 2025 के दौरान SLR प्रतिभूतियों की परिपक्तता पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

बैंक ने HTM श्रेणी से ₹ 56911.69 लाख की SLR प्रतिभूतियों को AFS श्रेणी में स्थानांतरित किया, जबकि AFS से HTM में कोई प्रतिभूतियाँ स्थानांतरित नहीं की गईं।

SLR अथवा गैर-SLR श्रेणियों में बैंक को किसी भी प्रकार का MTM (Mark to Market) नुकसान नहीं हुआ।

यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि बैंक द्वारा FY 2015 से AFS श्रेणी से निवेशों की बिक्री प्रारंभ करने के उपरांत, FY 2025 तक कुल ₹ 6144.05 लाख का संचयी लाभ (Cumulative Profit) अर्जित किया गया है।

गैर-SLR निवेशों की बकाया राशि 31 मार्च 2025 को ₹ 7326.32 लाख रही, जो कि केवल बॉण्ड्स एवं डिबेंचर्स में निवेशित है।







म्यूचुअल फंड एवं गैर-SLR निवेश म्यूचुअल फंड में निवेश, लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया तथा पूरे वर्ष भर यह निवेश पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हुई जमा राशियों की वृद्धि (Incremental Deposits) के 5% की निर्धारित सीमा के भीतर ही रहा।

हालांकि, 31 मार्च 2025 तक बैंक द्वारा गैर-SLR निवेश श्रेणी में इक्रिटी एवं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में कोई निवेश नहीं किया गया

ऋण एवं अग्रिम (Loans & Advances)

बैंक ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों की समग्र ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके अंतर्गत ऋण पोर्टफोलियो का तीव्र विस्तार और विविधीकरण किया गया।

31 मार्च 2025 तक बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिम र 1415928.09 लाख रहे।


FY 2024 के दौरान शुद्ध वृद्धि ₹ 174412,94 लाख रही, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 14.05% की वृद्धि दर्ज की गई।

FY 2025 के दौरान ऋणों पर प्राप्त मील्ड 10.20% रही।

बैलेंस शीट में प्रदर्शित अग्रिम 'शुद्ध अग्रिम' (Net Advances) हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

₹ लाख

ऋण एवं अग्रिम का विवरण	1415928.09
कुल ऋण एवं अग्रिम	100000.00
कम करें: आईबीपीसी (IBPC) बेचे गए	1315928,09
= आईबीपीसी को घटाने के बाद ऋण एवं अग्रिम	7179.07
कम करें: एनपीए (NPA) के लिए प्रावधान	1308749.02







योजनानुसार बकाया राशि का विवरण 31 मार्च 2025 की स्थिति में निम्नानुसार है:

विवरण	खातों की संख्या	राशि (र लाख)
अल्पावधि कृषि ऋण	608903	845837.92
कृषि अवधि ऋण	31056	20317.35
सीसीएमटीएल	0	0.00
एमएसएमई	39351	67135.52
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	43154	358172.40
कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	722464	1291463.19
गेर-प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	15434	124464.90
कुल ऋण और अग्रिम	737898	1415928,09

ऋण एवं अग्रिम की वितरण स्थिति

वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान कुल ऋण एवं अग्रिम वितरण ₹1153326.49 लाख रहा, जबकि एमओयू लक्ष्य ₹1061500.00 लाख निर्धारित किया गयाथा।

वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

विवरण	राशि (र लाख)
अल्पावधि कृषि ऋण	882028,59
मध्यावधि कृषि ऋण	8110.40
एमएसएमई	5460.03
स्वयं सहायता समूह	180375,78
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	7012.23
कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	1082987.03
गेर-प्राथमिकता क्षेत्र ऋण	70339.46
कुल संवितरण	1153326.49







ऋण पोर्टफोलियो का एक संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

विवरण	राशि (र लाख)
कुल अग्रिम	1415928,09
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	1291463.19
कुल अग्रिम का %	91.21
कुल अग्रिम में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम का % (IBPC का शुद्ध)	90.54
प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम (%) (PSLC का शुद्ध)	90.54
गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	124464.90
कुल अग्रिम में गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम का % (IBPC का शुद्ध)	9,46
क्रेडिट से जमा अनुपात	108,63
अग्रिमों पर औसत प्रतिफल (%)	10,20
प्रति-शाखा अग्रिम	4767.86
प्रति-कर्मचारी अग्रिम	955.65

एसएचजी-बैंक लिंकेज (SHG-Bank Linkage)

31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक का एसएचजी खातों (बकाया ऋण लिंकेज) में निवेश ₹367744.68 लाख है, जो कि 42,645 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खातों में फैला हुआ है, जबकि 31 मार्च 2024 को यह ₹367650.48 लाख था, जो 42,815 एसएचजी खातों में फैला हुआ था। इस प्रकार वर्ष के दौरान ₹94.20 लाख की वृद्धि तथा 0.026% की वृद्धि दर्ज की गई।

FY 2025 के दौरान बैंक ने कुल 17,560 एसएचजी को ₹1,75,728.09 लाख की ऋण सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान एसएचजी को दिए गए ऋण की राशि का आकार-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्रेडिट लिंकेज का आकार	खातों की संख्या	राशि (र लाख)
₹ 5,00 लाख तक	924	2902.83
₹ 5.00 लाख से अधिक से ₹ 7.50 लाख तक	572	3056.89
र 7.50 लाख से अधिक से र 10.00 लाख तक	2,662	19416.62
१ 10.00 लाख से अधिक	13,402	150351.75
कुल	17,560	175728.09

आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एसएचजी को गारंटी-मुक्त ऋण सीमा में वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या FIDD.GSSD.CO.BC.No.09/09.01.003/2021-2022 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार, बोर्ड की स्वीकृति के साथ हमारे बैंक ने एनआरएलएम (NRLM) योजना के अंतर्गत एसएचजी को गारंटी-मुक्त ऋण सीमा ₹13.00 लाख प्रति समूह से बढ़ाकर ₹20.00 लाख प्रति समूह कर दी है।





उक्त संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा, प्रति समूह ₹20.00 लाख तक, बाद में बोर्ड के अनुमोदन से वित्त वर्ष 2023 के दौरान हमारे संचालन क्षेत्र में सभी एसएचजी तक बढ़ा दी गई और इसे वित्त वर्ष 2025 में भी जारी रखा गया है।

संयुक्त दायित्व समूहों (JLGs) को वित्तीय सहायता (कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र)

वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने 33 नए संयुक्त दायित्व समूहों (JLGs) को प्रोत्साहित किया, जिनमें से 17 JLGs को ₹68.47 लाख की राशि के साथ वित्तपोषित किया गया।

FY 2025 के दौरान बैंक ने कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्र के कुल 948 JLGs को १३799.20 लाख की कुल राशि वितरित की।

वर्तमान वर्ष में, बैंक ने रेंटल मोड ग्रुप (RMGs), JLGs और CCRC के माध्यम से 4428 पट्टेदार किसानों को ₹8758.09 लाख की राशि का ऋण प्रदान किया।

ऋण वितरण में नई पहलें

जन-समर्थ पोर्टल के साथ एकीकरण:

• हमारे बैंक ने भारत सरकार की ऋण से जुड़ी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल (जन-समर्थ) पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्डिंग की है, जिससे आठ चयनित ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों की प्रक्रिया और स्वीकृति को सुव्यवस्थित किया गया है। 31 मार्च 2025 तक, बैंक ने जन-समर्थ पोर्टल के माध्यम से कुल 527 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, जिनकी कुल राशि १2301.92 लाख रही, जो विभिन्न श्रेणियों में वितरित की गई।

2. गोल्ड लोन के लिए लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (LOS) का कार्यान्वयन:

• वित्त वर्ष 2023-24 में, हमारे बैंक ने गोल्ड लोन आवेदनों को संसाधित करने के लिए लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (LOS) को सफलतापूर्वक एकीकृत किया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, KCC और SHG लोन आवेदनों को भी LOS में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है। इस प्रणाली ने 528057 गोल्ड लोन आवेदनों को मंजूरी देने में मदद की, जिनकी संचयी स्वीकृति सीमा ₹6670,72 करोड़ थी, 74813 KCC आवेदनों की स्वीकृति सीमा ₹1146,99 करोड़ थी और 1266 SHG आवेदनों की स्वीकृति सीमा 175.15 करोड़ थी।

3. क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) के साथ भागीदारी:

क्लाइंट मॉनिटरिंग को बढ़ाने और क्रेडिट असेसमेंट प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए, हमारे बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मिशन ब्यूरो (इंडिया)
 लिमिटेड (CIBIL) के साथ भागीदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से, बैंक ने विभिन्न ऋण-संबंधी गतिविधियों जैसे कि नई ऋण पूछताछ, उधारकर्ता क्रेडिट स्कोर में परिवर्तन, क्रेडिट उपयोग में परिवर्तन, ट्रेडों का योग, चूक सीमा में परिवर्तन, अन्य बैंकों/एफआई के साथ खोले गए नए ऋण खाते और उधारकर्ता संपर्क जानकारी के अपडेट से संबंधित ट्रिगर्स उत्पन्न करने के लिए एक प्रणाली लागू की। ये अलर्ट अब सिक्रिय व्यवसाय सोर्सिंग और प्रभावी निगरानी के लिए संबंधित शाखाओं को व्यवस्थित रूप से प्रसारित किए जाते हैं।

4. सीजीएफएमयू योजना के तहत ऋण गारंटी कवरेज:

• हमारे बैंक ने 1 जुलाई 2022 से प्रभावीं माइक्रों यूनिट्स (सीजीएफएमयू) योजना के लिए ऋण गारंटी कवरेज के कार्यान्वयन के माध्यम से माइक्रों यूनिट्स के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने में कदम उठाए हैं। बैंक ने इस योजना के तहत गैर-कृषि क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और माइक्रों यूनिट्स को ऋण लिंकज को सफलतापूर्वक कवर किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक कुल १३७९,51 करोड़ का एक्सपोजर है। इस पहल ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और हमारे परिचालन क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों के विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।







5. भविष्य के किराए की प्राप्तियों के विरुद्ध नई ऋण योजना शुरू की:

• हमारे बैंक ने भविष्य के किराए की प्राप्तियों के विरुद्ध वित्त प्रदान करने के लिए एक नई ऋण योजना लागू की थी, जिससे मेट्रो, शहरी, अर्ध-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टे पर दी गई संपत्तियों से किराये की आय वाले संपत्ति मालिकों को बोर्ड की मंजूरी के साथ अपनी संपत्तियों को बेचे बिना वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। बैंक ने इस योजना के तहत 2 इकाइयों को वित्तपोषित किया था, जिसमें 31 मार्च 2025 तक कुल ₹33.60 लाख का जोखिम था।

6. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के अंतर्गत नई ऋण योजना शुरू की गई टर्म लोन:

• हमारे बेंक ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए एक नई ऋण योजना लागू की थी, ताकि हमारे परिचालन क्षेत्र में कम आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके, जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी ली गई थी। बेंक ने इस योजना के तहत 48 इकाइयों को वित्तपोषित किया था, जिसमें 31 मार्च 2025 तक कुल ₹68.92 लाख का जोखिम था।.

7. लखपति दीदी योजना के तहत नई ऋण योजना शुरू की गई:

• हमारे बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई लखपित दीदी योजना के तहत DAY NRLM SHG के व्यक्तिगत (महिला) SHG सदस्यों को उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए वित्तपोषण के लिए एक नई ऋण योजना लागू की थी। इस योजना का उद्देश्य चयनित परिपक्क और बेहतर प्रदर्शन करने वाले DAY NRLM SHG के व्यक्तिगत महिला SHG सदस्यों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य गतिविधि स्थापित करने/चलाने के लिए महिला उद्यमी के रूप में विकसित करने के लिए वित्तपोषित करना है। बैंक ने इस योजना के तहत 4585 इकाइयों को वित्तपोषित किया था, जिसमें 31 मार्च 2025 तक कुल र44.88 करोड़ का जोखिम था।

व्यवसाय/प्रक्रियाओं का विविधीकरण

खुदरा ऋण, सामाजिक अवसंरचना और विभिन्न वाणिज्यिक उपक्रमों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए, हमारे बैंक ने संपत्ति ऋण, व्यक्तिगत ऋण, निवेश उद्देश्यों के लिए सावधि ऋण और वाहन ऋण में ऋण सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के तहत हमारे बैंक द्वारा किए गए संवितरण का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं	ऋण उत्पाद	खातों की संख्या	राशि (र लाख)	
1	चैतन्य गोदावरी प्रॉपर्टी टर्म लोन (CGPTL)	322	5088.13	
2	चैतन्य गोदावरी प्रॉपर्टी ओवरड्राफ्ट (CGPOD)	114	2526.87	
3	वेतनभोगी व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण (PLEMP)	121	1693.64	
4	आम जनता को वाहन ऋण - दो पहिया वाहन (CGVL2)	34	28.81	
5	आम जनता को वाहन ऋण - चार पहिया वाहन (CGVL4)	25	269.85	
6	कृषकों को वाहन ऋण (ATLVL)	70	524.15	
7	अन्य टर्म लोन - सामाजिक अवसंरचना (OTLSI)	2	174.95	
8	अन्य टर्म लोन - वाणिज्यिक निर्माण (OTLCO)	5	105.00	
9	अन्य टर्म लोन - मशीनरी खरीद (OTLMP)	1	237.64	
10	CGGB वेलकम डॉक्टर टर्म लोन (CGDPL)	4	421.75	
11	CGGB वेलकम डॉक्टर वर्किंग कैपिटल (CGDPW)	1	10.00	
12	भविष्य के किराए की प्राप्तियों के विरुद्ध चैतन्य गोदावरी ऋण - (CGLFR)	2	33.65	
	कुल	701	11114.44	





31 मार्च, 2025 तक, खुदरा ऋण कुल ऋण पोर्टफोलियों का 8.58% था, जबिक निवेश ऋण कुल ऋण पोर्टफोलियों का 1.37% था, जो एक विविध ऋण दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, आवास ऋण का वितरण ₹10719.43 लाख रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.61% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025 के लिए बकाया शिक्षा ऋण पोर्टफोलियों में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में 11.92% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।

सरकार प्रायोजित योजनाएँ

स्ट्रीट वेंडरों, महिला उद्यिमयों आदि की सहायता के उद्देश्य से, सरकार। आंध्र प्रदेश ने विभिन्न सरकारी योजनाएं शुरू कीं। जगनन्ना थोड़, और सरकार जैसी प्रायोजित योजनाएं। भारत ने वित्त वर्ष 2021 के दौरान पीएम स्विनिध योजना शुरू की। जगनन्ना थोड़ योजना का चरण VII और पीएम स्विनिध योजना की तीसरी किश्त वित्त वर्ष 2025 के दौरान भी लागू की गई। हमारे बैंक ने पीएमईजीपी, पीएम विश्वकर्मा, लखपित दीदी और पीएम सूर्य घर योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाएं भी लागू की हैं।


हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं में निम्नलिखित संवितरण किए। विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

क्र.सं	ऋण योजना	खातों की संख्या	वितरित राशि (र लाख)
1	जगनन्ना धोडू	8	0,83
2	पीएम स्वनिधि	1262	271.39
3	पीएम विश्वकर्मा	273	210.19
4	लखपति दीदी	4604	4647.69
5	पीएम सूर्य घर योजना	48	87.11
6	पीएमईजीपी टर्म लोन	13	86.46
7	पीएमईजीपी कार्यशील पूंजी	8	28.43
	कुल	6216	5332.10

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गईं:

- ।. भारत सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी
- 2. भारत सरकार द्वारा पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) का ओपचारिकरण
- 3. भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पीएमएवाई (यू) एएचपी एपीटीआईडीसीओ जगन्नाना नगर









हमारे बेंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं में निम्नलिखित संवितरण किए

क्र.सं	ऋण योजना	खातों की संख्या	वितरित राशि (र लाख)
1	पशुपालन के लिए केसीसी	4737	5629,55
2	मत्स्यपालन के लिए केसीसी	16	13.76
3	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)	13	20.51
4	पीएमएवाई (यू) एएचपी – एपीटीआईडीसीओ – जगन्नाना नगर	127	110.55
	कुल	4893	5774.37

वित्त वर्ष 2025 के दौरान बैंक और उधारकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जाने वाली ब्याज सहायता और ब्याज प्रोत्साहन/सब्सिडी का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

	केसीसी आईएसएस ब्याज अनुदान योजना			
				राशि र लाख
क्र.सं	योजना वर्ष	बैंक को 2% व्याज अनुदान वापस किया गया	किसानों को शीघ पुनर्भुगतान पर 3% प्रोत्साहन	कुल दावा प्राप्त हुआ
1	2022-23	1067,63	103.62	1171.25
2	2023-24	1252.28	3175,12	4427.40

		डे एनआरएलएम आई	एसएस योजना	
				राशि ₹ लाख
क्र.सं	योजना वर्ष	वैंक को 4.5% व्याज अनुदान वापस किया गया	बैंक को 5% व्याज अनुदान वापस किया गया	कुल दावा प्राप्त हुआ
1	2022-23	908,23	496,01	1404.24

	एसीएसआईएस शिक्षा ऋण व्याज सब्सिडी		
क्र.सं	योजना वर्ष	तिमाही	राशि र लाउ शिक्षा ऋण व्याज सब्सिडी छात्रों को दी गई
1	2023-24	Q4	26.71
2	2024-25	Q1	10.41
3	2024-25	Q2	12.11
4	2024-25	Q3	3.03





गैर-कोषीय व्यवसाय

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, बेंक के गैर-कोषीय व्यवसाय में कुल 277 बेंक गारंटियाँ प्रचलन में थीं, जिनका कुल मूल्य ₹1,579.85 लाख है।

अंतरर बैंक प्रतिभागिना प्रमाण पत्र आईबीपीसी :

इसके अतिरिक्त, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्राथमिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष कृषि ऋणों (Direct Agri – Priority Sector Lending) को कवर करते हुए, जोखिम साझेदारी के आधार पर कुल ₹1,00,000.00 लाख के इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट (IBPC) विभिन्न किश्तों में बेचे हैं। यह भागीदारी HDFC बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड के साथ की गई थी, जिनमें क्रमशः ₹20,000.00 लाख. ₹35,000.00 लाख तथा ₹45,000.00 लाख की हिस्सेदारी रही। यह सभी भागीदारी प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दरों पर की गई है।

बैलेंस शीट में बैंक के ऋणों और अग्रिमों को कुल ₹1,00,000.00 लाख की IBPC बिक्री को समायोजित करते हुए नेट आधार (Net of IBPC) पर दर्शाया गया है

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र

वित्तीय वर्ष 2024—25 के दौरान, बैंक ने कुल ₹4,50,000.00 लाख मूल्य के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) बेचे, जिसमें ₹50,000.00 लाख PSLC-Agri तथा ₹4,00,000.00 लाख PSLC-SF&MF शामिल हैं। इस बिक्री से बैंक ने ₹8,039.00 लाख की शुक्क आय अर्जित की। इसी अविध में, बैंक ने कुल ₹4,50,000.00 लाख के PSLC खरीदे, जिनमें ₹3,90,000.00 लाख PSLC-General और ₹60,000.00 लाख PSLC-Micro Enterprises शामिल हैं। इस क्रय पर बैंक द्वारा ₹45.00 लाख शुक्क व्यय किया गया। इस प्रकार, RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर किए गए PSLC ट्रेडिंग से बैंक को ₹7,994.00 लाख की शुद्ध आय प्राप्त हुई।

संपत्ति की गुणवत्ता एवं वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बेंक (RBI) एवं नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को बेंक की परिसंपत्तियों को मानक (Standard), उप-मानक (Sub-standard), संदिग्ध (Doubtful) एवं हानि (Loss) परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी में आवश्यकतानुसार प्रावधान (Provisioning) भी वर्तमान नियमों के अनुसार किया गया है।

31 मार्च 2025 को बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) का वर्गीकरण निम्नलिखित है:

(₹ लाख)

घटिया संपत्तियाँ	2366.70
संदेहास्पद संपत्तियाँ	4707.40
घाटे वाली संपत्तियाँ	104.97
कुल एनपीए	7179.07

птаепа

बैंक ने IRAC मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान से अधिक NPA के लिए प्रावधान किया। 31 मार्च 2025 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) 100% था। विवरण नीचे दिए गए हैं:








कुल एनपीए	7179.07 लाख
एनपीए के विरुद्ध संचयी प्रावधान	7179.07 लाख
एनपीए के लिए प्रावधान का	100

परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और किए गए प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ लाख

विवरण	राशि बकाया	प्रावधान किया जाना है	प्रावधान किया गया
मानक परिसंपत्तियाँ	1408749.02	3776.93	3780.39
अवमानक परिसंपत्तियाँ	2366.70	405.27	
संदेहास्पद परिसंपत्तियाँ	4707.40	2086,16	
घाटे वाली परिसंपत्तियाँ	104.97	104.97	
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ	7179.07	2596.40	7179.07
कुल अग्रिम	1415928.09	6373.33	10959.46
कुल अग्रिम में से IBPC घटाएँ	1315928.09		
एनपीए के विरुद्ध संचयी प्रावधान	7179.07		
अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	0.55		
शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए का प्रतिशत	0,00		



एनपीए की प्रगति (Movement of NPA)

पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की वसूली हेतु लगातार और रणनीतिक प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप NPA पोर्टफोलियो की निगरानी और प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।







₹ करोड़

विवरण	मात्रा
। अप्रैल २०२४ तक संकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	77.36
वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	23.85
उप-योग (ए)	101.21
घटाएँ	
(i) उन्नयन	4.76
(ii) वसूली (उन्नत खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	13.60
(iii) राइट-ऑफ	11.06
उप-योग (बी)	29.42
31 मार्च 2025 तक सकल एनपीए (समापन शेष) (ए-बी)	71.79

व्याज की पहचान रद्द की गई

आईआरएसी मानदंडों के अनुसार, बेंक ने आय दर्ज नहीं की है और एनपीए के तहत अप्राप्त राशि की सीमा तक ब्याज और अन्य शुल्कों की पहचान रद्द कर दी है। विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है:

₹ लाख

वर्ष की शुरुआत में अमान्य आय	3712.27
वर्ष के दौरान वृद्धि	1485,26
वर्ष के दौरान वसूली	1765.09
वर्ष के अंत में अमान्य आय	3432.44

ऋणों की वस्ती

बैंक ने एनपीए और अतिदेय खातों दोनों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न तरीकों से ऋणों की वसूली पर अपना जोर जारी रखा। चालू वित्त वर्ष के दौरान लाभप्रदता में सुधार के लिए :बट्टे खाते में डाले गए खातों: की वसूली के प्रयासों पर उचित जोर दिया गया। गहन वसूली प्रयासों में निम्नलिखित चैनल शामिल थे:

- 1. व्यापक समझौता निपटान
- 2. 31-03-2024 तक वास्तविक खाता शेष के लिए एक मुश्त निपटान (ओटीएस) योजना, प्रति उधारकर्ता १५,०० लाख तक
- 3. विशेष वसूली अभियान
- 4. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम का प्रवर्तन
- ५. खातों का मुकदमा दायर करना
- ओटीएस वसूली अभियान







30 जून 2024 तक कुल मांग की वसूली रिपोर्ट के तहत अवधि के लिए 73.41% थी और कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए विवरण नीचे दिया गया है:

र लाख

पैरामीटर	कृषि क्षेत्र	गैर-कृषि क्षेत्र	कुल
मांग	289836.15	37478.33	327314.48
वस्ली	208878.47	31414.46	240292.93
अतिदेय	80957.68	6063,87	87021.55
वसूली का %	72.07	83.82	73.41

बट्टे खाते में डाले गए ऋण

बट्टे खाते में डाले गए ऋणों और उनके तहत की गई वसूली का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि र लाख

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025
बट्टे खाते में डाली गई राशि (तकनीकी बट्टे खाते में डाली गई राशि)	926.32	1105.85
बट्टे खाते में डाली गई राशि की संख्या	1127	895
बहे खाते में डाली गई राशि की कुल वसूली (राशि)	312.73	218.03

प्रायोजक वैंक के साथ समझौता ज्ञापन के तहत प्राप्त उपलब्धियाँ

वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रायोजक बैंक के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत बैंक ने प्रमुख मानदंड हासिल किए हैं। समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदर्शन का विवरण नीचे दिया गया है:





राशि ₹ लाख

पैरामीटर	31 मार्च 2024	लक्ष्य वित्तं वर्ष 2025	उपलब्धि 31 मार्च 2025 तक	
स्वयं के फंड	125252.84	154752,84	156222.31	3
कुल व्यवसाय	2144407.24	2445000,00	2527266,74	1
जमा	1002892.09	1160000,00	1211338,65	-
अग्रिम	1141515.15	1285000,00	1315928,09	,
उधार	459954.36	535000.00	420306.10	
परिचालन लाभ	35637.92	42500.00	43121.96	,
कर के बाद शुद्ध लाभ	25191.47	29500.00	30225,25	1
एनपीए	7736,19	10000,00	7179.07	
निवेश	212192.20	300000.00	195926,03	
जारी किए गए ऋण	1051756.54	1061500.00	1153326,49	
प्रति-शाखा व्यवसाय	8092,10	8732.14	9156,76	
प्रति-कर्मचारी व्यवसाय	1694,75	1822,00	1771.25	
सीडी अनुपात (%)	113.82	110.78	108,63	1
जमा की लागत (%)	6,38	6.38	6.72	
अग्रिम पर प्रतिफल (%)	9,78	9.78	10.20	
मांग के लिए वसूली (%)	73.69	75,00	73,41	П

आरआरवी में परिचालन और शासन सुधार

आरआरबी को प्रतिस्पर्धी, परिचालन रूप से कुशल और व्यवहार्य बनाने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान आरआरबी के लिए परिचालन और शासन सुधार शुरू किए हैं। इसके हिस्से के रूप में, प्रत्येक आरआरबी द्वारा एक व्यवहार्यता योजना या उ-वर्षीय रणनीतिक रोडमैप तैयार करने का प्रस्ताव है। यह कहा गया है कि आरआरबी के लिए पूंजी निवेश, इसके बाद, उक्त रोडमैप में परिचालन पहलुओं पर निर्धारित मील के पत्थर की उपलब्धि पर आधारित होगा, अन्य बातों के साथ:

- > ऋण विस्तार
- > व्यवसाय विविधीकरण
- > एनपीए में कमी
- > लागत युक्तिकरण
- > प्रौद्योगिकी अपनाना
- > कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार







तदनुसार, हमारे बैंक ने आकांक्षापूर्ण लहजे में रोडमैप तैयार किया है, लेकिन साथ ही साथ किए गए अनुमान यथार्थवादी हैं। जमा और अग्निम में वृद्धि के अलावा, मुख्य मीट्रिक में कुल आय, शुद्ध ब्याज मार्जिन, लागत से आय अनुपात, परिचालन लाभ से कुल संपत्ति अनुपात और कुल अग्निम में आर-एम।यानी खुदरा और एमएसएमई। का हिस्सा शामिल है।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी उन्नयन के तहत रोडमैप में उल्लेखनीय परिवर्तन की परिकल्पना की गई है जिसमें शामिल हैं

- i. बड़े पैमाने पर डिजिटल वित्तीय लेनदेन में वृद्धि
- ii. ऋण उत्पत्ति प्रणाली की शुरू आत
- iii. चरणबद्ध तरीके से एंड-टू-एंड डिजिटल यात्राओं का कार्यान्वयन

यह उल्लेख करना समीचीन है कि बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2024 (अर्थात् दूसरे वर्ष से लागू संशोधित दिशा-निर्देशों) के अनुसार निर्धारित 46 सभी मानकों का चयन किया गया है।

बैंक, व्यवसाय में वृद्धि, लाभप्रदता में सुधार और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में रोडमैप के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त वर्ष 2025 के प्रत्येक तिमाही के अंत में, इस रोडमैप के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा बैंक के बोर्ड और ए.पी. क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड द्वारा की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लक्ष्यों की प्राप्ति समयबद्ध और प्रभावी रूप से हो।

बीमा उत्पादों की क्रॉस सेलिंग

जीवन बीमा व्यवसाय:

बैंक, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (IFLIC) एवं स्टार यूनियन दाई-इचि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन बीमा उत्पादों को बेचने के लिए कॉरपोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है।

आईएफएलआई के संबंध में, बैंक 1806 आवेदनों से ₹ 409.02 लाख का व्यवसाय प्राप्त कर सका तथा वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹ 157.36 लाख कमा सका।

एसयूडी लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में, बैंक 2152 आवेदनों से ₹ 302.14 लाख का व्यवसाय प्राप्त कर सका तथा वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹ 56.44 लाख कमा सका।

कुल मिलाकर, बैंक ने चालू वर्ष के दौरान जीवन बीमा व्यवसाय से प्राप्त कमीशन के रूप में ₹ 213,80 लाख की गैर-ब्याज आय अर्जित की।

2. गैर-जीवन बीमा व्यवसाय:

सामान्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत, बैंक ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

बैंक वित्त वर्ष 2025 के दौरान क्रमशः ₹126.82 लाख, ₹21.80 लाख, ₹272.39 लाख का व्यवसाय प्राप्त कर सकता है और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से क्रमशः ₹17.04 लाख, ₹3.27 लाख, ₹38.13 लाख की आय प्राप्त हुई है।





3. स्वास्थ्य बीमाः

स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत, बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। बैंक वित्त वर्ष 2025 के दौरान क्रमशः ₹ 55.13 लाख और ₹ 25.86 लाख का कारोबार हासिल कर सकता है और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से क्रमशः ₹ 7.67 लाख और ₹ 3.69 लाख की आय प्राप्त हुई है।

अर्जित आय

अर्जित आयका विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ लाख

विवरण	वित्त वर्ष 2025
ऋण और अग्रिम पर प्राप्त ब्याज	132518,36
निवेश पर आय	16034.81
आरबीआई शेष और अन्य अंतर-बेंक निधियों पर ब्याज	7013.18
गैर-ब्याज आय	23412.50
कुल	178978.85

कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 13.08% रहा।

किया गया व्यय

किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि ₹ लाख

विवरण	वित्त वर्ष 2025
जमाराशियों पर दिया गया ब्याज	72873,26
उधारों पर दिया गया ब्याज	24803,34
जारी किए गए अंतर बेंक भागीदारी प्रमाणपत्रों पर दिया गया ब्याज	5485,97
अन्य व्यय	32694.32
कुल	135856.89







परिचालन लाभ और शुद्ध लाभ

बेंक ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान ₹ 43121,96 लाख का परिचालन लाभ और ₹ 30225.25 लाख का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2024 के दौरान यह क्रमशः ₹ 35637.92 लाख और ₹ 25191.47 लाख था।

राशि १ करोड़



वित्तीय अनुपात

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024
ओसत कार्यशील निधि (र लाख)	1749356.69	1578462.36
वित्तीय रिटर्न (औसत कार्यशील निधियों को ब्याज आय का %)	8.89	8.42
वित्तीय लागत (औसत कार्यशील निधियों को व्यय किए गए ब्याज का %)	5.90	5.58
वित्तीय मार्जिन (वित्तीय रिटर्न - वित्तीय लागत)	2.99	2.84
परिचालन लागत (औसत कार्यशील निधियों को परिचालन व्यय का %)	1.87	1.71
विविध आय (औसत कार्यशील निधियों को गैर-ब्याज आय का %)	1.34	1.13
परिचालन लाभ (वित्तीय मार्जिन + विविध आय - परिचालन लागत)	2.47	2.26
जोखिम लागत (औसत कार्यशील निधियों को किए गए नुकसान प्रावधानों का %)	0.10	0.13
शुद्ध मार्जिन (परिसंपत्तियों पर रिटर्न) औसत कार्यशील निधियों को कर के बाद शुद्ध लाभ का %)	1,73	1.60





कॉस्ट टू इनकम अनुपात 31 मार्च 2025 को बढ़कर 43.12% हो गया, जो कि 31 मार्च 2024 को 43.04% था। समान आधार पर की गई गणना के अनुसार, स्टाफ कॉस्ट टू इनकम अनुपात 31 मार्च 2025 को 29.31% रहा, जबकि 31 मार्च 2024 को यह 29.16% था।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio)

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 31 मार्च 2025 को 15.43% रहा, जो कि नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता 9.00% से कहीं अधिक है (पिछले वर्ष: 13.93%)।

उपरोक्त अनुपात में से, टियर 1 पूंजी का योगदान 14.74% तथा टियर 11 पूंजी का योगदान 0.69% रहा

आयकर (Income Tax)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा र 11,703.26 लाख अग्रिम कर के रूप में आयकर विभाग को भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए र 10,727.15 लाख की आयकर प्रावधान राशि की व्यवस्था की गई। 31 मार्च 2025 तक कुल आयकर प्रावधान का अनुमानित आंकड़ा र 10,306.90 लाखरहा।

मानव संसाधन

बेंक के पास 1377 कर्मचारी हैं, जिनमें 872 अधिकारी, 385 कार्यालय सहायक और 120 कार्यालय परिचारक शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक बैंक में कैंडर-वार और ग्रेंड-वार जनशक्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संवर्ग	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
अधिकारी	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-स्केल V	3
	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड-स्केल IV	30
	मध्य प्रबंधन ग्रेड-स्केल III	80
	मध्य प्रबंधन ग्रेड-स्केल ॥	256
	जूनियर प्रबंधन ग्रेड-स्केल ।	503
	कुल	872
OAS(कार्यालय सहायक)		385
OAT(कार्यालय परिचारक)		120
	कुल योग	1377







मानव संसाधन विकास

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 132 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है, विवरण नीचे सारणीबद्ध है-

संवर्ग	पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या
SMGS-IV से SMGS-V	2
MMGS-III से SMGS-IV	9
MMGS-III ₹ MMGS-III	15
JMGS-I से MMGS-II	42
OAS से OJM-I	30
OAT से OAS	34
कुल	132

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान 23 अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए।

शिक्षा एवं विकास (Learning & Development)

हमारा बैंक निरंतर सीखने और व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, सभी कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने हेतु आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुईं:

- आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 1396 कर्मचारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया। इनमें नव नियुक्त एवं पदोन्नत कर्मचारियों हेतु आयोजित इंडक्शन ट्रेनिंग, Finacle 10x अपग्रेडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम, आंतरिक पदोन्नति परीक्षाओं के लिए SC, ST, OBC उम्मीदवारों हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।
- 2. आंतरिक कार्यक्रमों के अलावा, 67 कर्मचारियों को BIRD लखनऊ, NIBSCOM नोएडा, BIRD मैंगलोर, CAB पुणे जैसे प्रतिष्ठित बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इन प्रयासों से न केवल कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि हुई है, बल्कि बैंक की समग्र सेवा गुणवत्ता एवं कार्य निष्पादन में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है।
- 3. हमने बदलते परिदृश्य के अनुरूप अपने प्रशिक्षण प्रयासों को डिजिटल रूप में भी अनुकूलित किया है। इसके अंतर्गत IIBF कोलकाता, NIBSCOM नोएडा जैसे प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 106 कर्मचारियों को वर्चु अल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

इन सभी प्रशिक्षण पहलों से यह स्पष्ट होता है कि हमारा बैंक अपने कार्यबल के कौशल एवं ज्ञान को निरंतर सशक्त बनाने के लिए





प्रतिबद्ध है, ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण में हम न केवल टिके रहें, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का भी प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

स्टाफ कल्याण

सीजीजीबी (कर्मचारियों) पेंशन विनियम, 2018 के अंतर्गत कर्मचारियों को पेंशन भुगतान हेतु पेंशन फंड की स्थापना की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा 12.12.2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस फंड के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की बैलेंस शीट की अनुसूची 11 में ₹ 14,817.00 लाख का प्रावधान किया गया।

बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC of India) को इस पेंशन फंड का फंड मैनेजर नियुक्त किया है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान पेंशन फंड हेतु LIC को कुल र 220.00 लाख का भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त, चालू वित्त वर्ष में एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर बैंक ने समूह ग्रेच्युटी (Group Gratuity) के अंतर्गत निम्नलिखित भुगतान किए –

बीमा कंपनी का नाम	राशि र लाख में
स्टार यूनियन दाई-इची	226.00
पीएनबी मेटलाइफ	100,00
आदित्य बिड्ला सनलाइफ	100,00
प्रामेरिका	75,00
रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस	75,00
आईएफएलआई	75.00
एलआईसी	5.01
कुल	656.01

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित भुगतान किए –









बीमा कंपनी का नाम	राशि ₹ लाख मे
स्टार यूनियन दाई-इची	100.00
पीएनबी मेटलाइफ	100,00
आदित्य बिड़ला सनलाइफ	100.00
प्रामेरिका	75,00
रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस	75.00
कोटक लाइफ	75,00
आईएफएलआई	50.00
एलआईसी	478.15
कुल	1053,15

बैंक ने उन कर्मचारियों के लिए, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किए गए हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जो एनपीएस हेतु फंड मैनेजर के रूप में कार्य करता है) के माध्यम से एनएसडीएल को ₹ 1,155.97 लाख का योगदान भी किया। बैंक ने इम्प्लॉईज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के स्थान पर एक स्टाफ वेलफेयर योजना के रूप में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (IFLIC) के साथ ग्रुप टर्म प्लान अपनाया है। इस योजना के अंतर्गत, सभी कर्मचारियों को मृत्यू की स्थिति में ₹ 7.00 लाख का बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, जिसके लिए वार्षिक प्रीमियम का भूगतान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, स्टाफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस योजना वर्ष के दौरान 6 अप्रैल 2024 की नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ नवीनीकृत की गई। यह नवीनीकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 20 अक्टूबर 2016 के पत्र एवं 25 मई 2015 की 7वीं संयुक्त नोट और 10वीं द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौते के अनुसार किया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिकारियों, ऑफिस असिस्टेंट्स तथा ऑफिस अटेंडेंट्स और उनके आश्रितों के लिए क्रमशः र 4.00 लाख. र 3.00 लाख तथा र 3.00 लाख का बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

संशोधित पेंशन योजना का कार्यान्वयन दिनांक 01.11.1993 से

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के परिपत्र संख्या F.No.8/4/2024-RRB दिनांक 03.10.2024 तथा F.No.8/2/2010-RRB दिनांक 03.10.2024 के अनुसार, बेंक ने 01.11.1993 से संशोधित पेंशन योजना को लागू किया है। इसके अनुसार "चैत्यन्य गोदावरी ग्रामीण बेंक (कर्मचारियों के लिए) पेंशन विनियम, 2018" में आवश्यक संशोधन कर 06.11.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप, 4 नए पेंशनर्स को जोड़ा गया है तथा 33 नियमित पेंशनर्स, 26 पारिवारिक पेंशनर्स और 4 नए पेंशनर्स को कुल ₹ 537.23 लाख की एरियर राशि का भूगतान किया गया।

स्टाफ सेवा विनियम, 2010 में संशोधन

बैंक ने "चैत्यन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक (अधिकारियों एवं कर्मचारियों) सेवा विनियम" में भी संशोधन किया है, जिसे 06.11.2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। यह संशोधन नाबार्ड के दिशा-निर्देश संख्या NB.HO.IDD.Policy/182/316(Service Regulation)/2024-25 दिनांक 13.06.2024 के अनुरूप किया गया है।





औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंधों का वातावरण स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण बना रहा, जिससे सुचारू संचालन में मदद मिली।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण

बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कल्याण हेतु एक स्वतंत्र सेल कार्यरत है, जो निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होता है। मानव संसाधन विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक को वर्तमान में लायजन अधिकारी (Liaison Officer) के रूप में नामित किया गया है। वर्ष के दौरान, SC/ST कर्मचारियों के कल्याण संघ के साथ संरचनात्मक बैठकें आयोजित की गईं, जैसा कि आवश्यक है। बैंक में कुल 1377 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के 242 एवं अनुसूचित जनजाति के 95 कर्मचारी कार्यरत हैं।

IBPS-RRB-CRP XIII-साक्षात्कार

वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने नोडल बैंक के रूप में इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से, आंध्र प्रदेश राज्य की सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP) – XIII के अंतर्गत अधिकारी स्केल-I, II और III पदों हेतु साक्षात्कारों का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

बैंक ने तरलता (Liquidity) और बाजार जोखिम (Market Risk) के प्रभावी प्रबंधन के लिए NABARD/RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक समग्र "एसेट-लायबिलिटी प्रबंधन नीति (Asset Liability Management Policy)" लागू की है।

बैंक में एसेट-लायबिलिटी समिति (ALCO) का गठन किया गया है, जो बैंक में एएलएम (ALM) से संबंधित समस्त गतिविधियों की निगरानी करती है। यह समिति बाजार में प्रचलित तरलता तथा ब्याज दर की स्थिति पर गहन विचार-विमर्श करती है और बाजार जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी तथा शमन के उपायों की समीक्षा करती है।

ALCO समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करती है और जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एसेट-लायबिलिटी प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) को CBS (कोर बैंकिंग सिस्टम) से अधिकतम सीमा तक ट्रैक किया जा रहा है।

'तरलता जोखिम (Liquidity Risk)' का मूल्यांकन और प्रबंधन गैप विश्लेषण (Gap Analysis) के माध्यम से किया जा रहा है, जो अवशिष्ट परिपक्तता (residual maturity) के आधार पर परिपक्तता मिसमैच का आकलन करता है। बैंक की तरलता स्थित का आकलन Structural Liquidity Statement और Short Term Dynamic Liquidity Statement के अनुमानों के माध्यम से किया जाता है। बिना परिपक्तता अविध वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए व्यवहारात्मक अध्ययन (Behavioural Studies) किए जाते हैं और इनसे प्राप्त निष्कर्षों को गैप विश्लेषण में सम्मिलित किया जाता है। NABARD के दिशानिर्देशों के अनुरूप विवेकपूर्ण सीमाएं (Prudential Limits) निर्धारित की गई हैं, जिनकी नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

ंब्याज दर जोखिम (Interest Rate Risk)' का प्रबंधन भी गैप विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। ALM स्थिति नोट प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरांत NABARD को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (IRMD) प्रतिमाह ALM स्थिति नोट तैयार करता है और इसे बैंक के उच्च प्रबंधन को प्रस्तुत करता है।.







परिचालन जोखिम प्रबंधन

एक सुसंगत और प्रभावी परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाने के लिए जो बेहतर प्रदर्शन के साथ संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, परिचालन जोखिम प्रबंधन पर "क्या करें और क्या न करें" के रूप में एक पुस्तिका लाई गई है।

कर्मचारी खातों में ₹ 50,000/- और उससे अधिक नकद और ₹ 1 लाख और उससे अधिक हस्तांतरण द्वारा जमा लेनदेन की नियमित रूप से मासिक आधार पर निगरानी की जाती है।

हमारा बैंक हमारे प्रायोजक बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की समूह जोखिम प्रबंधन सिमित (जीआरएमसी) का सदस्य है, जो इसका सहयोगी है। जोखिम उठाने की क्षमता, जोखिम प्रोफ़ाइल, जोखिम प्रभाव, जोखिम की संभावना और जोखिम की दिशा का मूल्यांकन उक्त सिमित द्वारा अर्ध-वार्षिक अंतराल पर किया जाता है और जहाँ भी आवश्यक हो, जोखिम कम करने के लिए हमारे आरआरबी को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठा जोखिम और एकाग्रता जोखिम की भी प्रायोजक बैंक द्वारा निगरानी और मार्गदर्शन किया जाता है।

बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की बैठकें तिमाही में एक बार आयोजित की जाती हैं, जिसमें प्रायोजक बैंक के वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेते हैं, ताकि विभिन्न आयामों में जोखिम मूल्यांकन के स्तर को प्रभावी रूप से समीक्षा और बढ़ाया जा सके।

सुरक्षा व्यवस्थाएँ

बैंक ने अपनी सभी शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए योजनाएँ तैयार की हैं और विभिन्न उपाय किए हैं। शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी हेतु सुरक्षा निरीक्षण (Security Inspection) किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं में पाई गई खामियों की पहचान की जा रही है और उन्हें दूर किया जा रहा है।

सुरक्षा और वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 17 शाखाओं को नए परिसरों में स्थानांतरित किया गया।

सुरक्षा अलार्म प्रणाली को सशक्त बनाने के तहत, नई GSM सिम / लैंडलाइन-सक्षम ऑटो डायलर कंट्रोल पैनल वाली सुरक्षा अलार्म प्रणालियाँ लागू की गई हैं। यह नई अलार्म प्रणाली चालू वित्तीय वर्ष में खोली गई 11 नई शाखाओं और 9 मौजूदा शाखाओं में स्थापित की गई है। शेष शाखाओं में भी इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी अपनाना

गत वित्तीय वर्ष में, बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बैंक के तकनीकी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और समग्र ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई रणनीतिक पहलों का नेतृत्व किया। ये पहल डिजिटल बैंकिंग में हमारी अग्रणी भूमिका को बनाए रखने, संचालन दक्षता को बढ़ाने और हमारे ग्राहकों के विश्वास को मजबूत करने के प्रति हमारी अट्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैंक के डिजिटल रूपांतरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रमुख तकनीकी नवाचार और सुधार नीचे दिए गए हैं:

1. सीबीएस उन्नयन (CBS Upgradation):

वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बैंक ने अपनी समग्र तकनीकी परिवर्तन रणनीति के हिस्से के रूप में कोर बैंकिंग प्रणाली (Core Banking







System) के महत्वपूर्ण उन्नयन की पहल की। इस प्रयास का उद्देश्य बैंकिंग संचालन की विश्वसनीयता को बेहतर बनाना, बदलती नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना और ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा अनुभव प्रदान करना था।

माइग्रेशन से पूर्व, प्रणाली का व्यापक मूल्यांकन, बुनियादी ढांचे का उन्नयन तथा कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, ताकि परिवर्तन निर्बाध और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। इस प्रक्रिया के दौरान, बैंक ने ग्राहकों और संबंधित पक्षों को विभिन्न माध्यमों के ज़रिए नियमित रूप से जानकारी दी।

माइग्रेशन की योजना सप्ताहांत में इस प्रकार बनाई गई ताकि नियमित बैंकिंग सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान हो। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हुई और 28 अक्टूबर 2024 तक नई प्रणाली सभी शाखाओं में पूर्ण रूप से वालू कर दी गई।

2. उन्नत भुगतान समाधान (Advanced Payment Solutions):

बैंक की डिजिटल भुगतान यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में UPI क्यूआर कोड का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। हमारा बैंक देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) बना जिसने अपने स्वयं के हैंडल @mycggb के साथ UPI QR कोड पेश किए। इस पहल ने बैंक के ग्रामीण कार्यक्षेत्र में डिजिटल भुगतानों को अपनाने की गति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

जुलाई 2024 में लॉन्च के बाद से, बैंक ने 31 मार्च 2025 तक अपने कार्यक्षेत्र में छोटे विक्रेताओं, फेरीवालों, पेशेवरों एवं कारीगरों को 20,000 UPI QR कोड जारी किए हैं। इस पहल ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, जिसमें 9,51,808 लेन-देन दर्ज किए गए हैं और कुल लेन-देन मूल्य र7,285,38 लाख रहा है।

UPI QR कोड सेवा लगातार लोकप्रियता प्राप्त कर रही है और जैसे-जैसे अधिक उपयोगकर्ता डिजिटल भुगतान विधियों को अपनाते हैं, इसमें आने वाले समय में और अधिक वृद्धि की प्रबल संभावना है।

3. इंटरनेट वैंकिंग प्लेटफॉर्म का उन्नयन:

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म में महत्वपूर्ण उन्नयन किए गए, जिसके अंतर्गत कई नई सुविधाएँ शुरू की गईं। इनमें ऑनलाइन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सुविधा, ग्रीन पिन जनरेशन, ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की बुकिंग, एडवाइस एवं क्लोजर, तथा IMPS, NEFT, RTGS, ऋण पुनर्भुगतान और विभिन्न रजिस्ट्रेशन विकल्पों सहित फंड ट्रांसफर की सुविधाएँ शामिल हैं।

31 मार्च 2025 तक इस उन्नत प्लेटफॉर्म पर 13,526 पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। यह एक आधुनिक, उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करता है, जो सभी डिजिटल उपकरणों पर सुगम उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है।

ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा विशेषताएँ शामिल हैं, जो संभावित साइबर खतरों से डेटा और लेन-देन को सुरक्षित रखती हैं।

वर्तमान में, इस प्लेटफॉर्म पर कुल 22 सेवाएँ उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और हमारी डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाती हैं।

4. व्हाट्सऐप बैंकिंग के माध्यम से वीडियो-केवाईसी द्वारा वचत खाता खोलना:

ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने और उन्हें परिचित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवा शुरू की, जिससे उपयोगकर्ता अपनी दैनिक डिजिटल बातचीत के दौरान ही मूल बैंकिंग सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकें।







यह सेवा 11 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी, और 31 मार्च 2025 तक 86,303 पंजीकरण दर्ज किए गए। वित्त वर्ष 2025 में, बैंक ने व्हाट्सऐप बैंकिंग सेवा के माध्यम से वीडियो-केवाईसी (VKYC) द्वारा बचत खाता खोलने की सुविधा शुरू की। इस सुविधा के तहत, नए ग्राहक केवल एक फॉर्म भरकर और वीडियो-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण करके बचत खाता खोल सकते हैं। यह सेवा पहले से ही बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो-केवाईसी सुविधा के पूरक के रूप में कार्य करती है, और ग्राहक-अनुकूल डिजिटल बैंकिंग अनुभव को और अधिक सुलभ बनाती है।

5. ऋण उत्पत्ति प्रणाली (Loan Origination System - LOS) में अतिरिक्त सेवाएँ:

बैंक ने ऋण आवेदन प्रक्रिया को स्वचालित और अनुकूलित करने के लिए रूना आपित प्रणाली (LOS) लागू किया है। यह प्रणाली ऋण प्रक्रिया की गति, सटीकता और दक्षता को अत्यधिक बढ़ाती है, जिससे ग्राहक अनुभव बेहतर होता है और बैंक के संचालिक उत्कृष्टता व ग्राहक संतुष्टि जैसे रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

इस प्रणाली को प्रारंभ में स्वर्ण ऋण (Gold Loan) के लिए लागू किया गया था, और वित्त वर्ष 2024-25 में इसे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और स्वयं सहायता समूह (SHG) ऋणों के लिए भी विस्तारित किया गया, जिससे अधिक व्यापक ग्राहक वर्ग को सुगम और कुशल ऋण प्रक्रिया की सुविधा प्राप्त हुई।

21 दिसंबर 2023 को आरंभ हुई इस प्रणाली के माध्यम से, 31 मार्च 2025 तक 5.52 लाख ऋण खाते सफलतापूर्वक संसाधित किए गए, जिनमें कुल ₹6,978.38 करोड़ की राशि वितरित की गई।

6. सीजीजीबी फेसपे (CGGB FacePay) का शुभारंभ:

ग्रामीण और तकनीकी रूप से कम सशक्त ग्राहकों के लिए बैंकिंग की पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने शाखा-स्तरीय समाधान के रूप में CGGB FacePay कियोरक लॉन्च किया है, जो चेहरे की पहचान (facial authentication) के माध्यम से नकद निकासी जैसी लेन-देन को आसान बनाता है।

इस प्रणाली में ग्राहक को खाता संख्या, मोबाइल डिवाइस या भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। यह कियोस्क स्थानीय भाषाओं में टेक्स्ट और वॉयस-गाइडेड निर्देशों के साथ संचालित होता है, जिससे सभी ग्राहक वर्गों के लिए इसका उपयोग सरल और सहज हो सके। यह सुविधा ग्राहकों में विश्वास को बढ़ाती है और उन्हें धीरे-धीरे मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी अन्य डिजिटल सेवाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

गत वर्ष के दौरान लागू की गई यह पहलें हमारी उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जो बैंकिंग को अधिक समावेशी और ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में है। कोर बैंकिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऋण प्रणाली और ग्राहक ऑनबोर्डिंग के क्षेत्रों में नई तकनीकों को अपनाकर, हमने न केवल अपनी संचालन प्रक्रिया को सुधारा है, बल्कि उन लोगों के साथ अपने जुड़ाव को भी बेहतर बनाया है, जिनकी हमें सेवा करनी है — विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में।

आगे भी, हम तकनीक का सुरक्षित, कुशल और सभी के लिए सुलभ तरीके से उपयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं।

वित्तीय समावेशन पहल (Financial Inclusion Initiative)

वित्तीय समावेशन (FI) के तहत, हमारे बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से कुल 245 गांवों में





बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (BC) एजेंटों की नियुक्ति की है। जिलावार विवरण इस प्रकार है: गुंटूर जिला - 13, बापटल जिला - 20,पलनाडु जिला -118, पूर्वी गोदावरी - 7, काकिनाडा - 29, डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा - 19, एलूरु - 15, तथा पश्चिम गोदावरी - 241

बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को 22 जनवरी 2015 से लागू किया गया है, जो कि तकनीकी सेवा प्रदाताओं (TSPs) के सहयोग से संचालित हो रही हैं। 01 सितम्बर 2024 से, बैंक ने मैगनोट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि. को कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पॉन्डेंट (CBC) के रूप में नियुक्त किया है, जो बैंकिंग संवाददाता सेवाएं प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान FI के कार्यान्वयन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पैरामीटर	31 मार्च 2025 का लक्ष्य	31 मार्च 2025 तक उपलब्धि
1.	बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की तैनाती	265	245
2	। अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लेन-देन की संख्या	25,89,996	18,81,383
3	कारोबार की मात्रा	₹.65538,53 लाख	₹.137692.93 लाख

एआईआईबीसी आउटलेट सक्रिय हैं और वालू वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान लेनदेन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष २०२५	
कुल लेन-देन	25,47,594	18,81,383	
कारोबार की मात्रा (करोड़ रुपये)	1538.08	1376.93	
प्रति माह प्रति बीसी लेन-देन की ओसत संख्या	928	677	
बीसी को ओसत पारिश्रमिक (₹)	9,660	8,098	
लेन-देन लागत (₹)	15.28	15.72	

प्रधानमंत्री की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रगति:

	5===	खातों/नामांकनों की संख्या			
क्र.सं.	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025		
		2,69,753	2,77,833		
I.	पीएमजेडीवाई	लेनदेन किये गये खातों की संख्या:2,48,967	लेनदेन किये गये खातों की संख्या: 2,57,151		
		शुन्य शेष खाते: 7.71%	शून्य शेष खाते : 7.44%		
2	पीएमजेजेबीवाई	4,14,145	5,46,578		
3	पीएमएसबीवाई	7,70,892	10,01,474		
4	पीएमएपीवाई	1,37,559	1,68,735		







प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) और प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना (PMJSS) के अंतर्गत प्रगति विवरण

दिनांक 31 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) अंतर्गत खातों में कुल शेष राशि र 8,174.94 लाख रही। इसी तिथि को रुपे कार्ड की सक्रियता दर 73% रही, जो कि बैंक द्वारा जारी किए गए कुल रुपे कार्ड्स के सापेक्ष दर्शाई गई है।

PMJDY खातों में पात्र ग्राहकों को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रतिशत 2,70% रहा।

बैंक खातों में आधार सीडिंग की स्थिति 96.69% तक पूरी की जा चुकी है, जो कि वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना (PMJSS):

हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजनाओं (PMJSS) के लिए सैचुरेशन ड्राइव की घोषणा की थी, जिसका आरंभ 2 अक्टूबर 2021 से हुआ।

इस पहल का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाए।

यह अभियान वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था में स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बैंक इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

क्र.सं.	योजना का	नामांकन की संख्या				
	नाम	कुल पात्र ग्राहक	नामांकन की संख्या	कवरेज का %		
1	पीएमएसबीवाई	11,26,532	10,01,474	88.90		
2	पीएमजेजेबीवाई	5,68,682	5,46,578	96,11		
3	एपीवाई	3,78,427	1,68,735	44.59		

पीएमजेएसएस अभियान - (02.10.2021 से 31.03.2025 तक):

योजना का नाम	पीएमजेएसएस अभियान के तहत प्रगति पहला दौर (02.10.2021 से 30.09.2022 तक)	पीएमजेएसएस अभियान के तहत प्रगति दूसरा दौर (01.10.2022 से 31.03.2023 तक)	पीएमजेएसएस अभियान के तहत प्रगति तीसरा दौर (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)	पीएमजेएसएस अभियान के तहत प्रगति चौथा दौर (01.04.2024 से 31.03.2025 तक)
पीएमजेडीवाई	19,937	7,275	35,265	8,102
पीएमजेजेबीवाई	22,167	25,955	85,898	1,32,433
पीएमएसबीवाई	41,496	35,006	1,02,776	2,30,582
एपीवाई	21,209	12,232	31,012	29,763

बैंक ने उपरोक्त प्रगति हासिल करने के लिए पीएमजेएसएस पर विशेष शिविर भी आयोजित किए हैं।





वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी):

बैंक ने गुंटूर एफएलसी में तीन वित्तीय साक्षरता परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है और आरबीआई द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अनुसार वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर (एफएलएसी) आयोजित कर रहा है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक कुल 1,611 एफएलएसी आयोजित किए गए, जिनका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं	शिविरों के प्रकार	आयोजित शिविरों की संख्या
1	ভিজিटল ब नना	44
2	लक्ष्य विशेष शिविर	176
3	ग्रामीण शिविर	1391
	कुल	1,611

उपरोक्त सभी कार्यक्रम 1195 गांवों में आयोजित किए गए हैं और इन एफएलएसी कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 38,924 नागरिकों को वित्तीय साक्षरता के बारे में शिक्षित किया गया है।

आधार नामांकन केंद्र (AECs):

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने शाखाओं में आधार नामांकन एवं अद्यतन गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुल 27 आधार नामांकन केंद्र (AECs) स्थापित किए हैं।

बैंक द्वारा आधार नामांकन एवं अद्यतन की प्रक्रिया फरवरी 2018 से प्रारंभ की गई थी, और 31 मार्च 2025 तक कुल 5,53,863 आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में (जुलाई 2024 से मार्च 2025 के नए और अनिवार्य नामांकन को छोड़कर) कुल 53,757 नामांकन एवं अद्यतन कार्य किए गए। (जुलाई 2024 से मार्च 2025 के नए एवं अनिवार्य नामांकनों का डेटा UIDAI से प्राप्त होना शेष है।)

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति AEC औसतन मासिक आधार नामांकन एवं अद्यतन की संख्या 235 रही।

आंतरिक निरीक्षण:

31 मार्च 2025 तक, कुल 218 शाखाएं निरीक्षण के लिए पात्र थीं, जिनमें से सभी शाखाओं का नियमित आंतरिक निरीक्षण पूरा किया गया। इनमें से 176 शाखाओं को 'A'ग्रेड, 40 शाखाओं को 'B'ग्रेड तथा 2 शाखाओं को 'C'ग्रेड प्राप्त हुआ।

निरीक्षण रिपोर्टों में उल्लिखित त्रुटियों एवं विचलनों के निवारण के लिए सतत रूप से आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।







समवर्ती लेखा परीक्षा (Concurrent Audit):

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक की 212 शाखाओं में स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मी एवं कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से समवर्ती लेखा परीक्षा कराई गई।.

नाबार्ड द्वारा वैधानिक निरीक्षण

नाबार्ड ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत चौदहवां वैधानिक निरीक्षण 18 सितंबर 2024 से 09 अक्टूबर 2024 तक किया। यह निरीक्षण बैंक की 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में संपन्न हुआ।

प्रायोजक बैंक द्वारा प्रबंधन लेखा परीक्षण

प्रायोजक बैंक, अर्थात् यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का प्रबंधन लेखा परीक्षण (एमएडी) 03 जुलाई 2024 से 06 जुलाई 2024 तक किया

प्रायोजक बैंक द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) की समीक्षा

बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा, वित्त वर्ष 2024—25 के लिए प्रायोजक बैंक के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (MoU) के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही की जाती है। इस समीक्षा से बैंक की प्रगति के लिए मूल्यवान सुझाव प्राप्त होते हैं।

प्रायोजक बैंक द्वारा समीक्षा के लिए. बैंक के विभिन्न मापदंडों पर प्रदर्शन की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में कृषि व्यवसाय विभाग, केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई को भी प्रस्तुत की जाती है।

धोखाधड़ी के मामले

विवरणित वर्ष के दौरान शाखाओं में तीन धोखाधड़ी की घटनाएँ सामने आईं। जहाँ भी लागू हो, संबंधित ऋण खातों को हानि संपत्ति (Loss Assets) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनके लिए 100% प्रावधान किया गया है। बैंक को हुई शेष हानि की राशि के लिए भी 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार पृथक रूप से 100% प्रावधान किया गया है।

निवारक सतर्कता

बैंक के समस्त कर्मचारियों में निवारक सतर्कता (Preventive Vigilance) की अवधारणा को वर्ष भर व्यापक रूप से आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित किया गया। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आयोजित सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 'निवारक सतर्कता' विषय पर एक सत्र अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है।

निवारक सतर्कता समितियाँ

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा जारी सतर्कता नियमावली के अनुसार, निवारक सतर्कता समितियाँ (PVCs) वित्त वर्ष 2022 में बोर्ड की स्वीकृति से गठित की गईं। इन समितियों का उद्देश्य शाखा स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को निधीरित प्रक्रियाओं के उल्लंघन या अन्य अनियमितताओं को रोकने हेत् शिक्षित करना तथा जमीनी स्तर पर सतर्कता की संस्कृति को विकसित करना है।

ऐसी समितियाँ उन सभी शाखाओं में गठित की गई हैं जहाँ अधिकारी और OAS संवर्ग के मिलाकर 4 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इन समितियों के लिए एक निर्धारित कार्यसूची (एजेंडा) के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती हैं। उक्त समितियाँ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही हैं।





सतर्कता जागरूकता सप्ताह

हमारे बैंक ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 (VAW-2024) का आयोजन 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक प्रारंभिक गतिविधियों सिहत केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया। इस वर्ष का विषय था – "राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति"। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हमारे बैंक के सेवा क्षेत्र के कोने-कोने में उल्लासपूर्वक किया गया।

वॉकथॉन, साइक्लोथॉन, वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान शिविर, रंगोली, चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिताएँ, स्वयं सहायता समूह (SHG) बैठकों, फ्लैश मॉब, गुब्बारा प्रदर्शन, ग्राम सभाएँ आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से यह सप्ताह समर्पित भाव से मनाया गया।

हमारे CGGB के सतर्कता विभाग ने बैंक की शाखाओं के दूरस्थ सेवा क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनेक पहलें कीं। बैंक ने अपने कर्मचारियों, खाताधारकों, ग्रामीणों तथा अन्य हितधारकों के बीच "राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति" विषय पर सफलतापूर्वक जागरूकता फैलाने का कार्य किया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं सूचक संरक्षण (PIDPI) शिकायतों के संबंध में भी जागरूकता पैदा की, जिससे भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित लिखित शिकायतों को प्रोत्साहित किया जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 के दौरान, हमने सतर्कता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया और एक भ्रष्टाचार-मुक्त राष्ट्र के निर्माण में ईमानदारी की महत्ता पर आम जनता को संवेदनशील बनाया।

सामाजिक उत्तरदायित्व

हमारे बैंक की कोंपेरिट संस्कृति में सामाजिक उत्तरदायित्व एक अभिन्न अंग के रूप में सदैव प्रमुख स्थान पर रहा है। हमारा दढ़ विश्वास है कि एक वित्तीय संस्था के रूप में हमारी सफलता, हमारे द्वारा सेवा किए जाने वाले समुदायों की भलाई और प्रगति से गहराई से जुड़ी हुई है। अतः हमने समाज के उत्थान और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों में भाग लेकर निरंतर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने का प्रयास किया है।

वित्त वर्ष 2025 में भी बैंक ने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए ११७.18 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की। इस सहायता का उपयोग कृषि तकनीकों के प्रचार-प्रसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रायोजन, त्योहारों के अवसर पर जरूरतमंदों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण आदि कार्यों में किया गया।

बैंक द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के चयनित स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को स्वल्पकालीन इंटर्नशिप अवसर भी प्रदान किया गया, जिससे कुल ०९ छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ।

पुरस्कार और सम्मान

संदर्भित वर्ष के दौरान, बैंक को विभिन्न मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए, जो कि हमारे हितधारकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप थे। इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:







वित्तीय समावेशन - अटल पेंशन योजना (APV):

हमारे बैंक को वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान PFRDA द्वारा निर्धारित अटल पेंशन योजना (APY) लक्ष्य को पार करने के लिए 'APY वार्षिक पुरस्कार – विजनरी अचीवर' से सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि बैंक ने प्रति शाखा 90 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 117 प्रति शाखा की दर से कुल 29,763 APY नामांकन दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विभिन्न अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बैंक को PFRDA द्वारा अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।

- APY वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड जून, 2024 के महीने के लिए
- 2. APY वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड जुलाई, 2024 के महीने के लिए
- 3. APY वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड अगस्त, 2024 के महीने के लिए
- 4. APY वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड सितंबर, 2024 के महीने के लिए
- 5. APY ट्रेंडसेटर्स अभियान (05 जून से 31 जुलाई) 2024 के लिए और "अल्टीमेट ट्रेंडसेटर" के रूप में सम्मानित किया गया।
- 6. APY अभियान के शुरुआती अचीवर्स (05 जून से 30 सितंबर) 2024 के लिए और "मेगा एक्सीलेंस का पुरस्कार" प्राप्त किया।
- 7. APY मेगा माइलस्टोन अभियान (05 जून से 05 अक्टूबर) 2024 के लिए "अनुकरणीय माइलस्टोन"।
- 8. APY रिटायरमेंट क्रांतिकारी अभियान -(05 अगस्त से 05 अक्टूबर) 2024 के लिए "दूरदर्शी क्रांतिकारी"
- 9. APY वंडरस वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड फरवरी, 2025 के महीने के लिए
- 10. APY वॉरियर्स ऑफ विनिंग वेडनेसडे अवार्ड मार्च, 2025 के महीने के लिए
- 11. APY (AAA) अभियान के अद्भुत अचीवर्स—(01 जनवरी से 31 मार्च) 2025 के लिए—"प्रशंसा प्रमाण पत्र"

SKOCH पुरस्कारः

21 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 99वें SKOCH समिट में हमारे बैंक को दो प्रतिष्ठित श्रेणियों में सम्मानित किया गया:

गोल्ड अवार्ड – प्राथमिकता क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन (Priority Sector Performance)

सिल्वर अवार्ड – तकनीकी उन्नयन के क्षेत्र में (Technology Upgradation)

यह सम्मान बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र में योगदान और डिजिटल/तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रमाण है।

MSME पुरस्कार:

वेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (CIMSME), नई दिल्ली द्वारा आयोजित MSME बैंकिंग एवं एनबीएफसी उत्कृष्टता पुरस्कार — 2024 के ॲतर्गत, बैंक को "MSME का समर्थन करने के लिए जूरी प्रशंसा पुरस्कार" (Jury Appreciation Award for supporting MSMEs) से सम्मानित किया गया।





जन धन प्लस कार्यक्रमः

नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों (RRBs) में जन धन प्लस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक गैर-लाभकारी संस्था "विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग" के साथ भागीदारी की है। हमारे बेंक ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ 10 सितंबर 2024 को किया। यह कार्यक्रम वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान सफलतापूर्वक लागू किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य RRBs द्वारा जन धन योजना के तहत अनुभव की जा रही प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। JD प्लस समाधान, RRBs के लिए उपलब्ध संभावनाएँ, तथा इस योजना में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स (BCs) की भूमिका को सशक्त करना – इन सभी पहलुओं को कार्यक्रम के अंतर्गत समाहित किया गया है।

बोर्ड की बैठकें

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान बैंक द्वारा आठ बोर्ड बैठकें बुलाई गईं और प्रत्येक तिमाही के दौरान कम से कम एक बैठक आयोजित की गई, जिससे बोर्ड की बैठकों के संचालन के लिए निर्धारित संख्या पूरी हो गई।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या नो थी।

संदर्भित वर्ष के दौरान, व्यवसाय की तात्कालिकता और वैधानिक आवश्यकताओं के कारण निदेशक मंडल द्वारा 09 परिपत्र प्रस्ताव पारित किए गए। इन सभी प्रस्तावों की पुष्टि बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठकों में की जाती है।

दो बोर्ड स्तरीय समितियाँ, अर्थात लेखा परीक्षा समिति और ₹ 20.00 लाख और उससे अधिक के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएफ) ने वित्त वर्ष 2025 की चार तिमाहियों में एक-एक बार बैठक की है।

दो नवगठित बोर्ड स्तरीय समितियाँ, अर्थात आईटी उप-समिति और आईटी रणनीति समिति ने वित्त वर्ष 2024 के दौरान एक बार बैठक की है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने पदभार ग्रहण किया है:

श्री के. प्रमोद कुमार रेड्डी, अध्यक्ष, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, गुंटूर

श्री के. संतोष, सहायक महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी), आरबीआई, एपीआरओ, हेदराबाद-आरबीआई नामित निदेशक

श्री देबब्रत त्रिपाठी, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड - एपीआरओ, हैदराबाद-नाबार्ड नामित निदेशक

श्री सी. वी. एन. भास्कर राव, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख, एफजीएम कार्यालय, विजयवाड़ा- प्रायोजक बेंक नामित निदेशक

सुश्री एस. नागलक्ष्मी आई.ए.एस., कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टरेट, गुंटूर - ए.पी. सरकार नामित निदेशक

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों ने पद खाली कर दिया है:

श्री टी. कामेश्वर राव, अध्यक्ष, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बेंक, प्रधान कार्यालय, गुंटूर

श्री राजेश एम. देशमुख, सहायक। महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बेंक, एपी-आरओ, हेंदराबाद - आरबीआई नामित निदेशक







सुश्री बी स्वाति, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड-एपीआरओ, हैदराबाद-नाबार्ड नामित निदेशक श्री ए रवि कुमार, उप महाप्रबंधक, हैदराबाद-प्रायोजक बेंक नामित निदेशक

बोर्ड, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पद छोड़ने वाले निदेशकों द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं और सलाह के लिए अपनी प्रशंसा और आभार व्यक्त करना चाहता है।

कृतज्ञतापूर्ण आभार

बोर्ड अपने मूल्यवान ग्राहकों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, जिसके कारण बैंक चालू वर्ष के दौरान अच्छा व्यावसायिक प्रदर्शन कर पाया है। बोर्ड अपने ग्राहकों को बैंक में हर समय व्यक्त किए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देता है। बैंक भविष्य में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के अपने दायित्व को दोहराता है।

बोर्ड बैंक के शेयरधारकों, अर्थात् भारत सरकार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश सरकार को बैंक की वृद्धि और विकास के लिए सभी स्तरों पर उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता है।

बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने समय-समय पर प्रबंधन को बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान किया है।

बैंक का बोर्ड गुंटूर, बापटला, पलनाडु, कांकिनाडा, पूर्वी गोदावरी, डॉ, बी. आर. अम्बेडकर कोनासीमा, एलुरु और पश्चिमी गोदावरी के आठ जिलों के कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट, जिला प्रशासन को भी बैंक को दिए गए निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है।

बोर्ड, चालू वर्ष के लिए बैंक की वैधानिक लेखा परीक्षा को समय पर पूरा करने के लिए वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों, मेसर्स सोमयाजुलु एंड एसोसिएट्स, विशाखापत्तनम द्वारा दिए गए सहयोग और मार्गदर्शन को रिकॉर्ड में रखता है और विभिन्न कार्यात्मक स्तरों पर बैंक के संचालन में दक्षता बढ़ाने और आरबीआई के दिनांक 01.04.2024 के मास्टर निर्देश के अनुसार बैलेंस शीट में प्रकटीकरण का अनुपालन करने के लिए उनके मूल्यवान इनपुट के लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त करता है।

बोर्ड 17 वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों को भी धन्यवाद देता है। मेसर्स चल्ला एंड एसोसिएट्स, गुंटूर, मेसर्स एस पी के आर एंड एसोसिएट्स, विजयवाड़ा, मेसर्स के एल एन मूर्ति एंड कंपनी, गुंटूर, मेसर्स स्मिता शर्मा एंड एसोसिएट्स, निजामाबाद, मेसर्स मोही एंड एसोसिएट्स, राजामहेंद्रवरम, मेसर्स रत्ना एंड एसोसिएट्स, निजामपट्टनम, मेसर्स टी पी के एंड एसोसिएट्स, काकीनाडा, मेसर्स एसएसवीएम एंड कंपनी, तिरुपति, मेसर्स एसएनएमआर एंड एसोसिएट्स, ताड़ेपल्लीगुडेम, मेसर्स एमएएसबी एंड एसोसिएट्स, विजयवाड़ा, मेसर्स टी नेहरू एंड कंपनी, विजयवाड़ा, मेसर्स चिंता कृष्ण राव एंड कंपनी, गुंटूर, मेसर्स पी गोपाल एंड एसोसिएट्स, तिरुपति, मेसर्स बालगंगाधर एंड कंपनी, ऑगोल, मेसर्र चिन्नी पेरुमल्ला एंड एसोसिएट्स, नेल्लोर, मेसर्स एस हरिहरसूदन एंड एसोसिएट्स, मदनपल्ले और मेसर्स पुत्रैया एंड कंपनी, गुंटूर दिए गए समय सीमा के भीतर।

बोर्ड बैंक की वृद्धि और विकास में उनके उत्साहपूर्ण योगदान के लिए सभी कर्मचारियों की सराहना करता है। उनके अथक प्रयासों के कारण ही बैंक इस वर्ष अच्छा प्रदर्शन कर सका और कई मानकों पर समझौता ज्ञापन और 'रोडमैप - वित्त वर्ष 2025' के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पार कर





सका। बोर्ड आगामी वर्षों में भी बैंक के समग्र विकास के लिए उनके प्रभावशाली प्रयासों और सतत प्रयासों की आशा करता है।

निदेशक मंडल की ओर से

निदेशक मंडल

के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष

के संतोष नामित निदेशक आरबीआई

सी वी एन भास्कर राव नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डी त्रिपाठी नामित निदेशक नाबार्ड

एस श्रीनिवास नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025







मुख्य निष्पादन संकेतक

राशि ₹ लाख

क्र.सं .	मुख्य निष्पादन संकेतक	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष २०२४	वित्त वर्ष 2025
1	कवर किए गए जिलों की संख्या	8	8	8
2	शाखाओं की संख्या	249	265	276
	क) ग्रामीण	142	147	157
	ख) अर्ध-शहरी	79	86	87
	ग) शहरी	28	32	32
3	कुल कर्मचारी	1299	1261	1377
	क) अधिकारी	785	784	872
	ख) कार्यालय सहायक	355	320	385
	ग) कार्यालय परिचारक	159	157	120
4	जमा राशि	855877,71	1002892.09	1211338.65
	वृद्धि %	17.45	17.18	20.78
5	ऋण और अग्रिम राशि	982342.59	1241515.15	1415928.09
	वृद्धि %	21.38	26.38	14.05
	आईबीपीसी के शुद्ध ऋण और अग्रिम राशि १ 80,000 लाख, १ 1,00,000 लाख और १ 1,00,000 लाख	902342.59	1141515.15	1315928.09
	वृद्धि %	22.05	26.51	15.28
6	बकाया उधार राशि	375993.77	459954,36	420306.10
	वृद्धि %	23.42	22.33	(-)8.62
7	सीडी अनुपात	105.43	113.82	108.63
8	बकाया निवेश	166403.35	212192.20	195926,03
	वृद्धि %	16.28	27.52	(-)7.67
9	औसत जमा राशि	748159.47	908060,04	1085166,64
	वृद्धि %	12.59	21.37	19.50
10	औसत ऋण और अग्रिम राशि	882063.91	1129494.48	1298655.41
	वृद्धि %	18.74	28.05	14.98
11	औसत उधारी	335486.08	411233,67	380116.22
	वृद्धि %	31.73	22.58	(-)7.57
12	औसत निवेश	166990.48	232557.00	223315.07
I.K.E.	वृद्धि %	6.19	39.26	(-)3.97
13	औसत कार्यशील निधि	1291342.22	1578462,36	1749356.69





मुख्य निष्पादन संकेतक

राशि ₹ लाख

क्र.सं.	मुख्य निष्पादन संकेतक	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष २०२४	वित्त वर्ष 2025
14	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण			
	क) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण	790351,49	980411.88	1082987.03
	ख) गैर-प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण क्षेत्र	51991.84	71344.66	70339.46
	ग) जारी किए गए कुल ऋण	842343.33	1051756.54	1415928.09
15	प्रति शाखा व्यवसाय	7061.13	8092.10	9156.76
16	प्रति कर्मचारी व्यवसाय	1349.55	1694.75	1771.24
17	वसूली प्रदर्शन (मांग के मुकाबले संग्रहण का %)	73.10	73.69	73.41
18	अग्रिमों का वर्गीकरण			
	क) मानक परिसंपत्तियाँ	976633.96	1233778.96	1408749.02
	ख) अवमानक परिसंपत्तियाँ	2290.07	4217.59	2366,70
	ग) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ	2950.81	2981.92	4707.40
	घ) हानि परिसंपत्तियाँ	467.75	536,68	104,97
	कुल एनपीए	5708.63	7736.19	7179.07
	कुल अग्रिम	982342.59	1241515.15	1415928.09
19	मानक परिसंपत्तियों का % बकाया सकल अग्रिमों में	99,42	99,38	99,49
20	पर दिया गया ब्याज			
	क) जमा राशि	39510.88	57955.99	72873.26
	ख) उधार	17136.75	25296,55	24803.34
21	वेतन एवं भत्ते	20935.87	18241.37	22223.46
22	अन्य परिचालन व्यय	7895.99	8684,59	10470.86
23	ऋण और अग्रिमों के विरुद्ध किए गए प्रावधान			
	क) एनपीए के विरुद्ध	5708,63	7736.19	7179,07
	ख) अन्य प्रावधान	4736.11	4717.48	5126,43
	कुल	10444.74	12453.67	12305.50
24	प्राप्त ब्याज			
	क) ऋण एवं अग्रिम	85517.92	110456.00	132518.36
	ख) निवेश	11723,49	16381.64	16034,81
25	अन्य आय	15828,49	17780.16	23412.50
26	कर-पूर्व लाभ	31733.78	33593.55	40952.39
27	कर-पश्चात लाभ	23234,33	25191.47	30225.25
28	लागत-आय अनुपात	47.34	43.04	43.12







स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति के शेयरधारकों चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

मत (Opinion)

1. हमने चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक ("बैंक") के संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तिथि के अनुसार बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, सम्मिलित हैं। इनमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय कार्यालय की रिटर्न और निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 48 शाखाएं, और
- ii) वैधानिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 147 शाखाएं।

बैंक द्वारा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण में 8। ऐसी शाखाओं की रिटर्न भी सम्मिलित हैं जिनका लेखापरीक्षण नहीं किया गया है।

इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं का कुल अग्निमों में 22.83%, कुल जमा में 24.35%, ब्याज आय में 22.47%, और ब्याज व्यय में 22.58% हिस्सा है। हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, उपरोक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण बेंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं, और:

- बेलेंस शीट, उससे संबंधित टिप्पणियों सहित, सभी आवश्यक विवरणों को सिम्मिलित करते हुए पूर्ण और यथार्थ है, और इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह 31 मार्च 2025 को बेंक की वित्तीय स्थिति का यथार्थ और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है;
- b) लाभ और हानि खाता, उससे संबंधित टिप्पणियों सहित, लाभ/हानि की यथार्थ स्थिति दर्शाता है (जैसा लागू हो); और
- c) नकद प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह की यथार्थ और निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करता है।

मतका आधार (Basis for Opinion)

2. हमने अपना लेखापरीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्वतंत्र "वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन संशोधित हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक





जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य विषय (Other Matters)

3. हमने बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में सम्मिलित 147 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी का लेखापरीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी में 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ₹11,372 करोड़ की कुल संपत्तियां तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹924.65 करोड़ की कुल आय परिलक्षित है, जैसा कि स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है। ये शाखाएँ और प्रसंस्करण केंद्र 31 मार्च 2025 को कुल अग्रिमों का 55.76%, कुल जमा का 62.45%, और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) का 63.22% कवर करते हैं; साथ ही 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष की कुल आय में 59.44% योगदान करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी का लेखापरीक्षण संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और इन शाखाओं से संबंधित राशियों और प्रकटीकरणों के संदर्भ में हमारी राय केवल उन्हीं शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन से जुड़े व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

4. बैंक के निदेशक मंडल इन स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए उत्तरदायी है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकद प्रवाहों का एक सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हैं, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, लागू लेखा मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो। यह जिम्मेदारी इसमें भी शामिल है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पहचान हेतु पर्याप्त लेखा अभिलेखों का संधारण किया जाए; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन एवं उनका अनुप्रयोग किया जाए; यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाए जाएं; तथा उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और संधारण किया जाए, जो इस उद्देश्य से प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों कि लेखा अभिलेख सटीक और पूर्ण हों, और ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति में सहायक हों, जो एक सत्य एवं निष्पक्ष दृश्य प्रदान करते हों और जिनमें कोई भौतिक चूक न हो — चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी करते समय, प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती है कि वह बैंक की सतत परिचालन क्षमता का मूल्यांकन करे, जहां उपयुक्त हो वहां सतत परिचालन से संबंधित विषयों का खुलासा करे, और लेखांकन के सतत परिचालन आधार का उपयोग करे, जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या संचालन समाप्त करने का न हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल की यह जिम्मेदारी भी है कि वे बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करें।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारियाँ

5. हमारे उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित आश्वासन प्राप्त करना शामिल है कि वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भौतिक गलत प्रस्तुति (मिसस्टेटमेंट) से मुक्त हैं या नहीं, और ऐसा ऑडिटर का रिपोर्ट जारी करना जो हमारी राय को सिमिलित करता हो। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि ऑडिट, जो लेखा मानकों (SAs) के अनुरूप किया गया हो, हमेशा किसी भौतिक गलत प्रस्तुति का पता लगा ही लेगा जब वह मौजूद हो। गलत प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी या







त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है, जब अकेले या समग्र रूप से वे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को, जो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाते हैं, प्रभावित कर सकती हैं।

SAs के अनुसार किए गए ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत प्रस्तुति के जोखिम की पहचान करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण; उन जोखिमों के अनुकूल ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और संपादित करते हैं; और पर्याप्त एवं उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं ताकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान किया जा सके। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत प्रस्तुति को न पकड़ पाने का जोखिम, त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, कूटरचना, जानबूझकर चूक, भ्रामक प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- ऑडिट के संदर्भ में प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं ताकि परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाएं डिजाइन की जा सकें।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता और किए गए लेखा अनुमानों एवं संबंधित खुलासों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत परिचालन आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं, और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि क्या कोई ऐसी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की सतत परिचालन क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है, या यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हों, तो अपनी राय में संशोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक को सतत परिचालन से वंचित कर सकती हैं।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, जिसमें खुलासे शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं, और यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

मटेरियलिटी वह सीमा है, जिसके अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत प्रस्तुतियाँ, चाहे व्यक्तिगत रूप से हों या कुल मिलाकर, एक समझदार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना उत्पन्न करती हैं। हम मात्रात्मक मटेरियलिटी और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) अपने ऑडिट कार्य की योजना और परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) किसी भी पहचानी गई गलत प्रस्तुति के प्रभाव के मूल्यांकन में।

हम शासन से जुड़े व्यक्तियों के साथ, अन्य बातों के अलावा, ऑडिट की नियोजित रूपरेखा और समय-सारिणी तथा ऑडिट की महत्वपूर्ण खोजों, जिनमें आंतरिक नियंत्रणों में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हों, की जानकारी साझा करते हैं।

हम शासन से जुड़े व्यक्तियों को यह बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनसे उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों की जानकारी साझा करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों की जानकारी भी साझा करते हैं।







हम उन विषयों को निर्धारित करते हैं जो वित्तीय विवरणों के वर्तमान अवधि के ऑडिट में सबसे अधिक महत्व रखते हैं और इसलिए वे प्रमुख ऑडिट विषय (Key Audit Matters) होते हैं।

हम इन विषयों को अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वर्णित करते हैं, जब तक कि किसी कानून या विनियमन के तहत उस विषय के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न हो, या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, जब हमें यह निर्णय लेना पड़े कि किसी विषय को रिपोर्ट में न देना ही उचित होगा क्योंकि उसके प्रकटीकरण से होने वाले प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक हित में होने वाले लाभ से अधिक होने की संभावना रखते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

6. बैलेंस शीट एवं लाभ और हानि खाते की रूपरेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार की गई है।

पैरा 5, 7 से 8 में दर्शाए गए ऑडिट की सीमाओं और बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण और उपक्रमों का स्थानांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार अपेक्षित एवं उसमें निर्धारित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

- a) हमें ऑडिट के प्रयोजन हेतु, हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं और वे संतोषजनक पाएगए हैं:
- b) बैंक के वे लेन-देन जो हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की अधिकार-सीमा के भीतर हैं; और
- c) बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे ऑडिट के प्रयोजन हेत् पर्याप्त पाए गए हैं।
- 7. सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों में वैधानिक केंद्रीय ऑडिटरों (SCA) की नियुक्ति पर RBI द्वारा दिनांक 17 मार्च 2020 को जारी पत्र संख्या DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 और दिनांक 19 मई 2020 को जारी बाद की संप्रेषण के संदर्भ में, जिसमें FY 2019-20 से SCA की रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों का उल्लेख है, हम निम्नलिखित बिंदुओं पर और रिपोर्ट करते हैं:
 - (a) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जब तक वे RBI द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।
 - (b) ऐसे कोई निरीक्षण या टिप्पणियाँ नहीं हैं जो बैंक के कार्यप्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों निल —।
 - (c) चूंकि बैंक कंपनियों अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत निदेशक होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती।
 - (d) खातों के संधारण तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों पर कोई टिप्पणी, आरक्षण या प्रतिकूल मत नहीं है निल —।
 - (e) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारा ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध "A" में प्रस्तुत किया गया है। हमारी रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर असंशोधित राय व्यक्त की गई है, जो 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार है।

8. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

a. हमारी राय में, कानून के अनुसार आवश्यक पुस्तकों का रखरखाव बैंक द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे परीक्षण से ज्ञात होता है।और







उन शाखाओं से जो हमारे द्वारा नहीं देखी गईं, उनके रिटर्न ऑडिट प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।;

- घह रिपोर्ट जिन बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाते तथा नकद प्रवाह विवरण से संबंधित है, वे लेखा पुस्तकों [तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न] से मेल खाते हैं;
- c. बैंक की शाखाओं के खातों पर शाखा ऑडिटरों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत तैयार की गई रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई हैं और उन्हें इस रिपोर्ट की तैयारी में यधोचित रूप से सम्मिलित किया गया है; और
- a. हमारी राय में, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जब तक वे RBI द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुलु एंड एसोसिएट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 010629S

> (सीए. कृष्णा हरीश ईश्वर) साथी

एम नंबर 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025





स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुबंधक "A"

(जैसा कि हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के अनुच्छेद 9(e) में उल्लिखित है) स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पत्र संख्या DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ["RBI संप्रेषण"] द्वारा अपेक्षित है।

मत (Opinion)

हमने चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक ("बैंक") के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है, जैसा कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में है, बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के साथ-साथ, जिसमें बैंक की शाखाओं के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी सम्मिलित हैं।

हमारी राय में, और हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, तथा नीचे "अन्य विषय" अनुच्छेद में उल्लिखित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और वे नियंत्रण 31 मार्च 2025 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो निम्नलिखित पर आधारित है:

उदाहरणार्थ: "बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण हेतु मानदंड, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।"

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उनके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में ऐसे नियंत्रणों का डिज़ाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो इस प्रकार पर्याप्त हों कि वे प्रभावी रूप से कार्य करें तािक बैंक का कार्य सुचारु एवं कुशलतापूर्वक संचािलत हो सके। इन नियंत्रणों का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है: बैंक की नीितयों का पालन, बैंक की संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण पर आधारित है। हमने यह लेखा परीक्षण भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting" (मार्गदर्शिका) तथा लेखापरीक्षण मानकों (Standards on Auditing - SAs) के अनुसार किया है, जो कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शिका में अपेक्षा की गई है कि हम: नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें, और लेखा परीक्षण की ऐसी योजना बनाएं और उसे इस प्रकार क्रियान्वित करें कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आश्वासन प्राप्त हो कि बैंक द्वारा







स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे, और वे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से कार्यरत थे।

हमारा लेखा परीक्षण इस बात के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को निष्पादित करना शामिल करता है कि बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं या नहीं तथा वे प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं। इस लेखा परीक्षण में शामिल है: स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, यह आकलन करना कि कहीं कोई गंभीर कमजोरी (material weakness) तो नहीं है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन और उनके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना। लेखा परीक्षा में अपनाई गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के व्यावसायिक निर्णय (judgement) पर निर्भर करती हैं, जिसमें यह मूल्यांकन भी शामिल होता है कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुति का जोखिम (चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि) है या नहीं।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, तथा नीचे "अन्य विषय" अनुच्छेद में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टी के अनुसार प्राप्त साक्ष्य, बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा की राय के आधार हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे इस उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है कि वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles) के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन (Reasonable Assurance) प्रदान किया जा सके।

बैंक के इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जो: रिकॉर्ड के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं, जो उचित विस्तार में बैंक के लेन-देन और संपत्तियों की स्थिति को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; ऐसी उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को इस प्रकार दर्ज किया गया है जिससे कि सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किए जा सकें, और यह कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों की स्वीकृति के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा ऐसी उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि बैंक की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान की जा सके, जिससे कि वित्तीय विवरणों पर प्रतिकृल प्रभाव न पड़े।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की कुछ स्वाभाविक (inherent) सीमाएँ होती हैं। इनमें सांठगांठ (collusion) की संभावना या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अनुचित रूप से अनदेखी (override) भी शामिल है, जिसके कारण धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतियाँ हो सकती हैं और उनका पता न भी चल सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान नियंत्रणों की किसी भी मूल्यांकन को भविष्य की अवधियों तक लागू करने का प्रयास भी इस जोखिम के अधीन होता है कि: परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ये नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री में गिरावट आ सकती है।





अन्य विषय

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 147 शाखाओं (संख्या; जिनका IFCoFR रिपोर्टिंग के तहत परीक्षण किया गया) की स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

इस विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुलु एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 010629S

(सीए. कृष्णा हरीश ईश्वर)

साथी

एम नंबर 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025







चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय : गुंटूर



31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

राशि रु. '००० में

ब्यौरा	अनुसूची	31.03.2025	31.03.2024
यूंजी और देयताएं			
र्ज़ी	1	74422	74422
आरक्षित निध व अधिशेष	2	15473387	12450862
जमा राशियां	3	121133865	100289209
उधार	4	42030610	45995436
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	2978347	2367634
कुल		181690631	161177563
आस्तियां			
नकद एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	6	6417748	7710215
बैंकों में शेष और अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	19324802	14948465
नेवेश	8	19592603	21219220
अग्रिम *	9	130874902	113377897
अचल आस्तियां	10	489229	263100
अन्य आस्तियां	11	4991347	3658666
कृत		181690631	161177563
आकस्मिक देयताएं	12	395750	381268
उसली के लिए बिल		292409	466617





हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुलु एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 0106298

(सीए, कृष्णा हरीश ईश्वर)

साधी

एम नंबर 224407 UDIN: 25224407BMGPQZ6827

निदेशक मंडल

के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष

के संतोष नामित निदेशक आरबीआई

सी वी एन भास्कर राव नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डी त्रिपाठी नामित निदेशक नाबार्ड

एस श्रीनिवास नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025







चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय : गुंटूर



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

राशि रु. '००० में

ब्यौरा	अनुसूची	31.03.2025	31.03.2024
।. आय			
अर्जित ब्याज	13	15556635	13288120
अन्य आय	14	2341250	1778016
कुल		17897885	15066136
॥. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	10316257	8809748
परिचालन व्यय	16	3269432	2692596
प्रावधान व आकस्मिकताएँ	1921-7	1289671	1044645
कुल		14875360	12546989
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-)		3022525	2519147
तुलनपत्र को आगे ले जाया गया लाभ / हानि(-)		100	100
कुल		3022625	2519247
ıv. विनियोजन			
सांविधिक प्रारक्षित निधियों को अंतरण		604505	510000
अन्य निधियों को अंतरण		2418020	2009147
सरकार को अंतरण / प्रस्तावित डिविडेंड		0	0
तुलनपत्र को आगे ले जाया गया शेष		100	100
कुल		3022625	2519247





हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुलु एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 0106298

(सीए, कृष्णा हरीश ईश्वर)

साधी

एम नंबर 224407 UDIN: 25224407BMGPQZ6827

निदेशक मंडल

के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष

के संतोष नामित निदेशक आरबीआई

सी वी एन भास्कर राव नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डी त्रिपाठी नामित निदेशक नाबार्ड

एस श्रीनिवास नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025







चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय : गुंटूर

मार्च 2025 के लिए बैलेंस शीट की अनुसूचियां

अनुसूची - 1 पूंजी

राशि रु. '000 में

	31.03.2025	31,03,2024
प्राधिकृत पूंजी	20000000	20000000
(प्रत्येक रु.10/- के 200,00,00,000 शेयर)		
जारी पूंजी	74422	74422
(प्रत्येक रु.10/- के 74,42,200)		
अभिदत्त पूंजी	74422	74422
(प्रत्येक रु.10/- के 74,42,200)		
मांगी गई पूंजी	74422	74422
(प्रत्येक रु.10/- के 74,42,200)		
घटाएं : भुगतान न की गई मांगें	0	(
जोड़ें: जब्त शेयर	0	(
प्रदत्त पूंजी	74422	74422
कुल	74422	74422





अनुसूची – 2 आरक्षित निधियां व अधिशेष

राशि रु. '००० में

आरक्ति ।नायया व आध्याप		सारा रु. 000
	31.03.2025	31.03.2024
ı – सांविधिक आरक्षित निधि		
क. आरंभिक शेष	2502153	1992153
स. वर्ष के दौरान जोड़	604505	510000
ग. वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
॥- पूंजी आरक्षित निधि		
क. आरंभिक शेष	24000	24000
स. वर्ष के दौरान जोड़	0	.0
ग. वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
III- शेयर प्रीमियम		
क, आरंभिक शेष	0	0
ख. वर्ष के दौरान जोड़	0	0
ग, वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
IV-राजस्व व अन्य आरक्षित निधियां		
क. आरंभिक शेष	9924609	7915462
स. वर्ष के दौरान जोड़	2418020	2009147
ग. वर्ष के दौरान कटौतियां	0	0
V – लाभ हानि खाते में शेष	100	100
कुल (।,।।,।।।,।∨ और ∨)	15473387	12450862

अनूसूची - 3 जमा राशियां

राशि रु. '000 में

	41-11 (11-51-41		11111 11 000
		31.03.2025	31.03.2024
क.।-मांग जम	। राशियां		
i) बैंट	गें से	0	0
ii) 3	न्यसे	3528716	2080594
।।. बचत बैंक	जमा राशियां	29737870	26370236
।।।. सावधि ज	मा		
i) बैंद	गें से	8826264	733159
ii) 3	ान्य से	79041015	71105220
	कुल (।,।। और ।।।)	121133865	100289209
ख, (i) भार	त में स्थित शाखाओं में जमाराशियां	121133865	100289209
(ii) भार	त से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां	0	0
	कुल (i & ii)	121133865	100289209







अनुसूची - 4

उधार

राशि रु. '000 में

	31.03.2025	31,03,2024
L. भारत में उधार		
(क) भारतीय रिज़र्व बेंक	0	0
(ख) अन्य बैंक	29	541337
(ग) अन्य संस्थाएं व एजेंसियां - नाबार्ड	42030581	45454099
।।.भारत से बाहर उधार	0	(
कुल(। और 11)	42030610	45995436
उपर्युक्त । और II में शामिल प्रतिभूत उधार	42030610	45995436

अनुसूची-5 अन्य देयताएं और प्रावधान

राशि रु. '000 में

	31.03.2025	31.03.2024
1. देयबिल	29704	39127
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	(
III. उपचित <i>ब्</i> याज	109847	103364
IV. अन्य (प्रावधान सहित)	2838796	2225143
कुल (I, II,III and IV)	2978347	2367634

अनुसूची-6 नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष

राशि रु. '००० में

	*** ** * * **
31.03.2025	31.03.2024
996429	901675
4361319	4398540
1060000	2410000
6417748	7710215
	996429 4361319 1060000





अनुसूची -7 बैंकों में नकदी शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

राशि रु. '००० में

			41141 6. 000
		31.03.2025	31.03.2024
I. भारत में			
(i) वैंकों में शेष			
क) चालू खाते में		16299295	14792881
ख) अन्य जमा खातीं में		3025507	155584
(ii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य राशि			
क) बेंकों में		0	0
ख) अन्य संस्थाओं में		.0	.0
	कुल (। और॥)	19324802	14948465
॥. भारत से बाहर			
i) चालू खातों में		0	0
ii) अन्य खातों में		0	0
iii) मांग व अल्प सूचना पर प्राप्य राशि		0	0
	कुल (i,ii और iii)	0	0
	कुल जोड़ (। और ॥)	19324802	14948465

अनुसूची -8 निवेश

विश

ानपरा			सादा रु. ७०० म	
		31.03.2025	31,03,2024	
1. भारत में निवेश				
i) सरकारी प्रतिभृतियां		18859971	20246595	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियां		0	0	
iii) शेयर		0	0	
iv) डिबेंचर और बॉण्ड		732632	832632	
v) सब्सीडियरियां और/अथवा संयुक्त वेंचर		0	0	
vi) अन्य-म्युचुअल फंड		0	139993	
	कुल (i,ii,iii,iv,v and vi)	19592603	21219220	
II. भारत से बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों	सहित)	.0	.0	
ii) विदेश में सब्सीडियरियां और / अथवा संयु	स्त वेंचर	0	0	
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करें)		0	0	
	कुल (i,ii and iii)	(#)		
	कुल जोड (1 और 11)	19592603	21219220	







अनुसूची - 9 अग्रिम

राशि रु. '000 में

	31.03.2025	31.03.202
क. i – खरीदे गए और भुनाए गए बिल	24715	76678
ii — मांग पर प्रतिदेय नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट व ऋण *	114175179	98188903
iii—सावधिऋण	16675008	15112316
कुल (i,ii और iii)	130874902	113377897
ख. i – मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत *	127835030	110200760
ii – बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए हुए	0	0
iii—अप्रतिभृत	3039872	3177137
कुल (i,ii और iii)	130874902	113377897
ग ा. भारत मैं अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र *	118532545	102669028
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	0	0
(iii) বঁক	0	0
(iv) अन्य	12342357	10708869
कुल (i,ii, iii और iv)	130874902	113377897
31.03.2025 को 1000 करोड़ रुपये और 31.03.2024 को 1000 करोड़ रुपये के 3	गईबीपीसी के अग्रिम निवल	हैं।"
ग . 🗈 भारत से बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	0	0
(ii) अन्य से प्राप्य	.0	(
(a) क्रय व डिस्काउंट किये गये बिल	0	(
(b) सिन्डिकेटेड ऋण	0	0
(c) अन्य	0	0
कुल (i और ii)	0	0
कुल योग (ग. 1 और 11)	130874902	113377897





अनुसूची - 10 अचल आस्तियां

राशि रु. '००० में

	31.03.2025	31,03,202
1. परिसर	0	0
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	0	0
वर्ष के दौरान जोड़	0	0
वर्ष के दौरान घटौतियां	.0	0
अब तक मूल्यहास	0	.0
।।. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)		
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	263100	264525
वर्ष के दौरान जोड़	361646	73439
वर्ष के दौरान घटौतियां	2121	412
अब तक मूल्यहास	133396	74452
कुल(1 और 11)	489229	263100

अनुसूची -।। अन्य आस्तियां

राशि रु. '००० में

	31.03.2025	31.03.2024
। अंतर कार्यालयीन समायेजन (निवल)	0	0
॥ उपचित ब्याज	1359057	1252645
III प्रदत्त अग्रिमकर / स्रोत पर काटा गया कर	1176479	956662
IV लेखन सामग्री ओर स्टेम्प	22112	22012
v अधिगृहीत गैर बैंकिंग आस्तियां	0	0
VI.अन्य		
(i) पेंशन निधि	0	0
(ii) आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए)	0	72257
(iii) अन्य	2433699	1355090
कुल (I,II,III,IV,V और VI)	4991347	3658666







अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं

राशि रु. '000 में

		31.03.2025	31.03.2024
J.	बैंक के समक्ष दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	0	0
11.	आंशिक रूप में भुगतान किए गए निवेशों से संबंधित देयताएं	0	0
III.	बकाया अग्रिम विनिमय कॉन्ट्रेक्टों के फलस्वरूप देयताएं	0	0
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियां	.0	0
	(क) भारत में	157985	181704
	(ख) भारत से बाहर	0	0
V.	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य बाध्यताएं	0	.0
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (डीईएएफ खाता)	237765	199564
	कुल (I,II,III,IV,V और VI)	395750	381268

अनुसूची -13 उपचित व्याज

राशि रु. '000 में

		31.03.2025	31.03.2024
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / मिती काटा	13251836	11045600
II.	निवेशों पर आय	1603481	1638164
Ш.	भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	701318	604356
IV.	अन्य	0	0
	कुल (I,II,III और IV)	15556635	13288120

अनुसूची - 14

अन्य आय

राशि रु '००० में

	जन्य जाय		साश रु. '000 म
		31.03.2025	31.03.2024
1,	कमीशन, विनिमय और दलाली	49930	47165
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ	144214	29787
	घटाएं: निवेशों के विक्रय पर हानि	0	0
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	0	0
	घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	1023	726
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	0	0
V.	विनिमयात्मक लेनदेनों पर लाभ	0	0
	घटाएं: विनिमयात्मक लेनदेनों पर हानि	0	0
VI.	विदेश / भारत में सब्सिडरियों / कंपनियों और / अथवा संयुक्त उद्यमों से डिविडेंड आदि के रूप में अर्जित आय	0	0
VII.	विविध आय	2146083	1700338
	कुल (I,II,III,IV,V,VI और VII)	2341250	1778016





अनुसूची -15 व्यय किया गया व्याज

राशि रु. '000 में

	31.03.2025	31.03.2024
L जमाराशियों पर ब्याज	7287326	5795599
II. भारतीय रिज़र्व बेंक / अंतर बेंक उधारों पर ब्याज	2480334	2529655
॥. अन्य	548597	484494
कुल (1,11 और 111)	10316257	8809748

अनुसूची -16 परिचालन व्यय

राशि रु. '000 में

		31.03.2025	31.03.2024
I,	कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान	2222346	1824137
II.	किराया, कर एवं बिजली	105075	92343
ш	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	16035	14859
IV.	प्रचार व प्रसार	5507	8659
V.	बैंक की संपत्ति का मूल्य हास	133407	74452
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	0	0
VII.	लेखा परीक्षकों का शुल्क व व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	3955	4264
VIII.	विधि संबंधी प्रभार	604	1304
IX.	डाक, तार व टेलीफोन	4061	3986
X.	मरम्मत एवं अनुरक्षण	12985	15706
XL.	बीमा	180614	165913
XП.	अन्य व्यय	584843	486973
	कुल (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI और XII)	3269432	2692596

[#] पिछले वर्ष के आंड़ों को यथावश्यकता पुन; समूहित किया गया है.







चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय : गुंटूर

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

खंड।

भारतीय रिज़र्व बेंक (RBI) ने संदर्भ संख्या DOR.ACC.REC.No.46/21.04.018/2021-22 [RBI/DOR/2021-22/83] दिनांक 30.08.2021 (जैसा कि 01.04.2025 को अद्यतन किया गया) के तहत वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण पर एक मास्टर निर्देश जारी किया है।

उक्त मास्टर निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों पर उस सीमा तक लागू है जहाँ तक वे उनके व्यावसायिक संचालन के संबंध में प्रासंगिक हैं।

- 2. उक्त मास्टर निर्देश के अनुलग्नक II का भाग B कुछ लेखांकन मानकों के संबंध में विशिष्ट मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- 3. बैंक द्वारा मास्टर निर्देश में दिए गए अनुसार निम्नलिखित लेखांकन मानक अपनाए गए हैं:
 - (i) लेखांकन मानक 5 अविध के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अविध की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन
 - (ii) लेखांकन मानक १ राजस्व मान्यता
 - (iii) लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग
 - (iv) लेखांकन मानक 18 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण
 - (v) लेखांकन मानक 24 परिचालन बंद करना
 - (vi) लेखांकन मानक 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
 - (vii) लेखांकन मानक 26 अमूर्त परिसंपत्ति
 - (viii) लेखांकन मानक 28 परिसंपत्तियों की क्षति

उपरोक्त लेखांकन मानकों पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन नोट नीचे दिए गए हैं:

1. लेखा मानक 5 - अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

इस मानक का उद्देश्य लाभ और हानि विवरण में कुछ मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण को निर्धारित करना है ताकि सभी उद्यम इस प्रकार के विवरण को एक समान आधार पर तैयार और प्रस्तुत करें। तदनुसार, यह मानक असाधारण और पूर्ववर्ती अविध की मदों के वर्गीकरण और प्रकटीकरण, और सामान्य गतिविधियों से होने वाले लाभ या हानि में कुछ मदों के प्रकटीकरण की आवश्यकता करता है। यह लेखांकन अनुमान में परिवर्तनों के लेखांकन उपचार तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए जाने वाले प्रकटीकरण को भी निर्दिष्ट करता है।





आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों पर प्रस्तावना के परिच्छेद 4.3 में कहा गया है कि लेखा मानक केवल उन्हीं मदों पर लागू होते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। चूँकि महत्वपूर्णता को वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि यदि पूर्ववर्ती अवधि की कोई आय या व्यय की मद बैंक की कुल आय/कुल व्यय (यदि आय/व्यय को सकल आधार पर माना गया हो) का एक प्रतिशत या कर पूर्व शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि (जैसा भी लागू हो) का एक प्रतिशत से अधिक हो (यदि आय को लागत घटाकर शुद्ध आधार पर माना गया हो), तो उस पर लेखा मानक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाए।

चूँकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रपन्न बी में निर्दिष्ट बैंकों के लाभ और हानि खातों के प्रारूप में वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि पर पूर्ववर्ती अवधि की मदों के प्रभाव के प्रकटीकरण का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, अतः ऐसे प्रकटीकरण, जहाँ आवश्यक हों, बैंकों की बैलेंस शीट के 'खातों पर टिप्पणियाँ' (Notes on Accounts) में किए जा सकते हैं।

2. लेखा मानक 9 – राजस्व की मान्यता

गैर-निष्पादित अग्निमों और गैर-निष्पादित निवेशों के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के नियामक निर्देशों का पालन करते हुए बैंकों द्वारा आय की गैर-मान्यता, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा अईता (qualification) के रूप में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह इस मानक के प्रावधानों के अनुरूप होगी, जो उन परिस्थितियों में राजस्व की मान्यता को स्थगित करने को मान्यता देता है जहाँ राजस्व की प्राप्ति अत्यधिक अनिश्चित हो।

3. लेखा मानक 17 – खंडवार रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

'लेखा मानक 17 — खंडवार रिपोर्टिंग' के अंतर्गत प्रकटीकरण के संकेतात्मक प्रारूप संदर्भित मास्टर दिशा-निर्देशों (Master Direction) में दिए गए हैं।

[दिया गया प्रारूप अपनाया गया है और "अनुसूची 18 – वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण – खातों पर टिप्पणियाँ" में प्रकटीकरण किया गया है।] टिप्पणी:

- व्यवसाय खंड (Business Segment) को सामान्यतः प्राथमिक रिपोर्टिंग प्रारूप के रूप में और भौगोलिक खंड (Geographical Segment) को द्वितीयक रिपोर्टिंग प्रारूप के रूप में माना जाएगा।
- b) व्यवसाय खंडों में 'कोषागार' (Treasury), 'कॉपीरेट / थोक बैंकिंग' (Corporate / Wholesale Banking), 'खुदरा बैंकिंग' (Retail Banking) और 'अन्य बैंकिंग संचालन' (Other Banking Operations) शामिल होंगे।
- c) 'घरेलू' (Domestic) और 'अंतर्राष्ट्रीय' (International) खंड, प्रकटीकरण हेतु भौगोलिक खंड होंगे।
- बैंक व्यय के विभाजन हेतु उचित और सुसंगत आधार पर अपनी स्वयं की पद्धतियों को अपनाएँगे।
- e) 'कोषागार' (Treasury) में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो शामिल होगा।
- f) खुदरा बैंकिंग (Retail Banking) में वे सभी जोखिम (exposures) शामिल होंगे जो मास्टर डाइरेक्शन ऑन बेसल III: कैपिटल रेगुलेशन्स (समय-समय पर संशोधित) में खुदरा जोखिमों के लिए निर्धारित चार मानदंड अभिविन्यास (orientation), उत्पाद (product), विस्तार (granularity), और व्यक्तिगत जोखिमों का कम मूल्य (low value of individual exposures) को पूरा करते हैं। व्यक्तिगत आवास ऋण (Individual Housing Loans) को भी AS-17 के तहत रिपोर्टिंग के लिए खुदरा बैंकिंग खंड का हिस्सा माना जाएगा।







- g) कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग (Corporate / Wholesale Banking) में वे सभी अग्रिम (advances) शामिल होंगे जो ट्रस्टों, भागीदारी फर्मीं, कंपनियों, और वैधानिक निकायों को दिए गए हैं और जिन्हें 'खुदरा बैंकिंग' में शामिल नहीं किया गया है।
- h) अन्य बैंकिंग संचालन (Other Banking Business) में वे सभी बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल होंगी जो 'कोषागार', 'थोक बैंकिंग' और 'खुदरा बैंकिंग' खंडों के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसमें अन्य अवशिष्ट गतिविधियाँ जैसे पैरा बैंकिंग लेन-देन/गतिविधियाँ भी शामिल होंगी।
- उपरोक्त खंडों के अतिरिक्त, बैंक "अन्य बैंकिंग संचालन" (Other Banking Business) के अंतर्गत वे अतिरिक्त खंड भी रिपोर्ट करेंगे जो AS 17 में रिपोर्टेंबल खंडों (reportable segments) की पहचान के लिए निधीरित मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करते हैं।

4. लेखा मानक 18 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Disclosures)

AS 18 — संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए एक संकेतात्मक प्रारूप संदर्भित मास्टर दिशा-निर्देशों (Master Direction) में प्रदान किया गया है।

वहाँ प्रदत्त मार्गदर्शिका नोट इस प्रकार है:

- 1) किसी बैंक के लिए संबंधित पक्ष (Related Parties) में उसका मूल संस्था (Parent), सहायक कंपनियाँ (Subsidiaries), सहयोगी / संयुक्त उपक्रम (Associates / Joint Ventures), प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (Key Management Personnel KMP) और KMP के रिश्तेदार शामिल होते हैं। एक भारतीय बैंक के लिए KMP पूर्णकालिक निदेशक (Whole-time Directors) होते हैं, और भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंक के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer CEO) होते हैं। KMP के रिश्तेदार वे होंगे जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45S में संकेतित किया गया है।
- ii) जहाँ नियंत्रण (Control) मौजूद हो, वहाँ लेन-देन हुए हों या नहीं, संबंधित पक्ष का नाम और उनके साथ संबंध की प्रकृति का प्रकटीकरण किया जाएगा। आम तौर पर मूल-सहायक संबंधों के मामलों में नियंत्रण माना जाएगा। प्रकटीकरण को उपर्युक्त प्रत्येक संबंधित पक्ष श्रेणी के लिए समग्र रूप (aggregate) में सीमित किया जा सकता है और यह वर्ष के अंत की स्थिति के साथ-साथ वर्ष के दौरान की अधिकतम स्थिति को दर्शाएगा।
- यह लेखा मानक सभी राष्ट्रीयकृत बेंकों पर लागू होता है। यह लेखा मानक राज्य-नियंत्रित संस्थानों (जैसे कि राष्ट्रीयकृत बेंक) को अन्य राज्य-नियंत्रित संबंधित पक्षों के साथ उनके लेन-देन के संबंध में कोई प्रकटीकरण करने से छूट प्रदान करता है। अतः, राष्ट्रीयकृत बेंकों को अपनी सहायक कंपनियों तथा उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें अन्य संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन-देन का प्रकटीकरण करना आवश्यक होगा।
- iv) गोपनीयता प्रावधान (Secrecy Provisions): यदि उपरोक्त संबंधित पक्ष की किसी भी श्रेणी में केवल एक संबंधित इकाई (Related Party Entity) है, तो कोई भी प्रकटीकरण ग्राहक की गोपनीयता के उल्लंघन के समान होगा। लेखा मानक 18 के अनुसार, यदि प्रकटीकरण करने





से रिपोर्टिंग संस्था के लिए किसी क़ानून, विनियामक या किसी समान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित गोपनीयता कर्तव्यों का उल्लंघन होता है, तो ऐसे मामलों में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, यदि किसी संस्था को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून या नियामक किसी विशेष जानकारी के प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाता है, तो ऐसी जानकारी का अप्रकटीकरण लेखा मानक का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य कानून के अंतर्गत बैंकों की ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी को देखते हुए, उन्हें इस प्रकार की जानकारी का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जहाँ लेखा मानक के अंतर्गत संबंधित पक्षों के लिए समेकित प्रकटीकरण (aggregated disclosure) संभव न हो — अर्थात किसी श्रेणी में केवल एक संबंधित इकाई हो — तो बैंक उस संबंधित पक्ष के साथ संबंध का उल्लेख करने के अतिरिक्त कोई अन्य विवरण प्रकटीकरण करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

5. लेखा मानक 24 – संचालन की समाप्ति (Discontinuing Operations)

यह मानक संचालन की समाप्ति से संबंधित जानकारी की रिपोर्टिंग के सिद्धांतों को स्थापित करता है। बैंक की शाखाओं का विलय/बंद करना, जब उसकी परिसंपत्तियाँ/दायित्वों को उसी बैंक की अन्य शाखाओं को स्थानांतरित किया जाता है, संचालन की समाप्ति नहीं मानी जाएगी, अतः यह लेखा मानक उन स्थितियाँ पर लागू नहीं होगा जब शाखाओं का विलय/बंद करना उसी बैंक की अन्य शाखाओं को परिसंपत्तियाँ/दायित्व स्थानांतरित कर किया गया हो। यह मानक तभी लागू होगा जब: (i) संचालन की समाप्ति के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा दायित्वों से मुक्ति और परिसंपत्तियों की वसूली हुई हो या ऐसा निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया हो जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े और (ii) समाप्त किया गया संचालन पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण हो।

6. लेखा मानक 25 – अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (Interim Financial Reporting)

यह मानक किसी अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट की न्यूनतम सामग्री और किसी अंतरिम अवधि के लिए पूर्ण या संक्षिप्त वित्तीय विवरणों में मान्यता और मापन के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। सूचीबद्ध बैंकों द्वारा सूचीबद्ध समझौतों (Listing Agreements) के अंतर्गत की जाने वाली आवश्यक प्रकटीकरण, लेखा मानक 25 के अंतर्गत परिकल्पित अंतरिम रिपोर्टिंग नहीं मानी जाएगी, अतः सूचीबद्ध बैंकों के लिए निर्धारित तिमाही रिपोर्टिंग पर AS 25 अनिवार्य नहीं है। तथापि, AS 25 के तहत निर्धारित मान्यता और मापन सिद्धांतों का ऐसे तिमाही विवरणों के संदर्भ में पालन किया जाना आवश्यक होगा। छमाही लेखा परीक्षण सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा, चाहे वे सूचीबद्ध हों या नहीं। इस प्रयोजन के लिए, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग (या RRBs के लिए नाबार्ड) द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप का पालन करेंगे।

7. लेखा मानक 26 – अमूर्त परिसंपत्तियाँ (Intangible Assets)

यह मानक उन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन उपचार को निर्धारित करता है जो किसी अन्य लेखा मानक द्वारा विशेष रूप से संबोधित नहीं किए गए हैं। बैंक के उपयोग के लिए अनुकूलित कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, जो कुछ समय तक उपयोग में रहने की अपेक्षा की जाती है, के संबंध में इस मानक में निर्धारित विस्तृत मान्यता और मूल्यहास (amortization) सिद्धांत, इन मामलों को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं और बैंक उनका पालन कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि लेखा मानक 26 के अनुपालन में बैंकों की बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त और प्रदर्शित अमूर्त परिसंपत्तियाँ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 15(1) के प्रावधानों के अधीन होंगी, जिसके अनुसार बैंक तब तक कोई







लाभांश घोषित नहीं कर सकते जब तक कि कोई ऐसा व्यय, जो मूर्त परिसंपत्ति द्वारा दर्शाया न गया हो, बैलेंस शीट में दर्शाया गया हो। यदि कोई बैंक अमूर्त परिसंपत्तियों को अपनी पुस्तकों में दर्शाते हुए लाभांश घोषित करना चाहता है, तो उसे भारत सरकार से धारा 15(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त करनी होगी।

8. लेखा मानक 28 – परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति (Impairment of Assets)

यह मानक उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिन्हें कोई उद्यम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाता है कि उसकी परिसंपत्तियाँ उनकी वसूल की जा सकने वाली राशि से अधिक पर नहीं दर्शाई गई हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि यह मानक भंडार (inventories), निवेश (investments) और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे ऋण और अग्रिम (loans and advances) पर लागू नहीं होगा और सामान्यतः यह केवल स्थिर परिसंपत्तियों (fixed assets) के संदर्भ में बैंकों पर लागू होगा। यह मानक वित्तीय पट्टे (financial lease) की परिसंपत्तियों और दावों के निपटान में अधिग्रहीत गैर-बैंकिंग परिसंपत्तियों (non-banking assets) पर सामान्यतः तभी लागू होगा जब इकाई की क्षतिपूर्ति के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

अनुभाग ॥

हमारे बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, जिन्हें हमारे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, नीचे दी गई हैं। इन लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग, वित्त वर्ष 2021-22 से ऊपर अनुभाग। में दिए गए मार्गदर्शन नोट्स के अनुरूप किया गया है।

1. सामान्य

1.1 तैयारी का आधार

बैंक के वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा (historical cost convention) और प्रायोजन आधार (accrual basis) पर तैयार किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, साथ ही सतत संचालन की धारणा (going concern assumption) को अपनाते हुए, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप होते हैं, जिसमें लागू वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (संशोधित यथासमय), लेखा मानक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स और भारत में प्रचलित बैंकिंग प्रथाएँ शामिल हैं।

1.2 आकलनों का उपयोग (Use of Estimates)

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को कुछ आकलन (estimates) और धारणाएँ (assumptions) करनी होती हैं, जिन्हें परिसंपत्तियों और दायित्वों (सिहत संभावित दायित्वों) की रिपोर्ट की गई राशि तथा संबंधित अवधि के आय और व्यय के निर्धारण में विचार में लिया जाता है।

प्रबंधन का मानना है कि इन आकलनों का उपयोग विवेकपूर्ण और यथोचित है और ये विवरणों की तिथि तक के तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्यांकन पर आधारित हैं। भविष्य के परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन आकलनों में कोई भी संशोधन उस अवधि में मान्यता प्राप्त करता है जिसमें परिणाम ज्ञात / घटित होते हैं।





2. राजस्व की मान्यता (Revenue Recognition):

2.1 आय और व्यय सामान्यतः प्रायोजन आधार (accrual basis) पर मान्यता प्राप्त करते हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

- गैर-निष्पादित अग्रिमों और निवेशों पर ब्याज, वसूली के अनिश्चित स्वरूप को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सतर्कता
 मानदंडों (prudential norms) के अनुसार प्राप्ति के आधार पर मान्यता प्राप्त करता है।
- ii. कमीशन, विनिमय, ब्रोकरेज, शुल्क एवं अधिक समय तक बकाया बिलों पर ब्याज प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- iii. लॉकर किराया और बैंक गारंटी पर कमीशन को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- वाद दायर खातों (Suit Filed Accounts) के मामले में, संबंधित विधिक एवं अन्य व्यय को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है
 और वसूली होने पर उसी राशि को आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

2.2 गैर-निष्पादित अग्रिमों में आंशिक वसूली निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में विनियोजित की जाती है:

- i, वसूली हेत् किया गया व्यय / जेब से खर्च
- ii. ब्याज संबंधी अनियमितताएँ / संचित ब्याज
- iii. मूलधन की अनियमितताएँ अर्थात खाते में बकाया मूलधन

जहाँ समझौता निपटान (compromise settlements) के अंतर्गत वसूली की जाती है, वहाँ वसूली को पहले मूलधन में समायोजित किया जाता है।

3. निवेश (Investments):

क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों (RRBs) के निवेश पोर्टफोलियों के लिए भारतीय रिज़र्व बेंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों को हमारे बेंक द्वारा अपनाया गया है।

3.1 वर्गीकरण (Categorization):

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो, जिसमें SLR प्रतिभूतियाँ और गैर-SLR प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है — 'परिपकता तक धारण' (Held to Maturity), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (Available for Sale) और 'व्यापार हेतु धारण' (Held for Trading) I

हालाँकि, बैलेंस शीट में निवेशों का प्रकटीकरण वर्तमान पाँच वर्गीकरणों के अनुसार जारी रहेगा — (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड, (v) अन्य जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स आदि।

RRBs को निवेश के अधिग्रहण के समय ही उसकी श्रेणी का निर्णय करना चाहिए और यह निर्णय निवेश प्रस्तावों में अभिलेखित किया जाना चाहिए।

RRBs को निवेश अधिग्रहण के समय उसकी श्रेणी तय करनी होगी और उसे निवेश प्रस्तावों में दर्ज करना होगा।







3.2 परिभाषाएँ (Definitions):

- वं प्रतिभूतियाँ जो RRBs द्वारा परिपक्ता तक रखने के इरादे से खरीदी गई हों, उन्हें HTM में वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ii) वे प्रतिभूतियाँ जो अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के उद्देश्य से खरीदी गई हों, HFT में वर्गीकृत की जाएँगी।
- (iii) जो प्रतिभूतियाँ उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आती हैं, उन्हें AFS में वर्गीकृत किया जाएगा।

3.3 मृल्पांकन (Valuation):

A. निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करते समय:

- (I) निवेश की प्राप्ति से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर और स्टाम्प शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।
- (ii) ऋण उपकरणों पर भुगतान/प्राप्त किया गया टूटे हुए अवधि का ब्याज, ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत/बिक्री मृत्य में शामिल नहीं किया जाता।
- (iii) सभी श्रेणियों के निवेशों के लिए लागत का निर्धारण वेटेड एवरेज कॉस्ट पद्धति से किया जाता है।

B. निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस प्रकार किया जाता है:

- i. HTM श्रेणी में वर्गीकृत निवेशों को मार्क-टू-मार्केट करने की आवश्यकता नहीं होती और इन्हें अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है। यदि अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक हो, तो उस प्रीमियम को शेष परिपक्कता अवधि में समाप्त (amortize) किया जाता है। बैंक को यह समाप्त की गई राशि अनुसूची 13 अर्जित ब्याज: मद II निवेशों से आय के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शानी चाहिए। हालांकि, इसे अलग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति की बही मूल्य को संबंधित लेखा अवधि में अमूर्त राशि के बराबर घटा दिया जाना चाहिए।
- AFS श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप को त्रैमासिक या इससे अधिक आवृत्ति पर मार्क-टू-मार्केट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात स्क्रिप का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
- iii. HFT श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप को मासिक या इससे अधिक आवृत्ति पर मार्क-टू-मार्केट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात स्क्रिप का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

3.4 लेखांकन प्रक्रिया (Accounting Procedure):

निवेश प्रविष्टियाँ प्रतिभूति के लागत मूल्य पर की जाती हैं। यदि किसी प्रतिभूति का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक है (अर्थात प्रीमियम पर खरीदी गई), तो प्रीमियम को शेष परिपक्कता अवधि में समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, तो अंतर को अनदेखा किया जाना चाहिए और आय में नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अप्राप्त लाभ (unrealized gain) को दर्शाता है। निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ/हानि को लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्शाया जाना चाहिए।





3.5 सतर्कता मानदंड (Prudential Norms):

निवेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर निष्पादित (Performing) और गैर-निष्पादित (Non-Performing) में वर्गीकृत किया जाता है।

4. स्थायी परिसंपत्तियाँ (Fixed Assets):

- (a) स्थायी परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें मूल्यहास की कटौती की गई है।
- (b) स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लेखित अविशष्ट मूल्य विधि (Written Down Value Method) के अनुसार नीचे दिए गए विवरणानुसार प्रदान किया गया है:

(1) मूल्यहास की दरें:

- लकड़ी और स्टील के फर्नीचर तथा विद्युत संयंत्रों आदि पर 10%
- प्लांट एवं मशीनरी, मोटर वाहन (कार और जीप) तथा साइकिल पर 15%
- कंप्यूटर, कंप्यूटर उपकरण और सॉफ़्टवेयर पर 60%
- पुस्तकालय पर 10%
- (ii) जिन परिसंपत्तियों की मूल लागत ₹5,000/- या उससे कम है, उन पर 100% मूल्यहास लागू किया जाता है और केवल ₹1/- का अविशष्ट मूल्य शेष रखा जाता है।
- (iii) वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों के लिए, बैंक द्वारा उपयोग में लिए गए दिनों के अनुपात में मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- (iv) फर्नीचर मॉड्यूल में मूल्यहास की गणना प्रणाली द्वारा की जाती है तथा पुस्तकालय से संबंधित मूल्यहास को मैनुअली प्रदान किया जाता है।

5. परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति (Impairment of Assets):

बैंक प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर मूल्यांकन करता है कि क्या किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आने की संभावना है। यदि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि (Carrying Amount) उसके अनुमानित वसूल योग्य मूल्य (Recoverable Amount) से अधिक है, तो इस अंतर को लाभ और हानि विवरण में क्षतिपूर्ति हानि (Impairment Loss) के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

6. जमा राशियाँ (Deposits):

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपकता के पश्चात अप्राप्त जमा राशियों (Overdue Deposits) पर बचत खाता (SB Account) के लिए लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज प्रदान करता है।

7. अग्रिम (Advances):

- (a) बैंक के सभी अग्रिमों को निष्पादित (Performing / Standard) और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets Substandard, Doubtful और Loss Assets) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- (b) RBL/NABARD द्वारा जारी सतर्कता मानदंडों (Prudential Norms) के अनुसार, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए निम्नलिखित रूप में प्रावधान किया गया है:







- (i) **सब-स्टैंडर्ड परिसंपत्तियाँ:** सुरक्षित भाग पर 15% और असुरक्षित भाग पर 25%
- (ii) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ D1 श्रेणी: सुरक्षित भाग पर 25% और असुरक्षित भाग पर 100%
- (iii) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ D2 श्रेणी: सुरक्षित भाग पर 40% और असुरक्षित भाग पर 100%
- (iv) संदिग्ध परिसंपत्तियाँ D3 श्रेणी तथा हानि परिसंपत्तियाँ: 100%
- (c) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को अग्रिमों से घटाया गया है।
- (d) मानक अग्निमों (Standard / Performing Assets) पर सामान्य प्रावधान (General Provision) और फ्लोटिंग प्रावधान (Floating Provision) को अग्निमों से नहीं घटाया गया है, बल्कि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में "अन्य दायित्व एवं प्रावधान" (Other Liabilities & Provisions) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- (e) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर अप्राप्त ब्याज को आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।
- (f) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में आंशिक वसूली को पहले शुक्क और ब्याज में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन में।

8, कर्मचारी लाभ (Employee Benefits):

- 8.1 अल्पकालिक कर्मचारी लाभ (Short Term Employee Benefits)
 जिन कर्मचारी लाभों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर किया जाना है, उन्हें अल्पकालिक लाभ माना जाता है। इनका लेखांकन उस अवधि में किया जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।
- 8.2 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (Long Term Employee Benefits)
 - (i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ (Defined Contribution Plans)

भारत सरकार ने पत्र क्रमांक F.No. 8/20/2010-RRB दिनांक 23,10,2018 के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों के कर्मचारियों को पेंशन की स्वीकृति प्रदान की। इसके क्रम में निदेशक मंडल ने 30,10,2018 को प्रस्ताव संख्या 2714 के तहत चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बेंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 को अपनाया।

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि एवं/या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में योगदान उक्त पेंशन विनियमों के अनुसार किया जाता है। लेखांकन भारत सरकार/NABARD/प्रायोजक बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ (Defined Benefit Plans)

कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

a. ग्रेच्युटी:

बैंक ने एक न्यास (Trust) की स्थापना की है, और न्यासीगण ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारी को कवर करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ एक समूह ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है।

वर्षांत पर किए गए एक्वुअरियल मूल्यांकन (actuarial valuation) के आधार पर बैंक की ग्रेच्युटी देनदारी को मान्यता दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सकल देनदारी से घटाकर नेट आधार पर प्रदर्शित किया जाता है।

LIC द्वारा किए गए एक्वुअरियल मूल्यांकन के अनुसार, बेंक LIC को भुगतान करता है। न्यास अन्य कंपनियों के साथ भी निवेश करता है।







b. पेंशन:

भारत सरकार ने दिनांक 12.12.2018 को CGGB (Employees') Pension Regulations, 2018 को राजपत्र में अधिसूचित किया और तदनुसार बेंक द्वारा "CGGB (Employees') Pension Fund" गठित किया गया है।

पेंशन फंड में योगदान उपरोक्त विनियमों के अनुसार किया जाता है। पेंशन फंड केवल भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ रखा जाता है। लेखांकन भारत सरकार/NABARD/प्रायोजक बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

c. अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment):

- सेवा अविध के दौरान अर्जित अवकाश के एलएफसी/एलटीसी के अंतर्गत नकदीकरण को जब भी यह उत्पन्न होता है, लाभ और हानि खाते में शुल्कित किया जाता है।
- ii. सेवानिवृत्ति आदि के समय अवकाश नकदीकरण हेतु बैंक ने LIC के साथ एक फंड बनाया है, जो हर वर्ष एक्वुअरियल मूल्यांकन करता है और तदनुसार फंड में निवेश किया जाता है। यह फंड अन्य कंपनियों के साथ भी Group Leave Encashment Scheme (GLES) के तहत निवेश करता है।

9. लेखा मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग (Segment Reporting):

लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक ने निम्नलिखित को अपनाया है:

- व्यावसायिक खंड को एकमात्र रिपोर्टिंग प्रारूप माना गया है।
- ii. केवल दो व्यावसायिक खंड होंगे रिटेल बैंकिंग और कोषागार (Treasury)।
- iii. व्ययों का विभाजन उचित और स्थायी आधार पर किया जाएगा।

10. लेखा मानक 22 – आयकर लेखांकन (Accounting for Taxes on Income):

यह मानक आयकर से संबंधित खर्च या बचत की राशि के निर्धारण और उसकी वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण हेतु लागू होता है। यह मानक बैंक की पुस्तकों में Deferred Tax Asset (DTA) या Deferred Tax Liability (DTL) के सृजन का प्रावधान करता है।

11. आय पर कर (Taxes on Income):

आयकर व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

- a. चालू कर प्रावधान (Current Tax Provision)
- b. स्थगित कर शुल्क (Deferred Tax Charge)

चालू कर प्रावधान उस अवधि का कर है, जो आयकर अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। स्थगित कर शुल्क आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखा मानक 22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है और यह डीटीए/डीटीएल में वर्ष के दौरान हुआ परिवर्तन दर्शाता है।

स्थगित कर को बेलेंस शीट तिथि तक अधिनियमित या व्यावहारिक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है। Deferred Tax Asset तब तक मान्यता नहीं पाता जब तक कि यह यथोचित रूप से निश्चित न हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

डीटीए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः मूल्यांकित किया जाता है, और उसका आकलन प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यथोचित/प्रायः निश्चित रूप से







प्राप्त होने की संभावना पर आधारित होता है।

12. लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (Interim Financial Reporting):

प्रत्येक तिमाही के अंत (30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर) पर वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (SCA) द्वारा समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा मुख्य रूप से आय और व्यय मदों के सत्यापन पर केंद्रित होगी न कि बैलेंस शीट मदों पर, सिवाय इसके कि उनका प्रभाव बैंक की आय और व्यय पर पड़ता हो।

13. प्रावधान और संदिग्ध दायित्व (Provisions & Contingent Liabilities):

लेखा मानक 29 "प्रावधान, संदिग्ध दायित्व और संदिग्ध परिसंपत्तियाँ" के अनुसार, बेंक केवल उन्हीं प्रावधानों को मान्यता देता है जब:

- a. कोई वर्तमान दायित्व अतीत की किसी घटना से उत्पन्न हुआ हो।
- b. उस दायित्व को निपटाने हेतु आर्थिक संसाधनों का बहिर्गमन संभावित हो।
- c. उस दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

कोई प्रावधान तब मान्यता प्राप्त नहीं करता जब:

- a. ऐसा दायित्व जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न हुआ हो परंतु जिसकी पुष्टि केवल भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न होने े से ही संभव हो।
- b. ऐसा वर्तमान दायित्व जो:
 - संभवतः आर्थिक संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता नहीं रखता हो।
 - ii. जिसकी राशि का विश्वसनीय अनुमान न लगाया जा सके।

ऐसे दायित्वों को संदिग्ध दायित्व के रूप में दर्ज किया जाता है और नियमित रूप से आकलन किया जाता है। जहां बहिर्गमन की संभावना होती है, केवल वहीं प्रावधान किया जाता है।

जिन अविक्लेम देनदारियों की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक की DEAF योजना में स्थानांतरित की गई है, उन्हें Schedule 12 में "संदिग्ध देनदारी — अन्य" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

संदिग्ध परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती।

14. शुद्ध लाभ (Net Profit):

लाभ और हानि खाते में जो शुद्ध लाभ दर्शाया गया है वह निम्नलिखित के बाद है:

- a. मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान
- b. ऋण हानियों पर प्रावधान
- c. गैर-निष्पादित निवेशों पर प्रावधान
- d. निवेशों पर मूल्यहास का प्रावधान
- e. कराधान हेतु प्रावधान
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान





15. नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement):

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानक 3 (AS-3) के अनुसार तैयार किया गया है। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत होता है:

- 15.1 संचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (Cash Flow from Operating Activities): इसमें संचालन गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल होता है।
- 15.2 निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (Cash Flow from Investing Activities): इसमें निवेश से उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल होता है।
- 15.3 वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (Cash Flow from Financing Activities): इसमें वित्तीय साधनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह शामिल होता है।

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुल एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 010629S

(सीए. कृष्णा हरीश ईश्वर)

साधी

एम नंबर 224407 UDIN: 25224407BMGPQZ6827

निदेशक मंडल

के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष

के संतोष नामित निदेशक आरबीआई

सी वी एन भास्कर राव नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डी त्रिपाठी नामित निदेशक नाबार्ड

एस श्रीनिवास नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025







चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रायोजित प्रधान कार्यालय : गुंटूर

अनुसूची 18

वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण - लेखा टिप्पणियाँ

[भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश संख्या DOR.ACC.REC.No.46/21.04.018/2021-22 [RBI/DOR/2021-22/83] दिनांक 30.08.2021 (जैसा कि 01.04.2025 को अद्यतन किया गया) के अनुसार तैयार - भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निर्देश, 2021]

1. नियामक पूंजी

(क) नियामक पूंजी की संरचना

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
I)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)/चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि (कटौतियों को छोड़कर, यदि कोई हो)	1542.98	1233.50
ii)	अतिरिक्त टियर १ पूंजी/अन्य टियर १ पूंजी	*	9
iii)	टियर 1 पूंजी (i+ii)	1542.98	1233.50
iv)	टियर २ पूंजी	71.88	57.44
v)	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	1614.86	1290,94
vi)	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां (आरडब्ल्यूए)	10465.80	9265.76
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)/ आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधि	14.74	13.31
viii)	टियर १ अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर १ पूंजी)	14.74	13.31
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.69	0.62
x)	जोखिम भारित परिसंपतियों के लिए पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	15,43	13,93
xi)	लीवरेज अनुपात	N.A.	N.A.
xii)	शेयस्थारिता का प्रतिशत		
	(क) भारत सरकार	50.00	50.00
	(ख) राज्य सरकार - आंध्र प्रदेश सरकार	15,00	15.00
	(ग) प्रायोजक बैंक - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	35.00	35.00
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि		3
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि	-	2
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर इकीटी दियर 2 पूंजी की राशि	1.00	+





(बी) रिज़र्व से निकासी: बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रिज़र्व से कोई राशि नहीं निकाली है

2. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

परिसंपत्तियों और देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्तता पैटर्न

31.03.2025 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

'विवरण	दिन ।	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने तक	्र महीने से अधिक और 3 महीने तक	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	167.32	138.28	95,63	435,24	663,95	797,74		3055,80	5350,25	25.09	48.01	12113.39
अग्रिम राशि	611.78	71.99	67.35	206.09	612.04	760,21	2344.77	4067.11	865,33	3184.53	1368.08	14159.28
निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77	431.70	1407.79	1959.26
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.32	297.56	2579.06	880.12	306.00	0.00	4203.06
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	1/2	Ī	2	172	- 2	-						0
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ		Ť	ž	2.	5	*	24	- 2-	-			*

31.03.2024 तक

'विवरण	दिन ।	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से 2 महीने तक	2 महीने से अधिक और 3 महीने तक	ओर 6 महीने	अधिक और ।	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशि	154.62	76,73	71.59	182.48	310,99	414.03	1104,99	3195,58	4443,83	30,49	43.59	10028,92
अग्रिम राशि	682,43	62,01	81.81	183.65	590,61	678.52	1789.07	3063.85	607.54	3434.33	1241.33	12415.15
निवेश	24.00	48.87	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.77	1782.75	2121.92
उधार	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	513.11	325.01	2287,21	663.40	660,68	96,00	4599.54
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ)\ -			-		1.	9.		•		5
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	52		-	-	-		- 2				•	







3. निवेश

(क) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2025 तक

			भारत	में निवेश				2	गरत के व	बाहर नि	वेश	
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिवेंचर और बांड	सहायक कंपनियां और/पा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/पा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुत निवेश	कुत निवेश
परिपकता तक धारित												
कुल	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
शुद्ध	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1825.93
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	60.07	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
श्द	60.07	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33
व्यापार के लिए धारित												
कुल	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास ओर एनपीआई के लिए प्रावधान	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
कुल निवेश	1886.00	0,00	0.00	73.26	0.00	0.00	1959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.26
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान (एमटीएम हानियाँ)	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
शुद्ध	1886,00	0.00	0.00	73.26	0.00	0.00	1959.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1959.26





31.03.2024 तक

			भारत	में निवेश				4	ारत के ब	ाहर नि	वेश	
	सरकारी प्रतिभृतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिबेंचर और वांड	सहायक कंपनियां और/पा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभृतियाँ (स्थानीय प्राधिकरकों सहित)	सहायक कंपनियां और पा संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुत निवेश	कुल निवेश
परिपकता तक धारित												
कुल	1804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1804.23
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
शुद्ध	1804.23	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	1804,23	0.00	0.00	0.00	0.00	1804,23
बिक्री के लिए उपलब्ध												
कुल	220.43	0.00	0.00	83.26	0.00	14.00	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	317.69
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.01	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10,01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
शुद्ध	220.42	0.00	0.00	73.26	0.00	14.00	307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	307,68
व्यापार के लिए धारित		77/20/40					- In a series		345000			o contract de la cont
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश	2024.66	0.00	0,00	83.26	0.00	14.00	2121.92	0.00	0.00	0.00	0,00	2121.92
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0,00	10.00	0,00	0.00	10,00	0,00	0.00	0.00	0.00	10.00
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान (एमटीएम हानियाँ)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.01	0.00	0.00	0,00	0.00	0.01
शुद्ध	2024.65	0.00	0.00	73.26	0.00	14.00	2111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2111.91







(बी) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए प्रावधानों का आंदोलन

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) निवेशों पर मूल्यहास हेतु रखे गए प्रावधानों का संचलन	7254	
a) आरंभिक शेष	10.01	10.08
b) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.01
e) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते में डालना/वापस लिखना	10,01	0.08
d) समापन शेष	0.00	10.01
ii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि का संचलन		
a) आरंभिक शेष	11.80	11.80
b) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	0.00	0.00
e) घटाएँ: निकासी	0.00	0.00
a) समापनशेष	11.80	11.80
iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों के समापन शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में समापन शेष	8.85	3.71

(ग) एचटीएम श्रेणी में/से विक्री और हस्तांतरण चालू वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की कोई प्रत्यक्ष बिक्री नहीं हुई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों द्वारा निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से प्रतिभूतियों का एकमुश्त हस्तांतरण।	569.12	205.90
आरबीआई द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में कमी के परिणामस्वरूप एचटीएम श्रेणी में एसएलआर होल्डिंग्स को कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष बिक्री।	शून्य	शून्य
आरबीआई के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे कि खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) और सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री।	शून्य	शून्य
बायबैक/स्विच परिचालनों के तहत भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।	शून्य	शून्य
बायबैक/स्विच परिचालनों के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद।	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण।	शून्य	शून्य





(घ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
a)	आरंभिक शेष	10,00	10.00
b)	। अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
c)	उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	10,00	0,00
d)	अंतिम शेष	0.00	10.00
e)	कुल प्रावधान	0,00	10.00

(ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	जारीकर्ता	मा	मात्रा ए		समेंट स नाच प्र		निजी प्लेसमेंट की सीमा		प्रतिभ	•अनरेटेड° प्रतिभूतियों की सीमा		ीबद्ध' (तियों सीमा
(1)	(2)	- 6	3)		6)		5)		5)		7)	
		मीजुदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीणुदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजुदा वर्ष	पिछते वर्ष	
क)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	21,50	21.50	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	
码)	वित्तीय संस्थाएँ	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
77)	बैंक	49.96	59,96	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	
되)	निजी निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ক্ত)	सहायक कंपनियाँ/ संयुक्त उद्यम	-	*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
뒥)	अन्य	0.00	14.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
छ)	घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान (एमटीएम घाटा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	
	कुल	73,26#	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	

अनुसूची 8 में दिए गए संगत आंकड़ों से कुल मिलान







(ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

31.03.2025 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

	न्यून	दौरान तम गया	अधि	दौरान कतम गया	् दैन्	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया		ितक या
	FV1	MV ²	FV	MV	FV	MV	FV	MV
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभृतियाँ								
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
c) कोई अन्य प्रतिभृतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ								
a) सरकारी प्रतिभूतियाँ	123.24	117.00	883.71	841.01	516.23	506.38	0.00	0.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) कोई अन्य प्रतिभृतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

नोट: 1 — अंकित मूल्य 2 — बाजार मूल्य RBI की स्थायी जमा सुविधा (SDF) में लेनदेन उपरोक्त प्रकटीकरण से बाहर रखे गए हैं

31.03.2024 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च तक बकाया
i) रेपो के तहत बेची गई प्रतिभृतियाँ				
a) सरकारी प्रतिभृतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभृतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
ii) रिवर्स रेपों के तहत खरीदी गई प्रतिभृतियाँ				
a) सरकारी प्रतिभृतियाँ	368.00	1615.00	110.59	0.00
b) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0,00
c) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00





(च) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

31.03.2025 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम वकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभृतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ			शून्य		
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ					

31.03.2024 तक

(राशि करोड़ रूपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	31 मार्च तक बकाया	
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभृतियाँ						
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभृतियाँ						
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	श्-य					
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ						







4. परिसंपत्ति गुणवत्ता

(क) अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

31.03.2025 तक र. लाख में

	मानक		गैर-निष्पादित				
		उप- स्टेंडर्ड	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर- निष्पादित अग्रिम	कुल	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए							
प्रारंभिक शेष	1233778,96	4217.59	2981.92	536,68	7736,19	1241515,15	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					2384.83	2384.83	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी*					2941.95	2941.95	
अंतिम शेष	1308749.02	2366,70	4707.40	104,97	7179,07	1315928.09	
*सकल एनपीए में कमी के कारण:							
i) उन्नयन					475,51	475.51	
ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1360.59	1360,59	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बहे खाते में डालना					1105,85	1105.85	
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना					0.00	0.00	
प्रावधान							
(अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)							
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3313.87	4217.59	2981.92	536.68	7736,19	11050.06	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1718.77	1718.77	
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान उलट दिए गए/ऋण बट्टे खाते में डाले गए					2275.89	2275.89	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3780,39	2366.70	4707.40	104.97	8156.83*	11937,22#	
शुद्ध एनपीए							
प्रारंभिक शेष		0.00	0.00	0,00	0.00		
जोड़ें: वर्ष के दौरान नई वृद्धि					0,00		
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					0.00		
अंतिम शेष					0.00		





रु. लाख में

	THEFT		4-0			menine kale
	मानक		गर-ान	ाष्पादित		
	कुल मानक अग्रिम	उप- स्टैंडर्ड	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर- निष्पादित अग्रिम	कुल
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						1250,00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						0.00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						1250,00
तकनीकी बट्टे खाते और उनसे की गई वसूली						
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते खातों का प्रारंभिक शेष						4010.25
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बहे खाते						1105,85
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले से बट्टे खाते खातों से की गई वसूली						218.03
अंतिम शेष						4898,07

* मार्च 2025 के लिए सामान्य आरक्षित निधि एवं प्रावधानों के अंतर्गत टियर-11 पूंजी के रूप में विचार हेतु 977.76 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान (पीसीआर के 100% से अधिक) रखा गया है।

वित्तं वर्षं 2025 के दौरान मानक परिसंपत्तियों के लिए 466.52 लाख रुपये का नया प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान मार्च 2025 तक 3313.87 लाख रुपये से बढ़कर 3780.39 लाख रुपये हो गया। 11937.22 लाख रुपये के समापन प्रावधान का विवरण इस प्रकार है:

मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान : 3780.39 लाख रुपये एनपीए के लिए प्रावधान : 7179.07 लाख रुपये

ऊपर उल्लिखित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान 977.76 लाख रुपये

कुल : 11937,22 लाख रुपये







31.03.2024 तक

रु. लाख में

	मानक					
	कुल मानक अग्रिम	उप- स्टैंडर्ड	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर- निष्पादित अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष	976633.96	2290,07	2950.81	467,75	5708,63	982342,59
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि					4346.46	4346.46
घटाएँ: वर्ष के दौरान कमी*					2318.90	2318,90
अंतिम शेष	1233778.96	4217.59	2981.92	536,68	7736.19	1241515.15
*सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					319,38	319.38
ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)					1073.20	1073,20
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बहे खाते में डालना					926.32	926.32
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत आने वाले प्रावधानों के अलावा अन्य बड़े खाते में डालना					0.00	0.00
प्रावधान						
(अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	2636.84	2290.07	2950.81	467.75	7327.79	9964.63
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1527.42	1527.42
घटाएँ: अतिरिक्त प्रावधान उलट दिए गए/ऋण बट्टे खाते में डाले गए					1119.02	1119.02
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3313,87	4217.59	2981.92	536,68	7736.19	11050,06#
शुद्ध एनपीए		0.00	0.00	0.00	0.00	
प्रारंभिक शेष					0,00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नई वृद्धि					0.00	
घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती					0.00	
अंतिम शेष		0.00	0.00	0.00	0.00	





रु. लाख में

	मानक		गैर-निष	गदित		
	कुल मानक अग्रिम	उप- स्टैंडर्ड	संदिग्ध	नुकसान	कुल गैर- निष्पादित अग्रिम	कुल
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष						1250.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि						0,00
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष						1250.00
तकनीकी बट्टे खाते और उनसे की गई वसूली						
तकनीकी/विवेकपूर्ण बहे खाते खातों का प्रारंभिक शेष						3396,66
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बहे खाते						926,32
घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले से बट्टे खाते खातों से की गई वसूली						312.73
अंतिम शेष						4010.25

वित्त वर्ष 2024 के दौरान मानक परिसंपत्तियों के लिए 677.03 लाख रुपये का नया प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, मार्च 2024 तक यह प्रावधान 2636.84 लाख रुपये से बढ़कर 3313.87 लाख रुपये हो गया। 11050.06 लाख रुपये के समापन प्रावधान का विवरण इस प्रकार है:

मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान एनपीए के लिए प्रावधान

कुल

: 3313.87 लाख रुपये

: 7736,19 लाख रुपये

: 11050.06 लाख रुपये









अनुपात (प्रतिशत में)	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	0.55	0.68
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्निम	0.00	0.00
प्रावधान कवरेज अनुपात	100.00	100,00

(ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

रु. करोड़

	सेक्टर		चालू व	d .	पिछले वर्ष			
क्र.सं.		बकाया कुल अग्रिम		उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत	
i)	प्राथमिकता क्षेत्र						11,000,000	
	क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	8011.56	28.85	0.36	7035.71	37.15	0.53	
	ख) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	2.96	0.12	4,05	8.72	0.10	1.15	
	ग) सेवाएँ	672,80	5.80	0.86	610.47	6.62	1,08	
	घ) व्यक्तिगत ऋण	3224.92	17.70	0.55	2669.07	13.74	0.51	
	उप-योग (i)	11912.24	52.47	0,44	10323.97	57.61	0.56	
ii)	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र							
7.75	क) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ							
	ख) उद्योग					-	-	
	ग) सेवाएँ	115.34	8.03	6.96	64.55	8.08	12.52	
	घ) व्यक्तिगत ऋण	1131.70	11.29	0.99	1026,63	11,67	1.14	
	उप-योग (ii)	1247,04	19,32	1,55	1091.18	19.75	1.81	
	कुल (i+ii)	13159.28	71.79	0.55	11415.15	77.36	0.68	

वे उप-क्षेत्र जहाँ बकाया अग्रिम राशि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उस क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया अग्रिम राशि के 10% से अधिक है, वे हैं: शून्य

वे उप-क्षेत्र जहाँ बकाया अग्रिम राशि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उस क्षेत्र को दिए गए कुल बकाया अग्रिम राशि के 10% से अधिक है, वे हैं: शून्य





(ग) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

(i) पुनर्गठन के अधीन खातों का विवरण

रु. करोड

			वं संबद्ध वेधियाँ	(एमए	र्गिरेट सएमई डकर))	मध्या	लघु एवं । उद्यम सएमई)	एमए	कृषि और सएमई ोड़कर)	g	ृल
		मीजुदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजुद्धा वर्ष	पिछले वर्ष	मीलूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजुदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
	उधारकर्ताओं की संख्या	2354	6857	0	0	497	1909	1318	1590	4169	10356
मानक	सकल राशि (करोड़ रुपये)	104.50	279.12	0.00	0.00	11.55	34.76	85.10	109.24	201.15	423.12
200196	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये)	0.32	0.09	0.00	0.00	0.06	0.16	1.18	1.28	1.56	1.53
	उधारकर्ताओं की संख्या	112	151	0	0	135	313	14	10	261	474
An	सकल राशि (करोड़ रुपये)	1.31	1.98	0.00	0.00	0.69	0.98	0.96	0.55	2.96	3.51
निम्न-मानक	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये)	1.31	1,98	0.00	0.00	0.69	0.98	0.96	0.55	2.96	3.51
	उधारकर्ताओं की संख्या	136	361	0	0	216	294	17	28	369	683
	सकल राशि (करोड़ रुपये)	2.41	5.47	0.00	0.00	0.85	1.50	1.48	2.85	4.74	9.82
संदेहास्पद	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये)	2.41	5.47	0.00	0,00	0.85	1.50	1.48	2.85	4.74	9.82
	उधारकर्ताओं की संख्या	2602	7369	0	0	848	2516	1349	1628	4799	11513
कुल	सकल राशि (करोड़ रुपये)	108.22	286.57	0.00	0.00	13.09	37.24	87.54	112.64	208.85	436.45
	धारित प्रावधान (करोड़ रुपये)	4.04	7.54	0.00	0.00	1.60	2.64	3,62	4.68	9.26	14.86

ऐसे कोई खाते नहीं हैं जिनके संबंध में पुनर्गठन हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन हों, लेकिन पुनर्गठन पैकेज अभी तक स्वीकृत नहीं किए गए हों

(घ) धोखाधड़ी खाते

धोखाधड़ी की संख्या और राशि के साथ-साथ उसके लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	3
धोखाधड़ी में शामिल राशि (करोड़ रुपये)	0.10*	3,39
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (करोड़ रुपये)	0.0006	2.66
वर्ष के अंत तक 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए अशोधित प्रावधान की राशि (करोड़ रुपये)	0.00	0.00

^{*} उपरोक्त में से 0.1006 लाख रुपये वसूल किए गए







(ई) कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

31 मार्च, 2025 तक

रु. करोड़

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0,01	0,00	0,01	0,00	0.00
कॉर्पोरेट ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	330,90	5.87	3.40	120.48	201.15
कुल	330,91	5.87	3.41	120.48	201.15

30 सितंबर, 2024 तक

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से. कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0.10	0.05	0.00	0.04	0.01
कॉपरिट ऋण	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	423.02	5.54	0.00	86.58	330.90
कुल	423.12	5.59	0.00	86.62	330,91





31 मार्च 2024 तक

रु. करोड़

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0,11	0.00	0.00	0.01	0.10
कॉपॉरेट ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	701.40	1.47	4.41	272.50	423,02
कुल	701.51	1.47	4.41	272.51	423.12

30 सितंबर, 2023 तक

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0.27	0.04	0.00	0.12	0.11
कॉपॅरिट ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	1226.68	11.12	0.00	514.16	701.40
कुल	1226.95	11.16	0.00	514.28	701.51







31 मार्च, 2023 तक

रु. करोड़

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0.47	0.06	0.00	0.17	0.27
कॉपॉरेट ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	1788.02	6.31	0.02	635.42	1226,68
कुल	1788.49	6.37	0.02	635,59	1226,95

30 सितंबर, 2022 तक

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(ए) में से, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में बदल गया	(ए) में से, छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(ए) में से, छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में जोखिम इस छमाही के अंत तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	0.69	0.03	0.00	0.49	0,47
कॉर्परिट ऋण	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
जिनमें से एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	2672.57	9.96	0.00	2083.41	1788.02
कुल	2673.26	9,99	0.00	2083.90	1788.49





च) ऋण जोखिमों के हस्तांतरण का प्रकटीकरण

(सभी राशि र करोड़ में)	एआरसी के लिए	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों के लिए	अन्य स्थानांतरित व्यक्तियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें
खातों की संख्या	श्न्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	शून्य	शून्य
हस्तांतरित ऋणों का शुद्ध बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	शून्य	शून्य
कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण		
(सभी राशि १ करोड़ में)	एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंक, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी)	एआरर्स से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
प्राप्त ऋणों की भारित औसत शेष अवधि	शून्य	शून्य







5. जोखिम

(क) रियल एस्टेट क्षेत्र में जोखिम

रु. करोड़

वर्ग	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) प्रत्यक्ष जोखिम		
a) आवासीय बंधक –		
पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण आवासीय संपत्ति पर जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराए पर है	334,54	320.43
व्यक्तिगत आवास ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र अग्निमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र (ऋण में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल हैं)	360,60	345.16
ख) वाणिज्यिक अचल संपत्ति -		
वाणिज्यिक अवल संपत्ति पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवारीय आवासीय भवन, बहु- किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) [जोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ भी शामिल हैं]	38.37	24.53
ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिम-		
i. आवासीय	श्-य	श्च
ii. वाणिज्यिक अवल संपत्ति	शून्य	शून्य
ii) अप्रत्यक्ष जोखिम		
निधि आधारित और गैर निधि आधारित जोखिम राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर	श्ऱ्य	शून्य
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल जोखिम	733.51	690.12

(ख) पूंजी बाजार में जोखिम:

बैंक का चालू और पिछले दोनों वर्षों में पूंजी बाजार में कोई जोखिम नहीं है।

(ग) जोखिम श्रेणी-वार देश जोखिम:

बेंक का चालू और पिछले दोनों वर्षों में देश जोखिम में कोई जोखिम नहीं है।





(डी) असुरक्षित अग्रिम:

रु. करोड

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम	303.99	317.71
उपरोक्त में से, अग्निमों की वह राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर भार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि लिए गए हैं	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

(ई) फैक्टरिंग जोखिम : शून्य (एफ) अंतर-समूह जोखिम : शून्य (जी) असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम : शून्य

6. जमा, अग्रिम, जोखिम और एनपीए का संकेंद्रण

(ए) जमा का संकेंद्रण

रु. करोड़

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	1749.91	1058.55
बेंक की कुल जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	14.45	10.55

(ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण.

रु. करोड़

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	79.78	68.45
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	0.56	0.55

(ग) एक्सपोज़र की सांद्रता

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल जोखिम	145.11	151.61
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति जोखिम का प्रतिशत	1.02	1.21







(घ) एनपीए का संकेन्द्रण

रु. करोड़

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल जोखिम	18.01	16.94
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए खातों में जोखिम का प्रतिशत	25.09	21.90

7. डेरिवेटिव्सः

बैंक ने चालू और पिछले वर्षों में डेरिवेटिव्स में कोई लेनदेन नहीं किया है।

8. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण

रु. करोड़

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीईए फंड में हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	19,95	18.59
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में हस्तांतरित राशियाँ	3.90	1,68
iii)	घटाएँ: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियाँ	0.08	0.32
iv)	डीईए फंड में हस्तांतरित राशियों का अंतिम शेष	23.77	19.95

9. शिकायतों का प्रकटीकरण

(क) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	16	16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	588	492
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	602	497
	3.1 जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	0	0
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2	11
	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें		
5.	बैंक को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या	24	13
	5.1 लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई 5 शिकायतों में से 5 शिकायतों की संख्या	23	13
	5.2 लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से निपटाई गईं 5 शिकायतों में से 5 शिकायतों की संख्या	I	0
	5.3 लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद निपटाई गई 5 शिकायतों की संख्या	0	0
6.	निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू न किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णयों को छोड़कर)	0	0





(ख) बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात् संबंधित शिकायतें) (1)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या (2)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (3)	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी (4)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (5)	5 में से. 30 दिनों से अधिक की शिकायतों की संख्या (6)
357		्रवर्ष वित्त व		(3)	(6)
ਸ਼ਾਰਂਤ - ।	548	340	(-)37,96	2	0
ग्राउंड - 2	5	8	60.00	0	0
ग्राउंड - 3	22	83	277.27	7	1
ग्राउंड - 4	6	18	200.00	Ĭ	0
ग्राउंड - 5	2	3	50.00	1	0
अन्य	29	53	82,76	0	0
कुल	612	505	(-)17.48	11	1
	पिर	छला वर्ष - वित्त	वर्ष 2023-24		
ग्राउंड - 1	3	548	(-) 15.43	2	0
ਸ਼ ਹਿੱ ਤ - 2	1	5	25.00	0	0
ग्राउंड - 3	10	22	(-) 46.34	0	0
ग्राउंड - 4	1	6	20.00	0	0
ग्राउंड - 5	0	2	100,00	0	0
अन्य	1	29	123.08	0	0
कुल	16	612	(-) 14.04	2	0

आधार-।: एटीएम/डेबिट कार्ड

आधार-2: इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग

आधार-3: ऋण और अग्रिम आधार-4: कर्मचारियों का व्यवहार

आधार-5: बिना पूर्व सूचना के शुल्क लगाना/अत्यधिक शुल्क/फौजदारी शुल्क







10. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, RBI द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है

11. संबंधित पक्ष प्रकटीकरणः

- क. हमारा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सहयोगी है। तदनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक संबंधित पक्ष है।
- ख. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (अर्थात हमारा प्रायोजक बैंक) से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते बैंक के लाभ-हानि खाते में बदल दिए जाते हैं।
- ग. बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ लेन-देन होता है, लेकिन इस शीर्षक के अंतर्गत विवरण नहीं दिया गया है क्योंकि 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' पर लेखा मानक 18 बैंक को अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ लेन-देन का खुलासा करने से छूट देता है।

प्रबंधकीय पारिश्रमिक का विवरण:

रु. लाख में

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
श्री के. प्रमोद कुमार रेड्डी, अध्यक्ष (महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर)	34.30	27.71

12. लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग

भाग A: व्यावसायिक खंड

रु. करोड़

व्यावसायिक क्षेत्रों	ख	ज्ञाना		र्गिरट/ वैकिंग		कर केंग		बैंकिंग स्साय	कु	er
विवरण 👃	Current Year	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष	मीजूदा वर्ष	पिछले वर्ष
राजस्व	174.77	166.79	-	×	1615.02	1339,82	-	(4)	1789.79	1506,61
परिणाम	39.99	37.19	39	-	369,53	298,74			409.52	335.93
असंबद्ध व्यय										
परिचालन लाभ									431.22	356.38
आयकर									107.27	84.02
असाधारण लाभ/हानि	12	-	4	2	-	-	-	727	12	_
शुद्ध लाभ									302.25	251.91
अन्य जानकारी:										
खंड परिसंपत्तियाँ	1959.26	2121.92	-	-	13087.49	11337.79			15046.75	13459,71
असंबद्ध परिसंपत्तियाँ									3122.31	2658,05
कुल परिसंपत्तियाँ									18169,06	16117.76
खंड देयताएँ	-	-	-	3	16316.45	14628.46	2	100	16316.45	14628.46
असंबद्ध देयताएँ									1852.61	1489,30
कुल देयताएँ									18169.06	16117.76

भाग बी: भौगोलिक खंड

केवल एक खंड है, अर्थात घरेलू खंड





13. 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(ক. '000)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
A	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	- 10
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	3878282	3154918
	इसके लिए समायोजन:		
	स्थायी संपत्तियों पर मूल्यझस	133396	74452
	निवेश के लिए प्रावधान	0	0
	गैर-निष्पादित संपत्तियों के लिए प्रावधान	171877	152742
	मानक संपत्तियों के लिए प्रावधान	46652	67703
	कर्मचारी संबंधी व्यय के लिए प्रावधान	0	0
	अन्य मदों के लिए प्रावधान (शुद्ध)	-1572	-16008
	(लाभ)/स्थायी संपत्तियों की बिक्री या निपटान पर हानि	-1023	-726
	उधार पर ब्याज: पूंजीगत उपकरण	0	0
	निवेश से प्राप्त लाभांश	0	0
	उप-योग	349330	278163
	इसके लिए समायोजन:		
	जमा में वृद्धि/(कमी)	20844656	14701438
	उधार में वृद्धि/(कमी)	-3964826	8396059
	अन्य देनदारियों और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	610713	-63325
	निवेश में (वृद्धि)/कमी	1626617	-4578885
	(वृद्धि)/अग्रिम में कमी	-17497005	-23714501
	(वृद्धि)/कमी अन्य संपत्तियों में	-1332681	-379293
	प्रत्यक्ष कर का भुगतान (रिफंड का शुद्ध)	-1072714	-840208
	उप-योग	-785240	-6478715
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)	3442372	-3045634







31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(死, '000)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ
В	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	खरीद अचल संपत्तियों का	-361646	-73439
	अचल संपत्तियों की बिक्री/समायोजन से प्राप्त आय	3144	1138
	सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि)/कमी	0	0
	सहायक कंपनी में हिस्सेदारी की बिक्री	0	0
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	0	0
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (B)	-358502	-72301
C	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (C)		
	शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्त आय (शुद्ध)	0	0
	पूंजीगत उपकरणों के निर्गम से प्राप्त आय	0	0
	पूंजीगत उपकरणों का पुनर्भुगतान	0	0
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (C)	0	0
	अवधि (A)+(B)+(C) के दौरान नकदी प्रवाह में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	3083870	-3117935
	वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	22658680	25776615
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	25742550	22658680
	अवधि के दौरान नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	3083870	-3117935
D	नकदी और नकदी समकक्षों के घटक		
	नकदी और नकदी समकक्ष	901675	1034870
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि	6808540	5162653
	बैंकों के पास शेष राशि और मांग पर धन	14948465	19579092
	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध नकदी और नकदी समकक्ष	22658680	25776615
E	नकदी और नकदी समकक्ष	996429	901675
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष राशि	5421319	6808540
	बैंकों के पास शेष राशि और मांग पर धन	19324802	14948465
	वर्ष के अंत में शुद्ध नकदी और नकदी समकक्ष	25742550	22658680





14. अन्य प्रकटीकरण (ए) व्यावसायिक अनुपात

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.89	8.42
ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	1.34	1.13
iii)	जमा की लागत	6.72	6.38
ív)	शुद्ध ब्याज मार्जिन#	2.99	2.84
v)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.47	2.26
vi)	परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	1.73	1.60
vii)	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम) (करोड़ रुपये में)	17.71	16.95
viii)	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपये में)	0.22	0.20

औसत कार्यशील निधियों के आधार पर गणना की गई (एकरूपता के लिए)

(बी) बैंकाश्योरेंस व्यवसाय

बैंक द्वारा किए गए बीमा एजेंसी व्यवसाय के संबंध में अर्जित कमीशन का विवरण नीचे दिया गया है:

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	चाल् वर्ष	पिछले वर्ष
1	जीवन बीमा पॉलिसियाँ	213.80	167.72
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियाँ	58,44	56.77
3	स्वास्थ्य बीमा	11.36	11.70
	कुल	283,60	236.19

(सी) विपणन एवं वितरण

बैंक को विपणन एवं वितरण कार्य (बैंकाश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में कोई शुल्क/पारिश्रमिक प्राप्त नहीं होता है।







(डी) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2025 के दौरान बिक्री:

क्र.सं.	वर्ग	अंकित मूल्य रु. लाख में	प्रीमियम दर (%)	प्रीमियम प्राप्त हुआ रु. लाख में
1	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	30000,00	2.00	600,00
2	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	70000.00	2.00	1,400.00
3	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	50000,00	2.04	1,020.00
4	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	100000,00	2.05	2,050.00
5	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	30000,00	1.93	579.00
6	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	50000.00	1.93	965.00
7	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	70000,00	1.75	1,225.00
8	पीएसएलसीए (पीएसएलसी-कृषि)	50000,00	0.40	200,00
	कुल	450000.00		8039.00

वित्त वर्ष 2025 के दौरान खरीदारी:

क्र.सं.	वर्ग	अंकित मूल्य रु. लाख में	प्रीमियम दर (%)	वीमा शुल्क का भुगतान रु. लाख में
1	पीएसएलसीएमई (पीएसएलसी-माइक्रो एंटरप्राइजेज)	30000,00	0.01	3,00
2	पीएसएलसीएमई (पीएसएलसी-माइक्रो एंटरप्राइजेज)	10000,00	0.01	1.00
3	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	20000.00	0.01	2.00
4	पीएसएलसीएमई (पीएसएलसी-माइक्रो एंटरप्राइजेज)	20000,00	0.01	2.00
5	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	100000.00	0.01	10.00
6	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	40000,00	0.01	4.00
7	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	10000,00	0.01	1,00
8	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	220000.00	0.01	22.00
	कुल	450000.00		45.00





वित्त वर्ष 2024 के दौरान बिक्री:

क्र.सं.	वर्ग	अंकित मूल्य रु. लाख में	प्रीमियम दर (%)	प्रीमियम प्राप्त हुआ रु. लाख में
I	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	100000,00	2.05	2050.00
2	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	12500.00	2.05	256.25
3	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	10000.00	2.01	201.00
4	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	22500,00	2,01	452,25
5	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	17500,00	2.01	351.75
6	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	42500.00	2.01	854.25
7	पीएसएलसीएसएम (पीएसएलसी-एसएफ&एमएफ)	45000,00	2.01	904.50
8	पीएसएलसीए (पीएसएलसी-कृषि)	50000,00	0.30	150.00
9	पीएसएलसीए (पीएसएलसी-कृषि)	5000,00	0.32	16.00
10	पीएसएलसीए (पीएसएलसी-कृषि)	45000.00	0.32	144,00
	कुल	350000.00		5380.00

वित्त वर्ष 2024 के दौरान खरीदारी:

क्र.सं.	वर्ग	अंकित मूल्य रु. लाख में	प्रीमियम दर (%)	बीमा शुल्क का भुगतान रु. लाख में
1	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	100000.00	0.01	10.00
2	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	50000,00	0.01	5.00
3	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	12500.00	0.01	1.25
4	पीएसएलसीजी (पीएसएलसी-सामान्य)	17500,00	0.01	1,75
5	पीएसएलसीएमई (पीएसएलसी-माइक्रो एंटरप्राइजेज)	40000.00	0.07	28.00
	कुल	220000.00		46.00







(ई) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

रु. करोड़ में

क्र.सं.	लाभ और हानि खाते में प्रावधान डेबिट किया गया	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	17.19	15.27
iii)	आयकर के लिए प्रावधान	107.27	90.02
	(-) आस्थगित कर संपत्ति* घटाएँ	0.00	6.00
	चालू वर्ष का कर	107.27	84.02
iv)	अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
	क. मानक संपत्तियाँ	4.66	6.77
	ख. कोविड नियामक पैकेज	(-)0.57	(-)3.13
	ग. संपत्ति क्षरण	0.03	(-)0,02
	घ. धोखाधड़ी	0,26	1.52
	ङ. समाधान ढाँचा_2.0	0.003	(-)0.14
	च. चोरी	0.003	0.02
	छ. वीएलआरपीवी	0.00	0.08
	ज. अन्य प्रावधान	0.00	0.05
	कुल	4,386	5.15
	कुल (i,ii,iii और iv)	128.85	104.44

^{*}आस्थगित कर की गणना और मान्यता केवल कर्मचारी सेवा लागत पर ही लेखा पुस्तकों में की जाती है

(एफ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

रु. करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	14.23	12.37
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	0.00	0.00





(जी) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण:

11वें द्विपक्षीय समझौते और दिनांक 11.11.2020 के संयुक्त नोट के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन में संशोधन को आरआरबी कर्मचारियों और अधिकारियों तक बढ़ा दिया गया है।

केंद्र सरकार ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 के तहत, 01.04.2021 से प्रभावी, पारिवारिक पेंशन पर किसी भी सीमा के बिना, आरआरबी के मृतक कर्मचारियों के वेतन के 30% की एक समान दर पर आरआरबी के संबंध में पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।

हमारे बोर्ड ने 13.01.2023 की अपनी बोर्ड बैठक में इसे अपनाने को मंजूरी दे दी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास मौजूद पेंशन निधि, बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, 31.03.2025 तक, हमारे बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण कोई भी अशोध्य व्यय नहीं हुआ है।

(एच) "अनुसूची 14 – अन्य आय" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "विविध आय" के अंतर्गत उन मदों का विवरण जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हैं:

> कुल आय : 178978.85 लाख रुपये कुल आय का 1% : 1789.79 लाख रुपये

1789.79 लाख रुपये से अधिक की मदों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	विवरण	रु. करोड़ में
1.	पीएसएलसी से शुल्क आय	8039,00
2.	मूल्यांकन शुल्क	3614.84
3.	प्रसंस्करण शुल्क	5063,25
	कुल	16717.09

(आई) "अनुसूची 16 - परिचालन व्यय" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "अन्य व्यय" के अंतर्गत उन मदों का विवरण जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हैं:

कुल आय : 178978.85 लाख रुपये

कुल आय का 1% : 1789.79 लाख रुपये

1789.79 लाख रुपये से अधिक की मदों का विवरण नीचे दिया गया है:







क्र.सं.	विवरण	रु. करोड़ में
1.	वेतन और भत्ते	15721.46
2.	पीएफ अंशदान - बेंक	2253,36
3.	परिचालन व्यय - अन्य सीबीएस	1891,58
	कुल	19866.40

(जे) "अनुसूची 5 — अन्य देयताएँ और प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "अन्य (प्रावधानों सहित)" के अंतर्गत उन मदों का विवरण जो कुल परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हैं:

> कुल परिसंपत्तियाँ ; ₹1816906.31 लाख कुल परिसंपत्तियों का 1% ; ₹18169.06 लाख ₹18169.06 लाख से अधिक की मदें शन्य हैं

(के) "अनुसूची 11 — अन्य परिसंपत्तियाँ" शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक "अन्य" के अंतर्गत उन मदों का विवरण जो कुल परिसंपत्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हैं:

> कुल परिसंपत्तियाँ : ₹1816906.31 लाख कुल परिसंपत्तियों का 1% : ₹18169.06 लाख ₹18169.06 लाख से अधिक की मदें शुन्य हैं

हमारे सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार सोमायाजुलु एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN: 010629S

निदेशक मंडल

के. प्रमोद कुमार रेड्डी अध्यक्ष (सीए. कृष्णा हरीश ईश्वर) साथी

एम नंबर 224407

UDIN: 25224407BMGPQZ6827

के संतोष नामित निदेशक आरबीआई

सी वी एन भास्कर राव नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डी त्रिपाठी नामित निदेशक नाबार्ड

एस श्रीनिवास नामित निदेशक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: गुंटूर

दिनांक: 25.04.2025





